लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल संख्या – 5

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4(1)(ख)(V))

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

लघु सिंचाई विभाग के कृत्यों निर्वहन के लिए प्रयोग में आने वाले व धारित विनियम व अभिलेखों का विवरण :

लघु सिंचाई विभाग के कार्यों के सम्पादन में निम्न अधिनियम, नियमावली, मैनुअल, वित्तीय नियम संग्रह आदि प्रयोग में लाये जाते हैं :–

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वित्तीय कार्यों के सम्पादन हेतु गठित वित्तीय नियम संग्रह (Financial Hand Book Vol. I, II, III, IV, V, VI)।
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए निर्धारित बजट नियम (Budget Manual)।
- राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए निर्धारित सेवा निवृत्ति लाभ नियम (Book of Civil Service Regulation and Amendment issued by Govt. time to time)।
- राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए निर्धारित आचरण नियमावली Govt. Servant Conduct Rules
- उत्तरांचल सरकार द्वारा राज्य सरकार के सेवकों के लिए निर्धारित सेवा व प्रोन्नति सम्बन्धी नियम Determination of Seniority Rules।

उपरोक्त नियम, नियमावली राज्य सरकार के सभी विभाग व अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू हैं एवं विभिन्न प्रकाशकों द्वारा इनका प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तक विक्रेताओं के यहां यह अभिलेख उपलब्ध हैं एवं जनसामान्य द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय किया जा सकता है।

किन्तु निम्न शासनादेश व नियमावली लघु सिंचाई विभाग के लिए जारी हैं और इनका उपयोग लघु सिंचाई विभाग के कार्यों के समपादन में किया जा रहा है :–

- लघु सिंचाई विभाग की स्थापना सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 यूओ–5681/38–ख सामूदायिक विकास (ख) विभाग लखनऊ दिनांक 16.12.1965 जो इस मैनुअल के अन्त में संलग्न किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश शासन सामूदायिक (ख) विभाग की अधिसूचना संख्या–1661/38–ख–517/64 लखनऊ दिनांक 31.12.1969 के द्वारा लागू उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई (नियुक्ति प्राधिकारी) नियमावली 1969 जो इस मैनुअल के अन्त में संलग्न है।
- उत्तर प्रदेश शासन क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0–1424/ 54–2–1309–77 लखनऊ दिनांक 14.10.1999 द्वारा लागू उत्तर प्रेदश अभियन्त्रण सेवा (लघु सिंचाई विभाग) नियमावली 1991 इस मैनुअल के अन्त में प्रकाशित है।
- उत्तर प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–ए–2 –1602/दस–95 –24(14)–95 वित्त (लेखा) अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 01.06.1995 द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन सम्बन्धी शासनादेश

जिसके द्वारा लघु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ताओं को वित्तीय अधिकार प्रतिनिधानित किए गए हैं, भी इस मैनुअल के अन्त में संलग्न है।

- उत्तरांचल राज्य गठन के उपरान्त लघु सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता को विभागाध्यक्ष नामित किए जाने सम्बन्धी आदेश सं0–17/मु0अ0/ उ0ख0/आर–2/उत्तरांचल दिनांक 03.01.2001, जिसकी प्रति संलग्न है।
- लघु सिंचाई विभाग में भूमिगत जल सम्वर्धन एवं वर्षा जल संग्रहण कार्य को सम्मिलित किए जाने व विभाग को ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा में पृथक विभाग के रूप में आवंटित किए जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0 2100/XXX(1) –2001(1)/2004 देहरादून दिनांक 30.07.2004 एवं शासनादेश सं0 4984/XXX (1)–2004 दिनांक 13.09.2004 जिसकी प्रति इस मैनुअल के अन्त में संलग्न है।
- पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में जल उपभोक्ता समूहों के माध्यम से सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था क्रियान्वयन सम्बन्धी उत्तरांचल शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 338/।।–2004/2005 लघु सिंचाई विभाग देहरादून दिनांक 31.03.2005, शासनादेश सं0 144/ए.पी.एस./ल.सिं./2005 ग्राम्य विकास, पंचायतीराज एवं लघु सिंचाई विभाग देहरादून दिनांक 27.07.2005 एवं संख्या 1373/।।–2004–14(05)/2005 दिनांक 05–09–2008 जिसकी प्रतियां इस मैनुअल के अन्त में संलग्न है।
- भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.02.2002 से लागू Guidelines For Accelerated Irrigation Benefits Programme, दिनांक 01.04.2005 से Modified Guidelines For Accelerated Irrigation Benefits Programme. एवं दिनांक December 2006 से Modified Guidelines For Accelerated Irrigation Benefits Programme. प्रतियां इस मैनुअल के अन्त में संलग्न है।
- उत्तरांचल शासन द्वारा लघु सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे की स्वीकृति विषयक शासनादेश सं0 195/।।–2004–01(16)/04 दिनांक 19.05.2004, शासनादेश सं0 625/।।–2006–01(34)/04 लघु सिंचाई विभाग देहरादून दिनांक 13.09.2006 एवं शासनादेश संख्या 1104/।।(2)–2008–01(34)/04 दिनांक 24–07–2008 प्रतियां संलग्न है।
- उत्तरांचल शासन की अधिसूचना सं0 643/।।(2)–2006–01(19)/ 2006 दिनांक 22.09.2006 के द्वार लागू उत्तरांचल अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली 2006। प्रति संलग्न है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनसामान्य तक सूचना की पहुँच हेतु की गयी व्यवस्था का विवरण संलग्न है।
- लघु सिंचाई विभाग द्वारा किसानों की जानकारी हेतु जारी ''किसान लघु सिंचाई चार्टर'' इस मैनुअल के अन्त में संलग्न है।

******

प्रेशक,

श्री मंसूर आलम कुरेशी,
सचिव,
कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण जन शक्ति एवं अल्प सिंचाई,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शासुपारिका विकास(घ) विभाग दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 16, 1965।

विषय :– अल्प सिंचाई विभाग की स्थापना।

महोदय,

शासकीय आदेश संख्या 5819/38–सी–517/1964, दिनांक 8 अक्टूबर, 1964 द्वारा नये अल्प सिंचाई विभाग की स्थापना आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास की देख रेख में की गयी थी। अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण जन शक्ति एवं अल्प सिंचाई (इसके बाद अधीक्षण अभियन्ता के नाम से संबोधित होगें) को Financial Hand book V-I,II Part II & III & IV व अन्य शासकीय और वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विभागाध्यक्ष घोषित किया गया था।

1– इस शासकीय आदेश के अनुसार वह अधिकारीगणों और कर्मचारी जिनकी नियुक्ति अल्प सिंचाई योजना, ग्रामीण जन शक्ति योजना और अल्प सिंचाई के अनुसंधान व प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मुख्यालय अथवा क्षेत्र में की गयी थी अधीक्षण अभियन्ता के नियन्त्रण में सुपुर्द की गयी। किस प्रकार से इस नियन्त्रण को प्रयोग में लाया जायेगा उसको स्पष्ट करने के लिए राज्यपाल महोदय यह आदेश जारी कर रहे हैं।

2– अल्प सिंचाई एवं ग्रामीण जन शक्ति योजनाओं को उनके मिले जुले प्रयासों से ही सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। अल्प सिंचाई विभागीय स्थापना से आपसी सहयोग एवं समन्वय में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिये और पहले की तरह मिलजुल करके ही योजनाओं को क्रियान्वित करना है। अल्प सिंचाई का सारा संगठन आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास की सर्वोच्च देख रेख मे चलता रहेगा। मण्डल, जिला और क्षेत्र द्वारा क्रमशः संयुक्त/उप/ग्राम्य विकास आयुक्त, अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी समन्वय का कार्य करते रहेगें। इसके साथ अल्प सिंचाई योजनान्तर्गत काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना कार्य सम्पादित करने का पूरा अवसर रहेगा।

क–नियुक्ति प्राधिकारी

शासकीय आदेश संख्या 667/35सी–587/36 दिनांक 4 मार्च 1960 के अनुसार अतिरिक्त जिलधीश(नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी द्वारा राज्य 80 रू0 तक के प्रारम्भिक वेतन के कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकार रखते हैं। यह अधिकार पूर्ववत बने रहेगें। ऐसी जिनका न्यूनतम वेतन 100 रू0 प्रति माह था उससे अधिक न हो, नियुक्ति का अधिकार अधिशासी अभियन्ता (अ0सि0) को होगा जिसका प्रयोग निर्धारित नियमावली के अनुसार किया जायेगा। ऐसे जिनका प्रारम्भिक वेतन 100 रू0 या उससे अधिक के उनकी नियुक्ति का अधिकार अधीक्षण अभियन्ता को होगा। यद्यपि नियुक्ति का अधिकार अतिरिक्त जिलाधीश/जिला नियोजन अधिकारी के निहित हैं, अधीक्षण अभियन्ता को विभागीय अध्यक्ष की हैसियत के सारे अधिकार होगें।

ख–अनुशासनिक नियन्त्रण एंव कार्यवाही

(1) प्रशासनिक नियन्त्रण और अनुशासन की कार्यवाही करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता को उन कर्मचारियों के लिए सारे अधिकार प्राप्त होगें जिनके वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं। उन कर्मचारियों की जिनके मौलिक (original) नियुक्ति प्राधिकारी अधीक्षण अभियन्ता के ऊपर पद के रखे अनुशासन की कार्यवाही जिसमें प्रलक्करण या नियुक्ति का प्रश्न रखता हो, इस तरह के आदेश सम्बन्धित मौलिक प्राधिकारी की सहमति से ही प्रसारित हो सकेगें। इन दण्डों के अतिरिक्त और दण्ड देने के अधिकार अधीक्षण अभियन्ता होगें। उन तमात नियुक्तियों के बारे में जिनके नियुक्ति प्राधिकारी अधीक्षण अभियन्ता के अध्यक्ष अथवा उनसे नये पद के रखें हो और अतिरिक्त जिलावीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी से ऊपर के हो, उन सारे अधिकारों का प्रयोग अधीक्षण अभियन्ता करेगें।

(2) अधिशासी अभियन्ता को उन कर्मचारियों के बारे में जो उनके कार्यालय में नियुक्त हों और जिनके नियुक्ति प्राधिकारी अधीक्षण अभियन्ता हों, ऐसे प्रशासनिक निलम्बन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार प्राप्त होने जिनके आधार पर साधारण दण्ड देना हो जैसे–(1)अभियोग (2)पारित वेतन वृद्धियों एवं दक्षता रोकों को रोकना (3) एक वेतन क्रम में निम्न स्तर को प्रत्यावर्तित (4) अनु उत्तरदायी एवं आदेशों का अनुपालन न करने से शासन को हुई आर्थिक हानि के पूरे या आंशिक रूप से वेतन से वसूली। जिनके वह स्वंय नियुक्ति प्राधिकारी हो उनके बारे में निर्धारित अधिकारों का प्रयोग।

(3) अतिरिक्त जिलाधीश(नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी उन कर्मचारियों के बारे में अनुशासन के अधिकारों का प्रयोग करेगें जिनके वह नियुक्ति प्राधिकारी हो उनके ऐसे कर्मचारियों को साधारण दण्ड जैसे (1) अपक्षेप (2) वार्षिक वेतन वृद्धि एवं दक्षता रोकों को रोकना (3) एक वेतन क्रम से निम्न स्तर को प्रत्यावर्तन (4) अनुउत्तरदायी एवं आदेशों का अनुपालन न करने में शासन को हुई आर्थिक हानि के पूरे या आंशिक रूप में वेतन से वसूली देने के अधिकार होगें, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी अधीक्षण अभियन्ता अथवा अधिशासी अभियन्ता हैं और जिसे सेवा योजन कार्यालय अथवा दोनो में ।

(4) सहायक अभियन्ता (अ0सि0) :– जिले में सहायक अभियन्ता (अल्प सिंचाई) ग्रामीण जन शक्ति एवं अल्प सिंचाई योजनाओं के लिए पूरी तौर पर उत्तरदायी होगें। इन योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले सारे कर्मचारियों और सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) इनकी देख रेख और नियन्त्रण में काम करेगें तथा इनके प्रति उत्तरदायी होगें। सहायक अभियन्ता का कार्यालय जिला नियोजन कार्यालय का एक भाग होगा और जिला नियोजन अधिकारी सहायक अभियन्ता पर सामान्य नियन्त्रण रखेगें।

(5) खण्ड विकास अधिकारी :– ग्रामीण जन शक्ति एवं अल्प सिंचाई योजनायें खण्ड स्तर पर क्रियान्वित की जायेगी। किसी विकास क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी और सहायक विकास अधिकारी (अ0सि0) खण्ड विकास अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगें और सहायक अभियन्ता (अ0सिं0) अथवा सीनियर मैकेनिकल इन्सपेक्टर उनके (खण्ड विकास अधिकारी) के माध्यम से पत्र व्यवहार करेगें। क्षेत्र स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश खण्ड विकास अधिकारी देगें। बोरिंग मैकेनिक, सहायक बोरिंग मैकेनिक को आदेश देने के भी अधिकार खण्ड विकास अधिकारी को होगें।

निरस्त शासनादेश संख्या 1044–38–4 –517/64 दिनांक 29.10.75 द्वारा स्टाफ अधिकारी

(6) जिन अधिकारी के अधीन जो कर्मचारी कार्य कर रहे होगें, उन्हें उनकी आकस्मिक अवकाश देने का अधिकार होगा।

(7) अवकाश तथा निवृत्तिपूर्ण अवकाश के अतिरिक्त अन्य सभी 6 सप्ताह की अवधि के अवकाश अधीक्षण अभियन्ता के मुख्यालय के कर्मचारियों को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा जिले के कर्मचारियों को सहायक अभियन्ता द्वारा और जिन जिलों में सहायक अभियन्ता नियुक्ति नहीं हैं तथा अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। 6 सप्ताह से अधिक का अवकाश सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

ग–स्थानान्तरण

(1) मण्डल जिले के अन्दर कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धित अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी की स्वीकृति से सहायक अभियन्ता द्वारा किये जायेगें।
(2) मण्डलीय स्तर पर एक जिले से दूसरे जिले में कर्मचारियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त/उप विकास आयुक्त की स्वीकृति से अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।
(3) मण्डल से बाहर किसी अन्य जिले में कर्मचारियों का स्थानान्तरण अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।

चरित्र पुस्तिका की प्रविष्टि

(1) अधीक्षण अभियन्ता की चरित्र पुस्तिका में प्रविष्टि आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास द्वारा की जायेगी।
(2) अधिशासी अभियन्ता की चरित्र पुस्तिका में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन नियुक्ति (क) विभाग द्वारा प्रसारित शासकीय आदेश संख्या 1659/2–ए–38–53 दिनांक 5 मार्च, 1965 में निहित प्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
(4) सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) तथा मैकेनिकल इन्सपेक्टर के बारे में (अगर मैकेनिकल इन्सपेक्टर किसी विकास खण्ड में तैनात है) सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अपनी टिप्पणी प्रमुख के द्वारा सहायक अभियन्ता (अ0सिं0) को भेजेगें जो अपनी टिप्पणी के साथ अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ अधिशासी अभियन्ता (अल्प सिंचाई) /खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जायेगी। व जिन मण्डल में अधिशासी अभियन्ता (अ0सिं0) न हो कार्यवाही क्रमशः अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी व संयुक्त/उप विकास आयुक्त द्वारा की जायेगी।
(5) शेष श्रेणियों के कर्मचारियों के कार्य चरित्र के बारे में चरित्र पुस्तिका मे वार्षिक प्रविष्टियों उन अधिकारियों द्वारा की जायेगी जिनके अधीन यह कर्मचारी ये कार्य कर रहे हैं।

ङ – अपील

कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रसारित आदेशों के विरूद्ध अपील निम्नांकित क्रम में उनसे उच्च अधिकारी को की जायेगी :–

(1) अधिशासी अभियन्ता
(2) अधीक्षण अभियन्ता
(3) उत्तर प्रदेश शासन का अनुशासकीय विकास (ख)विभाग।

च – सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई)

(1) सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) के नियुक्ति अधिकार पूर्व निर्देशों को निरस्त करते हुये अब अधीक्षण अभियन्ता में निहित होगें। इस पद पर अधुनाव व सेवा की शर्तें आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास द्वारा तय की जायेगी। सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) विकास खण्ड के सिविल इन्जीनियर वर्क्स एवं अन्य निर्माण सम्बन्धी कार्यों के प्रति अल्प सिंचाई और ग्रामीण जन शक्ति योजना के अतिरिक्त पूरे तौर पर जिम्मेदार रहेगें और खण्ड विकास अधिकारी के नियन्त्रण मे कार्य करते रहेगें।
(2) खण्ड मे काम करने वाले बोरिंग मैकेनिक, सहायक बोरिंग मैकेनिक इत्यादि सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) की सीधी देख रेख मे काम करेगें।

ह0 मंजूल आलम कुरेशी
सचिव

संख्या यू0ओ0 568(।)/38–क–

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
उप सचिव

सामुदायिक विकास (क) विभाग
संख्या यू0ओ0 568(2)/38–क–

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित –

(1) आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलीय सदस्य/उप विकास आयुक्त।
(3) समस्त जिलाधीश, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी।
(5) समस्त मण्डलीय आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (अ0सि0), उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त खण्ड विकास अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0 टी0पी0तिवारी
उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या 1661/36–6–517/64
दिनांक : लखनऊ, सितम्बर 31, 1969

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने और सरकारी विज्ञपित संख्या 667/35–सी–587/56, दिनांक 04 मार्च, 1960 का अतिक्रमण करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

नियमावली

उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई (नियुक्ति प्राधिकारी) नियमावली, 1969 (संविधान का अनुच्छेद 309 देखिये)

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ — (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई (नियुक्ति प्राधिकारी) नियमावली, 1969 कहलायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियुक्ति प्राधिकारी — 2– कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास संगठन के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी लघु सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों के, लो कि प्रत्येक के सामने दिये गये हैं, के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी होगें :–

क्र0 सं0	नियुक्ति अधिकारी	पद	वेतनमान
1.	अधीक्षण अभियन्ता, (लघु सिंचाई) उत्तर प्रदेश, लखनऊ	1. सीनियर मैकेनिकल इन्सपेक्टर	रू0 200–450
		2. सीनियर रिसर्च असिस्टेण्ट	रू0 200–450
		3. सीनियर एक्रोनोसिकल असिस्टेण्ट	रू0 200–450
		4. फोरमैन	रू0 200–450
		5. लेखाकार (मुख्यालयों तथा डिवीजनों में)	रू0 200–450
		6. मैकेनिकल इन्सपेक्टर	रू0 175–300
		7. सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई)	रू0 175–300
		8. ओवरसीयर	रू0 175–300
		9. ड्राफ्टसमैन	रू0 160–200
		10. जूनियर एकोनोकिसल असिस्टेण्ट	रू0 160–200
		11. मुख्य लिपिक (जोनल)	रू0 150–200
		12. जिला लेखाकार	रू0 150–200
		13. मैकेनिक	रू0 150–260
		14. लघु सिंचाई मे कोई वेतन क्रम का न्यूनतम 150/– अन्य अराजपत्रित पद जिसके और 225/– मासिक के बीच हो	

		मुख्यालय में पद	
		1. अधीक्षक स्टोट	रू0 200—400
		2. सहायक अधीक्षण	रू0 150—260
		3. प्रवर वर्ग सहायक	रू0 120—250
		4. सहायक लेखाकार	रू0 120—250
		5. निर्देश लिपिक	रू0 120—250
		6. कनिष्ठ उपलेखक एवं प्रालेखक	रू0 120—250
		7. नैत्यक श्रेणी लिपिक	रू0 100—180
		8. आशुलिपिक	रू0 160—320 रू0 120—250
		9. चतुर्थ श्रेणी सेवक	रू0 55—75
		10. अधीक्षण अभियन्ता के मुख्यालय पर कोई अन्य अराजपत्रित जिसके वेतनक्रम का न्यूनतम 225/— प्रति मास से अधिक न हो	
डिवीजनों में			
2.	अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई)	1. एयर काम्प्रेसर तथा ट्रक ड्राइवर	रू0 120—220
		2. ब्लास्टर	रू0 100—160
		3. ट्रक्टर ड्राइवर	रू0 80—140
		4. अमीन	रू0 80—140
		5. पतरौल	रू0 60—80
		6. मण्डलों में कोई अन्य अराजपत्रित पद जिसके वेतन क्रम का न्यूनतम 150/— प्रतिमास से अधिक न हो	
		डिवीजनों के मुख्यालयों में	
		1. ज्येष्ठ लिपिक	रू0 120—220
		2. आशुलिपिक	रू0 120—230
		3. नैतयक श्रेणी लिपिक	रू0 100—180
		4. मैकेनिकल सुपरवाइजर	रू0 120—220
		5. लेखा लिपिक	रू0 120—220
		6. ट्रेसर	रू0 80—140
		7. जीप ड्राइवर	रू0 75—115
		8. चतुर्थ श्रेणी सेवक	रू0 55—75
		9. अधिशासी अभियन्ता के अपने कार्यालय में कोई अन्य अराजपत्रित पद जिसके वेतन क्रम का न्यनतम 150/— प्रतिमास से कम	
3.	अधिशासी अभियन्ता तथा निदेशक लघु सिंचाई और जीय योग प्रशिक्षण	1. बस ड्राइवर	रू0 80—140
		2. फिटर्स तथा इलेक्ट्रिशियन	रू0 75—115

4.	अपर जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी	1. ज्येष्ठ लिपिक	रू0 120–220
		2. नैत्यिक श्रेणी लिपिक	रू0 60–80
		3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग	रू0 55–75
		4. बोरिंग मैकेनिक	रू0 100–160
		5. सहायक बोरिंग मैकेनिक	रू0 80–140
		6.	रू0 80–140
		7. कोई अन्य अराजपत्रित जिसका वेतनक्रम न्यूनतम 120/– प्रतिमास से अधिक न हो	

आज्ञा से,
इं0 राव सहायक
सचिव

संख्या 1661(।)/36–ख–517/64, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त संयुक्त/उप/सहायक विकास आयुक्त।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई।
5. समस्त जिलाधिकारी।
6. समस्त अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0 पी0डी0 चतुर्वेदी
उप सचिव

संख्या 1661(।)/36–ख–517/64, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेशित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहबाद।
2. नियुक्ति (ख) विधाय।
3. सामुदायिक विकास (क)
4. सामान्य प्रशासन विभाग।
5. अधीक्षक मुद्रक एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहबाद वे कृपया राजकीय गजट में इसे प्रकाशित करें।

आज्ञा से,
ह0 पी0डी0 चतुर्वेदी
उप सचिव

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण वन शक्ति एवं अल्प सिंचाई
उत्तर प्रदेश

संख्या 3626/अ0सिं0/स्था0 दिनांकः अप्रैल 07, 1970

विषय :–संरचना बोरिंग मैकेनिक/सहायक बोरिंग मैकेनिक की सेवाओं का उपयोग।

समस्त अधिशासी अभियन्ता (अ0सिं0)

उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 22544/अ0सिं0/स्था0, दिनांक 23.12.69 एवं पत्रांक 393/अ0सि0/स्था0, दिनाक 09.01.70 में निहित निर्देशों को संशोधित करते हुये यह सूचित किया जाता है कि सरप्लस बोरिंग मैकेनिक/सहायक बोरिंग मैकेनिक की छटनी करते समय निम्न प्रणाली अपनायी जाये :–

2. जिला स्तर पर बोरिंग मैकेनिक एवं सहायक बोरिंग मैकेनिक की एक सम्मिलित ज्येष्ठता सूची (प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर) बनाई जाये। कार्यभार (work load) के अनुसार जितने बोरिंग मैकेनिक/सहायक बोरिंग मैकेनिक सरप्लस हों, केवल ज्येष्ठता के आधार शासनादेश संख्या 43/4/68–नियुक्ति(अ) दिनांक 16.04.69/संख्या 2816–2बी–147–1963 दिनांक 15.05.64 (संलग्न) में निहित निर्देशानुसार उन्हें सेवा से अलग किया जाये। इस प्रणाली में पदोन्नत मैकेनिक की ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ होने के कारण प्रभावित होने की दशा में उसे सहायक बोरिंग मैकेनिक के मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर उसे ऊपर के अन्य कनिष्ठ कर्मचारी की सेवाये समाप्त करना उचित होगा।

3. छटनी करते समय संपूर्ण कार्यरत बोरिंग मैकेनिक/सहायक बोरिंग मैकेनिक मे परिगणित जातीय कर्मचारियों के ज्येष्ठ प्रतिशत के प्रतिनिधत्व का निश्चय कर लेना आवश्यक है। यदि किसी कारण ऐसा नहीं है, तो परिगणित जातीय कर्मचारियों की छटनी उपयुक्त प्रतिशत की पूर्ति होने तक न की जाये।

4. सेवाये समाप्त करने के पूर्व अधिकारियों से पूर्ण कार्य को लेना आवश्यक है। यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध शर्टिंग है तो आवेदन उसकी वसूली करके उसे कार्यभार से मुक्त किया जाये परन्तु केवल शर्टिंग के कारण किसी कर्मचारी को बिना कार्य के सेवायें बनाये रखना भी उचित नहीं है। ऐसे सभी कर्मचारियों जिनसे शीघ्र वसूली करना सम्भव न हो के विरूद्ध पूर्ण केस बनाकर समय–समय पर प्रसारित शासकीय आदेशानुसार उचित कार्यवाही करें तथा उस शर्टिंग के सम्बन्ध में दायित्व भी निर्धारित करें। इस सम्बन्ध में यह भी स्पश्ट कर देना उचित होगा कि यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध शर्टिंग के गम्भीर आरोप है तथा ज्येष्ठता में वह कुल वरिष्ठ से किन्तु अस्थायी से विगत 3 वर्षों से उसे कार्य निरन्तर कर रहा है एवं उसके लिए उसे चेतावनी आदि भी दी जा चुकी है अर्थात प्रशासनक आधार पर उसकी सेवायें बनाया करना

जनहित है तो इस समय उसे नियमानुसार एक मास का अग्रिम नोटिस अथवा वेतन देकर उसकी सेवायें समाप्त कर देना अनुचित न होगा।

5. उक्त समस्त कार्यवाही जिला स्तर पर अतिरिक्त विभागीय/जिला निरीक्षण अधिकारी से की जायगी तथा कृत कार्यवाही का पूर्ण विवरण मण्डलीय अधिशासी अभियन्ता (अ0सिं0) के माध्यम से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. छटनी शुदा कर्मचारियों के स्थान पर किसी प्रकार की स्थानापन्न नियुक्ति न की जायेगी।

ह0 जितेन्द्र प्रकाश अग्रवाल
अधीक्षण अभियन्ता (अ0सिं0), उ0प्र0

संख्या 6628(1)/38–1–92–2604/85

प्रेशक,

के0आर0भाटी,
सचिव,
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 19, 1992

विषय :– जनपद स्तरीय विकास प्रशासन व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी के मध्य वित्तीय एवं विविध अधिकार का प्रतिनिधायन।

प्रशासकीय
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 7020/स्था0–प्र0/92 दिनांक 10 अगस्त, 1992 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग पर विद्यमान समस्त आदेशों का अतिक्रमण करके ही राज्यपाल जनपद स्तरीय विशम प्रशासन व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु शासनादेश संख्या 4492/38–1–5270/92, दिनांक 24 जून 1992 जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में एक–एक मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और परियोजना निदेशक की तैनाती का निर्णय लिया गया है, के क्रम में जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं जिला विकास अधिकारियों के मध्य ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित प्रशासकीय, वित्तीय एवं अन्य विविध अधिकारों का प्रतिनिधायन आदेश के साथ संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार करते हैं।

2– बजट आबंटन एवं सामानों के क्रय इत्यादि के बारे मे जिला विकास अधिकारी वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करेगें परन्तु ग्राम्य विकास विभाग के नियंत्रणाधीन विशेष कार्यक्रमों से सम्बन्धित योजनाओ के बारे में वित्तीय अधिकारों की सीमा निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश शीघ्र ही जारी किया जायेगा।

3– उत्तर प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के बारे में परियोजना निदेशक सम्बन्धित अभिकरण में परियोजना अधिकारी संघ द्वारा संयोजक के दायित्वों का कार्यभार सम्बन्धित ग्राम्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सामान्य एव विशेष आदेशों के अनुसार कार्यवाही करेगें। जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों मे नियुक्त एवं आदेश में संयुक्त होने वाले कार्मिकों की

सेवा शर्तों के बारे मे सामान्य सेवा नियमावली जो प्रत्येक अभिकरण द्वारा शीघ्र ही जारी होने वाला है, के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4— जिन विषयों का उल्लेख इस आदेश में नहीं हो पाया है, उन विषयों के बारे में जिलाधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष, जो भी अन्तिम हो, का निर्णय सर्वोपरी होगा।

5— इन आदेशों के जारी होने के फलस्वरूप जिन सेवा नियमावलियों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी उसे यथा समय संशोधित कर दिया जायेगा।

6— ये आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेगें।

संलग्नः—अधिकारों के प्रतिनिधायन से सम्बन्धित सूची।

भवदीय,

(के0 आर0 भाटी)
सचिव
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या 6628(1)/38—1—92—2604/85, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :—

1. उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त।
2. उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।
3. उत्तर प्रदेश के समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त।
4. उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
5. उत्तर प्रदेश के समस्त जिला विकास अधिकारी।
6. उत्तर प्रदेश के समस्त परियोजना निदेशक/उप जिलाधिकारी (परि0)
7. उत्तर प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।
8. उत्तर प्रदेश के समस्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जिला विकास अधिकारी।
9. ग्राम्य विकास सचिव, शाखा के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0 आर0 भाटी)
सचिव
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई
उत्तर प्रदेश शासन

(ख) अवकाश की स्वीकृति		
1–राजपत्रित अधिकारियों के बारे में प्रतिस्थानों के बिना 42 दिन तक का अवकाश।	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
2–बिना प्रतिस्थानी के अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में 42 दिन तक का अवकाश	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
3–अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में 42 दिन से अधिक अवकाश, प्रतिस्थानी के साथ।	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
(ग) दक्षतारोक पार करने का अधिकारी		
इस आदेश में उल्लिखित प्रत्येक प्रकार के पदाधिकार के बारे में।	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी	नियुक्ति प्राधिकारी
(घ) यात्रा–भत्ता बिल पर नियंत्रण का अधिकार		
1–राजपत्रित अधिकारी (संगृहीत जिला कार्यालय)	नियंत्रक अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
2–अराजपत्रित अधिकारी	नियंत्रक अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
(च) स्थानान्तरण (जनपद में)		
1–एक विकास खण्ड के दूसरे विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण	सक्षम अधिकारी	जिलाधिकारी
2–अराजपत्रित कर्मचारी (एक विकास खण्ड से दूसरे विकास खण्ड में)	सक्षम अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
(छ) सेवा निस्तारण प्रमाण–पत्र		
1–खण्ड विकास अधिकारी यदि अवकाश की अवधि 42 दिन तक हो।	सक्षम अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
(ज) सेवानिवृत्ति लाभ यथा पेंशन/ग्रेच्युटी इत्यादि की स्वीकृति समस्त सरकारी कर्मचारी/ सेवा निवृत्त कर्मचारी के अवशेष देयकों आदि की स्वीकृति		
कर्मचारियों के पूर्ण पद के पदाधिकारियों के बारे में।	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी	नियुक्ति प्राधिकारी
(झ) अग्रिम वेतन यात्रा–भत्ता की स्वीकृति का अधिकार		
1–ऐसे पद जिनके वेतनमान का न्यूनतम वेतन रू0 1400 से अधिक न हो तथा जिनके स्थानान्तरण का ओदश हो चुका हो का एक माह का वेतन तथा यात्रा भत्ता का अग्रिम स्वीकार करना	सक्षम अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
2–ऐसे पद जिनके वेतनमान का न्यूतम वेतन रू0 1200 से अधिक न हो।	सक्षम अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
(ट) आहरण एवं वितरण का अधिकार		
जिला विकास कार्यालय को आवंटित बजट एवं वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में।	आहरण एवं वितरण अधिकारी	जिला विकास अधिकारी

(ठ) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चरित्र–पंजिका में वार्षिक गोपनीय मंतव्य अंकित करने का स्तरीकरण।			
लोक सेवक के पद का नाम, जिसके बारे में प्रविष्टि अंकित की जाती है।	**प्रतिवेदक अधिकारी**	**समीक्षक अधिकारी**	**स्वीकृर्ता अधिकारी**
1	**2**	**3**	**4**
1–खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी (परियोजना निदेशक की आख्या प्राप्त की जायेगी)	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी/ (उप विकास आयुक्त/ संयुक्त विकास आयुक्त की आख्या भी प्राप्त की जायेगी
2–सहायक विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
3–ग्राम विकास अधिकारी एवं समकक्षीय विभागीय पद	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
4–कार्यालय/सहायक /खण्ड विकास अधिकारी, कर्मचारी	विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
5–अनुभागीय कर्मचारी	विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी की संस्तुति पर जिला विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
6–जिला विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी

2– यह स्पष्ट किया जाता है कि चरित्र पंजिकाओं में गोपनीय मंतव्य अंकित किये जाने का अन्यथा जिलाधिकारी के विशेष आदेशों के द्वारा यदि किसी समय प्रतिकूल या अनुकूल मंतव्य पारित करते हैं तो उनका आदेश अंतिम होगा, लेकिन यदि किसी समय मण्डलायुक्त अपने विशेष आदेशों के अधीन ऐसी प्रविष्टियां अंकित किये जाने के बारे में निर्देश जारी करें तो ऐसी स्थिति में उनके आदेश अन्तिम होगें।

(ड) अपीलीय अधिकारी :–

विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डा अधिकारी द्वारा पारित कठोर दण्ड (पदाववनत्ति सेवा से पृथककीकरण और सेवा समाप्ति) के आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपने नियुक्ति प्राधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी को अपील की जा सकेगी। अपीलेट अथारिटी के निर्णय के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों पर पनिष्मेण्ट एण्ड अपील रूल्स फार सबाडनिट साठीज में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विभागीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप अन्य दण्डों के बारे में पारित आदेशों के विरूद्ध सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके नियुक्ति

प्राधिकारी से एक स्तर के ऊपर के अधिकारी को प्रत्यावेदन प्रेषित किया जायेगा। जिसके निर्णय के विरूद्ध प्राप्त हाने वाले प्रति प्रत्यावेदन पर उपरोक्त संदर्भित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(द) प्रशासनाधिकरण की संस्तुतियों पर कार्यवाही :–

अनुशासनिक कार्यवाही (प्रशासनाधिकरण) नियमावली, 1947 की संस्तुतियों के आधार पर इन कार्मिकों में से किसी भी कार्मिक के विरूद्ध दण्ड का आदेश उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि नियमानुसार प्रशासनाधिकारण की संस्तुति पर या तो श्री राज्यपाल की ओर से दण्डादेश पारित किया जाता है या प्रतिनिधायन की दशा में अराजपत्रित कार्मिकों के बारे में विभागाध्यक्ष आदेश पारित कर सकते हैं।

आज्ञा से

(के0आर0भाटी)
सचिव,
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या :– 3045/38–1–93–4पी0/93

प्रेषक,

श्री के0आर0भाटी,
सचिव,
ग्राम विकास एवं लघु सिंचाई,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– श्री आलोक सिन्हा,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– श्री कुंवर फतेह बहादुर,
निदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास,
प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

3– श्री एस0आर0 सिद्दीकी,
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, स्तर–।,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– श्री वाई0के0 माथुर,
निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5– श्री आर0एस0गुप्ता,
मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–। **लखनऊ दिनांकः अप्रैल, 19, 1993**

विषय : सचिव, ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्षों को अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या : 2937/38–1–93–4पी0/93, दिनांक 19 अप्रैल, 1993 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम 26, 81 बी एवं 153 ए की परिसीमाओं के अधीन निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं अपर विभागाध्यक्ष को छोड़कर शेष समस्त राजपत्रित अधिकारियों के बारे में समस्त अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार तालिका के स्तम्भ–3 में सम्बन्धित विभाग के सामने अंकित उनके विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधानित करते हैं :–

क्रमांक	विभाग का नाम	विभागाध्यक्ष का पदनाम, जिन्हें प्रविष्टि स्वीकृत करने का अधिकार प्रतिनिधानित किया गया।
1	ग्राम्य विकास विभाग	आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ	निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ
3	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–।, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश।
4	भूगर्भ जल विभाग	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर पदेश।
5	लघु सिंचाई विभाग	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

2– अवकाश स्वीकृत करते समय संगत अवकाश नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जायेगा।

3– कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को इस आदेश की प्रतियां अपने स्तर से पृष्ठांकित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0/ के0आर0 भाटी,
सचिव,
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या :– 3045/38–1–93–4पी0/93, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– सचिव, वित्त व्यय नियंत्रण, विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4– सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6– सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10– आयुक्त ग्रामीण आवास परिषद, उत्तर प्रदेश।
11– मुख्य सचिव के विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
12– कृषि उत्पादन आयुक्त के विशेष अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
13– कार्मिक अनुभाग–1/2/3/4
14– नियुक्ति अनुभाग–1/2/3/5
15– वित्त सामान्य अनुभाग–3/4
16– ग्राम्य विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारीगण।
17– ग्राम्य विकास सचिव, शाखा के समस्त अनुभाग।
18– गार्ड फाइल हेतु।

भवदीय
ह0/ के0आर0 भाटी,
सचिव,

संख्या :– 3047/38–1–93–4पी0/93

प्रेषक,

श्री के0आर0भाटी,
सचिव,
ग्राम विकास एवं लघु सिंचाई,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– श्री आलोक सिन्हा,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– श्री कुंवर फ्तेह बहादुर,
निदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास,
प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

3– श्री एस0आर0 सिद्दीकी,
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, स्तर–।,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– श्री वाई0के0 माथुर,
निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5– श्री आर0एस0गुप्ता,
मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–। **लखनऊ दिनांकः मई, 25, 1993**

विषय : सचिव, ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्षों को अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या : 2937/38–1–93–4पी0/93, दिनांक 19 अप्रैल, 1993 और शासनादेश संख्या : 3045/38–1–93–4पी0/93 दिनांक 19 अप्रैल, 1993 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित विभागों के रू0 3000–4500 के वेतनमान शासन द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित के समूह "क" के समस्त पदधारकों की चरित्र–पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मंतव्य को स्वीकृर्ता अधिकारी के रूप में अन्तिम स्वरूप दिये जाने का अधिकार, जो अभी तक शासन में निहित था, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को एतद्द्वारा श्री राज्यपाल प्रतिनिधानित करते हैं :–

क्रमांक	विभाग का नाम	विभागाध्यक्ष का पदनाम, जिन्हें प्रविष्टि स्वीकृत करने का अधिकार प्रतिनिधानित किया गया।
1	ग्राम्य विकास विभाग	आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ	निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ

3	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–।, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश।
4	भूगर्भ जल विभाग	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर पदेश।
5	लघु सिंचाई विभाग	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

2– प्रविष्टियां लिखे जाने के बारे में प्रत्येक विभाग के प्रत्येक पद के संदर्भ में प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकर्ता अधिकारी का निर्धारण शासन स्तर से कर दिया गया है, जो प्रत्येक विभाग के बारे में इस शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्टों में उपलब्ध है। इन परिशिष्टों में निर्धारित प्रक्रिया के लागू होने की तिथि से, इस विषय पर पूर्व में जारी समस्त शासकीय निर्देश अतिक्रमित कर दिये गये हैं। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित करने के सम्बन्ध में यह सामान्य विभागीय प्रक्रिया है, जो कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या : 26 / ।/ 76–कार्मिक–2, दिनांक 21 मई, 1976 के क्रम में नियत की गई है।

3– कार्यों एवं अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों की भूमिका से संबंधित प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 से जारी शासनादेश संख्या 1520 / 47–2–14–2–10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 1982 में से, मण्डल स्तर तथा जिला स्तर के अधिकारियों की प्रविष्टि लिखने के बारे में संगत अंशों का पूर्ववत् प्रभाव बना रहेगा।

4– इसके अतिरिक्त जिला स्तर के अधिकारियों व क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के बारे में वार्षिक गोपनीय आख्या अंकित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 36 / 3 / 1976–कार्मिक –2, दिनांक 6 मई, 1985 में जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को प्रदत्ता विषय अधिकार पूर्ववत् लागू रहेगें।

5– पर्वतीय क्षेत्र में विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 36 / 10 / 1975– कार्मिक–2, दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 द्वारा शासन के उत्तरान्चल विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव, जैसी भी स्थिति हो, को दिये गये विशेष अधिकार भी पूर्ववत् रहेगें।

6– प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध संबंधित कार्मिक द्वारा स्वीकर्ता अधिकारी से ठीक ऊपर के अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित अवधि में प्रत्यावेदन प्रेषित किया जायेगा जिसकी "अस्वीकृति" की दशा में विभागाध्यक्ष या शासन, जैसी भी दशा हो, को प्रति–प्रत्यावेदन "मैमोरियल" दिया जा सकेगा।

7– चरित्र पंजी में प्रविष्टि अंकित करने, सत्यानिष्ठा प्रमाण–पत्र दिये जाने, प्रतिकूल प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिक को संसूचित किये जाने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण के बारे में शासन के कार्मिक विभाग से समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जायेगा।

8– समूह "क" के अधिकारियों की चरित्र–पंजिका को अन्तिम स्वरूप दिये जाने से संबंधित अधिकारों का प्रतिनिधायन दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त हाने वाली अवधि से प्रभावी हो जायेगा और रू0 3000–4500 के वेतनमान के समूह "क" के कार्मिकों जिन प्रविष्टियों पर स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में शासन के ग्राम्य विकास विभाग के सचिव द्वारा मंतव्य अंकित किये जाते थे, उन मामलों में वर्ष 1992–93 की प्रविष्टियां विभागाध्यक्ष द्वारा ही स्वीकृत की जायेंगी तथा वे स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में अपना मंतव्य अंकित करेंगें।

9– समूह **"क"** तथा **"ख"** के ऐसे अधिकारियों, जिनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में अन्तिम स्वरूप दिये जाने का अधिकार शासन से भिन्न विभागाध्यक्ष या अन्य किसी प्राधिकारी को प्रतिनिधानित किया गया है, की चरित्र–पंजिकायें सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में रखी जायेंगी और उन्हीं के द्वारा उसका रख–रखाव सुनिश्चित किया जायेगा परन्तु आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 या प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्य सेवा आदि पर आये कार्मिकों के बारे में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

10— राजकीय सेवा सम्बन्धी मामलों के त्वरित एवं नियमानुसार निस्तारण हेतु चरित्र पंजी में प्रविष्टि, सम्यानिष्ठा तथा दक्षतारोक संबंधी शासनादेशों का एक संकलन शासन के कार्मिक विभाग द्वारा भाषा प्रकाशन अनुभाग के माध्यम से हाल ही में, वर्ष 1993 में प्रकाशित कराया गया है, जिसकी प्रति शासन के वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी से पा अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

11— कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को इस आदेश की प्रतियां अपने स्तर से पृष्ठांकित करने का कष्ट करें।

12— ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दीन दयालय उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ में इन विभागों के नियंत्रणाधीन राजपत्रित पदों पर कार्यरत आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 अधिकारियों की प्रविष्टियां लिखे जाने के बारे में शासन के नियुक्ति विभाग की सहमति जो उनके अशासकीय संख्या : ए—280/दो—5—1993 में प्राप्त हुई, प्राप्त कर ली गई है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय
ह0/के0आर0 भाटी,
सचिव,
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या :— 3047/38—1—93—4पी0/93, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2— सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3— सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4— सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5— मुख्य सचिव के विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7— आयुक्त, ग्रामीण आवास, उत्तर प्रदेश।
8— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9— कृषि उत्पादन आयुक्त के विशेष अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
10— समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12— कार्मिक अनुभाग—1/2/3/4
13— नियुक्ति अनुभाग—1/2/3/5
14— ग्राम्य विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारीगण।
15— ग्राम्य विकास सचिव, शाखा के समस्त अनुभाग।
16— गार्ड फाइल हेतु।

भवदीय
ह0/के0आर0 भाटी,
सचिव,
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

संख्या :– जी–587/स्था0–5/153/93 दिनांक : लखनऊ जुलाई, 13, 1993

उपरोक्त शासनादेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग बख्शी का तालाब लखनऊ।
3– विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई कोष्ठ, लखनऊ।
4– समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश।
5– समस्त सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश।
6– मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
7– आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक स्था0 मुख्यालय।
8– पटल–1 स्थापना अनुभाग।

आई0के0 सिंघल
वैयक्ति सहायक अधि0
कृते मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई

परिशिष्ट–क

शासनादेश संख्या 3047/38–1–93–4पी0/93 दिनांक 25 मई, 1993 का संलग्नक

ग्राम्य विकास विभाग में विभिन्न सम्वर्गों के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण

क्र0 सं0	पद का नाम	सम्वर्ग का नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	आयुक्त ग्राम्य विकास एवं विभागाध्यक्ष	आई0ए0एस 0	सचिव, ग्राम्य विकास, कृषि उत्पादन आयुक्त	कृषि उत्पादन आयुक्त मुख्य सचिव	मुख्य सचिव संबंधित सलाहाकार/ मंत्री जी	जब आयुक्त ग्राम्य विकास से सचिव कनिष्ठ हों।
2	अपर आयुक्त विशेष कार्यक्रम, अपर विभागाध्यक्ष	आई0ए0एस 0	आयुक्त, ग्राम्य विकास	सचिव, ग्राम्य विकास	कृषि उत्पादन आयुक्त	–
3	अपर आयुक्त प्रशासन, अपर विभागाध्यक्ष	पी0सी0एस0	आयुक्त, ग्राम्य विकास	सचिव, ग्राम्य विकास	कृषि उत्पादन आयुक्त	–
4	अपर आयुक्त कार्यक्रम अपर विभागाध्यक्ष	ग्राम्य विकास	आयुक्त, ग्राम्य विकास	सचिव, ग्राम्य विकास	कृषि उत्पादन आयुक्त	–
5	अपर आयुक्त लेखा अपर विभागाध्यक्ष	वित्त एवं लेखा	आयुब्क्त, ग्राम्य विकास	सचिव, ग्राम्य विकास	कृषि उत्पादन आयुक्त	–
6	उप/ सहायक आयुक्त मुख्यालय पर	पी0सी0एस0 ग्राम्य विकास	आयुक्त, ग्राम्य विकास	सचिव, ग्राम विकास	कृषि उत्पादन आयुक्त	यदि प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी से सेवा में ज्येष्ठ हो तो समीक्षक प्राधिकारी कृषि उत्पादन आयुक्त तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी मुख्य सचिव होगें
7	मण्डलीय संयुक्त/उप विकास आयुक्त	आइ0ए0एस 0/ पी0सी0एस0 ग्राम्य विकास	मण्डलायुक्त	कृषि उत्पादन आयुक्त	मुख्य सचिव	–
8–	मुख्य विकास अधिकारी	आइ0ए0एस 0/ पी0सी0एस0 ग्राम्य विकास	जिलाधिकारी	मण्डलायुक्त	कृषि उत्पादन आयुक्त	स्वीकर्ता अधिकारी, सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राकय विकास तथा अन्य सचिवों/प्रमुख सचिवों को उनकी शाखा में हैं का मंतव्य प्राप्त कर सकते हैं।
9–	अतिरिक्त जिलाधिकारी, परियोजना	पी0सी0एस0	जिलाधिकारी	मण्डलायुक्त	आयुकत, ग्राम्य विकास	
10–	जिला विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास	जिलाधिकारी	मण्डलायुक्त	आयुक्त, ग्राम्य विकास	
11–	परियोजना निदेशक	ग्राम्य विकास	जिलाधिकारी	मण्डलायुक्त	आयुक्त, ग्राम्य विकास	
12–	निदेशक म0क0पो0	ग्राम्य विकास महिला सेवा	आयुक्त ग्राम्य विकास	सचिव, ग्राम्य विकास	कृषि उत्पादन आयुकत	आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 या अन्य किसी संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिक की प्रविष्टि लिखने की प्रक्रिया भी यही होगी।
13–	संयुक्त निदेशक इदाकरा	ग्राम्य विकास महिला सेवा	निदेशिका म0क0पो0	आयुक्त ग्राम्य विकास	सचिव, ग्राम्य विकास	–
14–	उपनिदेशिका पौष्टिक आहार	ग्राम्य विकास महिला सेवा	निदेशिका म0क0पो0	–	आयुकत, ग्राम्य विकास	आयुक्त समीक्षक अधिकारी भी होगें।
15–	सहायक निदेशिका, पौष्टिक आहार	ग्राम्य विकास महिला सेवा	उप निदेशिका	निदेशिका	आयुक्त, ग्राम्य विकास	–
16–	संयुक्त निदेशक	ग्राम्य विकास	संबंधित अपर आयुक्त	आयुक्त, ग्राम्य विकास	सचिव, ग्राम्य विकास	–
17–	उप निदेशक, बजट एवं नियोजन	ग्राम्य विकास	संबंधित अपर आयुक्त	–	आयुक्त, ग्राम्य विकास	आयुक्त, समीक्षक अधिकारी ही होगें।
18–	उप निदेशक वित्त	वित्त एवं लेखा	संबंधित अपर आयुक्त	–	आयुक्त, ग्राम्य विकास	आयुक्त, समीक्षक अधिकारी ही होगें।
19–	उपायुक्त लेखा	वित्त एवं लेखा	आयुक्त, ग्राम्य विकास	सचिव, ग्राम्य विकास	कृषि उत्पादन आयुक्त	–
20–	सहायक आयुक्त,	वित्त एवं	उपायुक्त, लेखा	संबंधित अपर	आयुक्त ग्राम्य	–

	लेखा	लेखा		आयुक्त	विकास	
21–	लेखाधिकारी	वित्त एवं लेखा	उपायुक्त लेखा	संबंधित अपर आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास	उपायुक्त लेखा की अनुपस्थिति में अपर आयुक्त लेखा ही प्रतिवेदक अधिकारी का कार्य करेंगे।
22–	खण्ड विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी	विभागीय मण्डलीय अधिकारी की आख्या स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा प्राप्प की जायेगी।
23–	अपर परियोजना निदेशक	ग्राम्य विकास	परियोजना निदेशक उी0आर0डी0ए0	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी /अध्यक्ष, उी0आर0डी0ए 0	–
24–	सहायक परियोजना अधि0 महिला					
25–	सहायक परियोजना निदेशक					
26–	परियोजना अश्वशास्त्री					
27–	प्रधानाचार्य क्षेत्रिय ग्राम्य विकास संस्थान	ट्रेनिंग कॉडर	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलीय उप विकास आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास	–
28–	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	ट्रेनिंग कॉडर	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलीय उप विकास आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास	–
29–	प्रसार प्रशिक्षण, अधिकारी क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान	ट्रेनिंग कॉडर	प्रधानाचार्य	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलीय उप विकास आयुक्त	–
30–	सुपरवाइजर /को –आर्डिनेटर	ग्राम्य विकास	संबंधित अपर आयुक्त	–	आयुक्त ग्राम्य विकास	आयुक्त, समीक्षक अधिकारी ही होंगे।
31–	शोध अधिकारी /मुख्या लय पर श्रेणी–।। के समकक्ष अधिकारी	ग्राम्य विकास	संयुक्त निदेशक / आयुक्त	अपर आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास	–
32–	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	ग्राम्य विकास	अपर आयुक्त	–	आयुक्त, ग्राम्य विकास	आयुक्त, समीक्ष अधिकारी भी होंगे।

ह0 /के0आर0भाटी,
सचिव,

परिशिष्ट–ख

शासनादेश संख्या 3047/38–1–93–4पी0/93 दिनांक 25 मई, 1993 का संलग्नक

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण

क्र0सं0	पद का नाम	सम्वर्ग का नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	निदेशक एवं मुख्य विभागाध्यक्ष स्तर–।	आर0ई0एस0	सचिव, ग्राम्य विकास,	कृषि उत्पादन आयुक्त	विभागीय मंत्री/सलाहकार	–
2	मुख्य अभियन्ता स्तर–।।	आर0ई0एस0	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–।	सचिव, ग्राम्य विकास	कृषि उत्पादन आयुक्त	–
3	अधीक्षण अभियन्ता	आर0ई0एस0	मुख्य अभियन्ता स्तर–।।	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–।	सचिव, ग्राम्य विकास	–
4	अधिशासी अभियन्ता	आर0ई0एस0	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता स्तर–।।	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–।	विकास कार्यों के संबंध में प्रतिवेदक अधिकारी, जिलाधिकारी की आख्या प्राप्त कर उस पर उचित संज्ञा लेकर मंतव्य अंकित करेंगे।
5	अधिशासी अभियन्ता एव वैयक्तिक सहायक कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता	आर0ई0एस0	संबुंधित मुख्य अभियन्ता स्तर–।।	–	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–।	यदि ये अधि0 मु0अभि स्तर–।। के अधीनस्थ कार्यालयों में हों।
6	सहायक अभियन्ता	आर0ई0एस0	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–।	विकास कार्यों के बारे में समीक्षक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी की आख्या प्राप्त कर एवं उचित संज्ञान लेकर मंतव्य अंकित किया जाए।
7	सहायक अभियन्ता मुख्यालय पर	आर0ई0एस0	संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्ति सहायक	–	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–।	–

शासनादेश संख्या 3047/38–1–93–4पी0/93 दिनांक 25 मई, 1993 का संलग्नक

लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण

क्र0 सं0	पद का नाम	सम्वर्ग का नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य अभियन्ता	लघु सिंचाई/ प्रतिनियुक्ति	सचिव, ग्राम्य विकास,	कृषि उत्पादन आयुक्त	विभागीय मंत्री/ सलाहकार	–
2	अधीक्षण अभियन्ता	लघु सिंचाई	मुख्य अभियन्ता	–	सचिव, ग्राम्य विकास	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग समीक्षक अधिकारी भी होंगे।
3	अधिशासी अभियन्ता	लघु सिंचाई	अधीक्षण अभियन्ता	–	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियनता समीक्षक अधिकारी भी होंगे।
4	अधिशासी अभियन्ता एव वैयक्तिक सहायक जब मुख्यालय पर तैनात हों।	लघु सिंचाई	–	–	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियनता समीक्षक अधिकारी भी होंगे।
5	सहायक अभियन्ता	लघु सिंचाई	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता,	–
6	सहायक अभियन्ता जब मुख्यालय पर तैनात हों।	लघु सिंचाई	–	–	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता समीक्षक अधिकारी भी होगें।
7	जब अधी0अभि0 से सम्बद्ध हो	लघु सिंचाई	अधीक्षण अभियन्ता	–	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता समीक्षक अधिकारी भी होगें।

परिशिष्ट–घ

शासनादेश संख्या 3047/38–1–93–4पी0/93 दिनांक 25 मई, 1993 का संलग्नक

भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण

क्र0सं0	पद का नाम	सम्वर्ग का नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	निदेशक	भूगर्भ जल सेवा प्रतिनियुक्ति पर	सचिव, ग्राम्य विकास,	कृषि उत्पादन आयुक्त	विभागीय मंत्री/सलाहकार	–
2	अधीक्षण अभियन्ता	भूगर्भ जल सेवा	निदेशक	–	सचिव, ग्राम्य विकास	सचिव समीक्षक अधिकारी भी होगें।
3	अधिशासी अभियन्ता	भूगर्भ जल सेवा	अधीक्षण अभियन्ता	–	निदेशक	निदेशक समीक्षक अधिकारी भी होगें।
4	जीयो हाइड्रोलाजिस्ट					
5	सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट					
6	सीनियर जीयोफिसिस्ट					
7	अधिशासी अभियन्ता/वैयक्तिक सहायक मुख्यालय पर	भूगर्भ जल सेवा	–	–	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता समीक्षक अधिकारी भी होगें।
8	सहायक अभियन्ता/सहायक जीयोलाजिस्ट/हाईड्रोलाजिस्ट/सहायक जीयोफीजिसिस्ट/केमिस्ट/सहायक केमिस्ट, जैसी भी स्थिति हो।	भूगर्भ जल सेवा	अधिशासी अभियन्ता/जीयोहाइड्रोजियोलाजिस्ट/सीनियर जीयोफिजिसिस्ट/वैयक्तिक सहायक, जैसी भी स्थिति हो।	अधीक्षण अभियन्ता	निदेशक	–

आज्ञा से
ह0/के0आर0भाटी,
सचिव,
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई,
उत्तर प्रदेश शासन।

परिशिष्ट–ड

शासनादेश संख्या 3047/38–1–93–4पी0/93 दिनांक 25 मई, 1993 का संलग्नक
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण

क्र0सं0	पद का नाम	सम्वर्ग का नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	निदेशक	आई0ए0एस0	सचिव, ग्राम्य विकास,	कृषि उत्पादन आयुक्त	मुख्य सचिव	–
2	निदेशक	ग्राम्य विकास	निदेशक	सचिव, ग्राम्य विकास	कृषि उत्पादन आयुक्त	–
3	संयुक्त निदेशक	संस्थान/ ग्राम्य विकास	निदेशक	–	सचिव, ग्राम्य विकास	सचिव, समीक्षक अधिकारी होंगे।
4	उप निदेशक	संस्थान/ ग्राम्य विकास	अपर निदेशक	–	निदेशक	निदेशक समीक्षक अधिकारी भी होगें।
5	सहायक निदेशक	संस्थान/ ग्राम्य विकास	संकाय अध्यक्ष	अपर निदेशक	निदेशक	–
6	शोध अधिकारी	संस्थान/ ग्राम्य विकास	उपनिदेशक, शोध प्रभाग	अपर निदेशक	निदेशक	–

आज्ञा से

ह0/के0आर0भाटी,
सचिव,
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तराखण्ड शासन
लघु सिंचाई अनुभाग
संख्या :–1061 / ।।–2015–1(11) / 2008
देहरादून : दिनांक 23 नवम्बर,2015
कार्यालय आदेश

कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1712 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 18 दिसम्बर,2003 के दृष्टिगत लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, में कार्यरत श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों(अभियन्ताओं) की वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रविष्टियों पर अंकन तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	पद का नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	2	3	4	5
1	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	सचिव,	वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त	विभागीय मंत्री /
2	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	सचिव	आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास
3	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	सचिव
4	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
5	स्टाफ अधिकारी(मुख्यालय)	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	अपर सचिव	सचिव
6	सहायक अभियन्ता(मुख्यालय)	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
7	सहायक अभियन्ता(वृत्त कार्यालय)	अधीक्षण अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

आज्ञा से

ह0 / (आनन्द बर्द्धन)
सचिव

संख्या :–1061 / ।।–2015–1(11) / 2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख निजी सचिव, लघु सिंचाई विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशाी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

ह0 / (बेदीराम)
संयुक्त सचिव।

प्रषक,

श्री चनर राम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–। **लखनऊ : दिनांक ' 21 फरवरी, 1994**

विषय : **सचिव, ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्षों को अधिकारों को प्रतिनिधायन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या जी–1255/स्था0–5/153/93 दिनांक 6 जनवरी, 1994 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा शासन से यह जानकारी चाही गई है कि शासनादेश संख्या 10442/38–4–517/64 दिनांक 29–10–75 में निहित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को अर्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार अभी भी यथावत बना रहेगा अथवा नही, या फिर शासनादेश संख्या 3045/38–।–93–4पी/93 दिनांक 19–04–93 में अवकाश स्वीकृत करने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करना है कि शासनादेश संख्या 3045/38–।–93–4पी/93 दिनांक 19–4–93 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0/चनर राम,
संयुक्त सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या जी–1434/स्था0–5/153/94 दिनांक : लखनऊः फरवरी, 26, 1994

उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त अधिशासी अभियन्ता, ल0सिं0, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ल0सिं0, उत्तर प्रदेश।
6– निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ।
7– विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई कोष्ट, लखनऊ।
8– समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
9– स्थापना पटल–।
10– समस्त सहायक अभियन्ता, ल0सिं0, उत्तर प्रदेश।

(आर0एस0 चौधरी)
वैयक्तिक सहायक, अधि0,
कृते मुख्य अभियन्ता।

उत्तर प्रदेश सरकार
क्षेत्रीय विकास विभाग
अनुभाग–2
अधिसूचना
4 अक्टूबर, 1991 ई0

सं0 1424/54–2–1309–77–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (लघु सिंचाई विभाग) नियमावली, 1991।

भाग–एक–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अभियन्त्रण सेवा (लघु सिंचाई विभाग) नियमावली 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति :– उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (लघु सिंचाई विभाग) एक राज्य सेवा है जिसमें समूह **''क''** और **''ख''** के पद समविष्ट हैं।

3– परिभाषायें :–जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) ''नियुक्त प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ख) ''मुख्य अभियन्ता '' का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से है।

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पार्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(घ) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है।

(ङ) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है।

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है

(झ) ''सेवा से तात्पर्य'' उत्तर प्रदेश अभियन्ता ''लघु सिंचाई विभाग'' से है।

(ञ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्सयम विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो,

(ट) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

4––सेवा की सदस्य संख्या––(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदो की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमे प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी परिशिश्ट में दी गयी है–

परन्तु––

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल, समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन––भर्ती

5– भर्ती को श्रोत––सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगीः––

(1) सहायक अभियन्ता :– (एक) 67 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से कृषि सिविल और यान्त्रिक अभिन्त्रण मे उस रीति से कि स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखने वालों का सीधी भर्ती के अनुपात क्रमशः 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत हो,

(दो) (क) 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा जिसमें एक तिहाई मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ता (यान्त्रिक) में से और दो तिहाई मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) में से होंगे जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को दस वर्ष की सेाव पूरी कर ली हो।

(ख) 8 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा उन मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं मे से जो सिविल, यान्त्रिक या कृषि अभियन्त्रण में उपाधियों उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखते हों, परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसे पद खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जायेगें।

(2) अधिशासी अभियन्ता–मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं जिन्होने, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को सहायक अभियन्ता के रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, मे से पदोन्नति द्वारा।

(3) अधीक्षण अभियन्ता–– मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी अभियन्ताओं, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को कम से कम पन्द्रह वर्ष की कुल सेवा (जिसमें अधिशासी अभियन्ता के रूप मे कम से कम छः वर्ष की सेवा सम्मिलित हो) पूरी कर ली हो, मे से पदोन्नति द्वारा।

(4) मुख्य अभियन्ता–– मौलिक रूप से नियुक्त अधीक्षण अभियन्ताओं जिन्होने पच्चीस वर्ष की कुल सेवा जिसमे अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम छः वर्षों की सेवा सम्मिलित है, पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

6––आरक्षण––अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार––अर्हतायें

7–राष्ट्रीयता––सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः––

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत सरकार मे स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया,

यूगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रबजन किया हो :

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि कोई अभ्यर्थी उर्पयुक्त श्रेणी (ग) का ही तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जा सकेगा जबकि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी––ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु न हो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8––आयु––सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन को, जिसमे आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा मे उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

9**––शैक्षिक अर्हतायें––**सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास सिविल या यान्त्रिक या कृषि अभियन्त्रण मे स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिये या उसने इन्स्टीट्यूशन आफ इन्जीनियर्स (इण्डिया) से सिविल या यान्त्रिक अभियन्त्रण मे सेक्शन ''ए'' और ''बी'' मे एसोसिएटेड मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

10––अधिमानी अर्हतायें––ऐसे अभ्यर्थी को जिसने––

(एक) प्रादेशिक सेना मे दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय केडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले मे अधिमान दिया जायेगा।

11––चरित्र––सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी––संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोश सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12––वैवाहिक प्रास्थिति––सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया जो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

(परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13––शारीरिक स्वस्थता––किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोश से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने मे बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की सीधी भर्ती के लिए अन्तिम रूप से

अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिशद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा मे सफल पाया जाय :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच–भर्ती की प्रक्रिया

14––रिक्तियों का अवधारण– नियुक्ति प्राधिकारी, भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सहायक अभियन्ता के पदों की रिक्तियों की सूचना आयोग को भेजी जायेगी।

15––सीधी भर्ती की प्रक्रिया–(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विहित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जायेगें।

(2)किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा तब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने पर और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का समुचित प्रतिनिधत्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतने अथ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध मे आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यार्थियों की प्रवीणता क्रम मे जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल अंक बराबर–बराबर प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामो की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकरी को अग्रसारित कर देगा।

16–आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया––सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार योग्यता के आधार पर की जायेगी।

17––सहायक अभियन्ता के पद के लिए संयुक्त चयन सूची––यदि भर्ती के किसी वर्ष की नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जानी हों तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेगें कि नियम 5 के अधीन सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने वालों का विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहना नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

18––चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया––

(1) **(क)** अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, निसमें निम्नलिखित होगें :

(एक) प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	(अध्यक्ष)
(**दो)** सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लघु सिंचाई विभाग	(सदस्य)
(तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग	(सदस्य)
(चार) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	(सदस्य)

(ख) अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेश्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें :

(एक) प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 (अध्यक्ष)
(**दो)** सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लघु सिंचाई विभाग (सदस्य)
(तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग (सदस्य)
(चार) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग (सदस्य)

(ग) मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेश्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी,िजसमें निम्नलिखित होंगं :

(एक) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार (अध्यक्ष)
(दो) प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 सरकार (सदस्य)
(तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लघु सिंचाई विभाग (सदस्य)
(चार) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग (सदस्य)

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां ''उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986'' के अनुसार तैयार करेगा और इसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे जो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः––नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायी करण और ज्येष्ठता

19––नियुक्ति––(1)उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 और 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष मे नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनो श्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा। यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय जैसे कि यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जायें तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ठ क्रम के अनुसार रखे जायेगें।

(20)––परिवीक्षा––(1) निम्नलिखित पदों पर किसी व्यक्ति को स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर––

(एक) सहायक अभियन्ता को दों वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, और

(दो) अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति में अपने अवसरो का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या संतोश प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसकी किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग मे सम्मिलित किसी पद पर किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थापन्न या अस्थायी रूप मे की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

21––स्थायीकरण––(1) उपनियम(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियमिति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि––

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(घ) और सहायक अभियन्ता के मामले में परिवीक्षाधीन व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह एक समिति द्वारा जिसकी अध्यक्षता मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा की जायेगी, आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करे, इस समिति में मुख्य अभियन्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट उक्त विभाग के दो अधिशासी अभियन्ता उसके सदस्य के रूप में होंगे। विभागीय परीक्षा का पाठ्य विवरण ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

(2) जहां, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायी करण आवश्यक न हो, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन घोशणा करते हुये यह आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायी करण आदेश समझा जायेगा।

22––ज्येष्ठता– किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा–संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात––वेतन इत्यादि

23––वेतनमान– (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :

पद का नाम	वेतनमान
1. सहायक अभियन्ता	2200–75–2800–दा0 रो0–100–4000
2. अधिशासी अभियन्ता	3000–100–3500– 25–4500
3. अधीक्षण अभियन्ता	3700–125–4700–150–5000
4. मुख्य अभियन्ता	4500–150–5700

24––परिवीक्षा अवधि में वेतन– (1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी परिवीक्षाधिनी व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोशप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जहां विहित हो वहां प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोश प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई हो तो इस प्रकार बढाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोश प्रदान न कर सकने के करण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई हो तो इस प्रकार बढाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25––दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड––किसी सहायक अभियन्ता को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगा जब तक कि उसने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक न पूरा कर लिया हो, और विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण न कर ली हो, उसका कार्य और आचरण संतोशजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग–आठ––अन्य उपबन्ध

26––पक्ष समर्थन– –किसी पद पर या सेवा मे लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफरिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौलिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

27––अन्य विषयों का विनियमन–– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ठ रूप से इस नियमावली या विशेष आदेश के अन्तर्गत न आते हैं, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू नियमो, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगें।

28––सेवा की शर्तों मे शिथिलता–– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले मे लागू नियमों में

किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

29––व्यावृत्ति––इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिश्ट
{ नियम 4(2) देखिये }

	स्थायी	अस्थायी	योग
समूह ''ख'' के पद––			
सहायक अभियन्ता	102	21	123
समूह ''क'' के पद––			
अधिशासी अभियन्ता	22	15	37
अधीक्षण अभियन्ता	4	2	6
मुख्य अभियन्ता	1	–	1

आज्ञा से,
विनोद मल्होत्रा
सचिव

उत्तरांचल शासन
लघु सिंचाई विभाग
संख्या/645/।।(2)–2006–01(19)/2006
देहरादून दिनांक 22 सितम्बर, 2006

अधिसूचना संख्या–643/।।(2)–2006–01(19)/2006, दिनांक 22–09–2006, उत्तरांचल अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली, 2006 के हिन्दु एवं अंग्रेजी रूपान्तरण की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
3– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– मण्डलायुक्त, पौड़ी एवं नैनीताल।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को असाधारण गजट के प्रकाशनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया 500 प्रतियाँ लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराये।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

लघु सिंचाई विभाग
संख्या/643/।।(2)–2006–01(19)/2006
देहरादून दिनांक 22 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तरांचल, लघु सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली, 2006

भाग–एक–सामान्य

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल अभियन्त्रण सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– सेवा की प्रास्थिति –

लघु सिंचाई विभाग की उत्तरांचल अभियन्ता सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह "क" और "ख" के पद समाविष्ट है।

3– परिभाषायें– जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत है।

(ख) "आयोग" से "उत्तरांचल लोक सेवा आयोग" अभिप्रेत है।

(ग) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है।

(घ) "राज्यपाल" से उत्तरांचल का राज्यपाल अभिप्रेत है।

(ड) "सरकार" से उत्तरांचल की राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(च) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(छ) "सेवा" से उत्तरांचल अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग अभिप्रेत है।

(ज) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ध) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ हाने वाली बाहर मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो, संवर्ग

4– सेवा की सदस्य संख्या –

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की वर्तमान सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम(1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न किये जाये, निम्नवत् होगी।

पदनाम	संख्या

1–	सहायक अभियन्ता	31
2–	अधिशासी अभियन्ता	08
3–	अधीक्षण अभियन्ता	03
4–	मुख्य अभियन्ता	01

परन्तु,

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल, समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–तीन, भर्ती

5– भर्ती का श्रोत– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात :–

(1) सहायक अभियन्ता –

(क) 40.67 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से कृषि, सिविल और यांत्रिक अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखने वालों का उस रीति से कि सीधी भर्ती में उनका अनुपात क्रमशः 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत हो,

(ख)(एक) 50 प्रतिशत पद पर पदोन्नति द्वारा, जिसमें मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,

(दो) 9.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं में से जो सिविल या यांत्रिक या कृषि अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखते हों या इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया), (यान्त्रिक या सिविल ब्रॉच) के एसोसिएट मेम्बर हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अब कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति द्वारा भर्ती को इस प्रकार विनियमित कर सकता है कि पदोन्नति के लिए विहित प्रतिशत बना रहे।

(2) अधिशासी अभियन्ता –

मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सहायक अभियन्ता के रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा,

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

(3) अधीक्षण अभियन्ता –

मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी अभियन्ताओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पन्द्रह वर्ष की कुल सेवा (जिसमें अधिशासी अभियन्ता के रूप में कुल छः वर्ष की सेवा सम्मिलित हो) पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा,

(4) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई (स्तर–2)–

मौलिक रूप से नियुक्त लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 25 वर्ष की सेवा (जिसमें अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा सम्मिलित हो) पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

6– आरक्षण –

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

भाग–चार––अर्हतायें

7– राष्ट्रीयता–

सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगान्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया जो :

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह और कि श्रैणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक (अभिसूचना) उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक वर्ष के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जा सकेगा, जबकि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी –

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकेगा कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा या उनके पक्ष में जारी कर दिया जायेगा।

8–आयु–

सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

9–शैक्षिक अर्हता –

सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :–

पद	अर्हता
सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सिविल या यांत्रिक अभियन्त्रण या कृषि अभियन्त्रण में स्नातक उपाधियां या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए या उसने इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) से सिविल या यांत्रिक अभियन्त्रण में सैक्सन "ए" और "बी" में एसोशियेट मेम्बर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,

10– अधिमानी अर्हतायें –

ऐसे अभ्यर्थी को जिसने (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्टीय कैडिट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती में अधिमान दिया जायेगा।

11– चरित्र–

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12–वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

13–शारीरिक स्वस्थता–

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–3 अध्याय–3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच, भर्ती की प्रक्रिया

14–रिक्तियों की अवधारणा–

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली, रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

15–सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझें, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठयक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

16– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

सहायक अभियन्ता (सिविल) या सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 2003 के अनुसार की जायेगी।

17–सहायक अभियन्ता के पद के लिए संयुक्त चयन सूची–

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जायेगी कि नियम 5 के अधीन विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

18–चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया–

(1)(क) अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखि होंगे :–

(एक)	प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
(दो)	प्र0स0/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन,	सदस्य
(तीन)	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल	सदस्य
(चार)	विभागीय प्र0स0/सचिव द्वारा नामित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य

(ख) मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक)	प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
(दो)	प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन,	सदस्य
(तीन)	प्र0स0/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन,	सदस्य

(चार)	विभागीय प्र0स0/सचिव द्वारा नामित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां "उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003" के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की सूची भर्ती के समय प्रवृत सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19–नियुक्ति–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 और 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों स्रोतों द्वारा की जानी है, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं तो एक संयुत आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में हैं, जिससे उन्हें पदोननति किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नियम 17 निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

20– परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यह परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यह उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवाओं को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

21–स्थायीकरण–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय, कि यह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है,

(घ) और सहायक अभियन्ता के मामले में परिवीक्षाधीन व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह एक समिति द्वारा जिसकी अध्यक्षता, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा की जायेगी, आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करें। इस समिति में मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट उक्त विभाग के दो अधिशासी अभियन्ता सदस्य के रूप में होंगे। विभागीय परीक्षा का पाठ्य विवरण ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया हो।

(2) जहाँ उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन घोषणा करते हुए कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझाा जायेगा।

22–ज्येष्ठता–

(1) एतद्पश्चात की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तरांचल सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इस आदेश के जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है, तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है, तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहें।

परन्तु उपबन्ध यह है कि :

(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती हे, वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।

(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार

नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी, यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(3) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाती है, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गई है।

भाग सात– वेतन इत्यादि

23–वेतनमान–

(1) सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान व पदों की संख्या निम्नानुसार होंगे :–

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
समूह "ख" के पद			
1	सहायक अभियन्ता	8000–275–13500	31

समूह "क" के पद			
2	अधिशासी अभियन्ता	10000–325–15200	08
3	अधीक्षण अभियन्ता	12000–375–16500	03
4	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	16400–450–20000	01

24– परिवीक्षा अवधि में वेतन–

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने प्रशिक्षण की अवधि को सम्मिलित करते हुए एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उर्त्तीण कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो–

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा–

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

25–पक्ष समर्थन–

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा।

किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26–अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27–सेवा की शर्तों में शिथिलता–

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त करने या शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

28–व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से
पी0के0 महान्ति
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no 643/II-2006-019(19)/2006 dated September 22, 2006 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
MINOR IRRIGATION DEPARTMENT
NO. 643/II-2006- 01(19)/2006
Date Dehradun, September,2006

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution of India " and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Service of –Engineers, Minor Irrigation.

The Uttaranchal Service of Engineers Minor Irrigation Department, Rules, 2006

Part- 1- General

1. Short title and commencement :-

(1) These rules may be called The Uttaranchal Service-of –Engineers, Minor Irrigation Department Rules, 2006"

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service:

The Uttaranchal-Service of Engineers Minor Irrigation Department is a State Service, comprising group "A" and "B" posts.

3. Definition

In these rules, unless there is any thing repugnant, in the subject or context;

(a) "Appointing Authority" means Governor";

(b) "Commission" mean The uttaranchal Public Service Commission;

(c) " Commission" means constitution of India;

(d) "Government" means the State Government of Uttaranchal;

(e) "Governor" means the Governor of the Uttaranchal;

(f) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the respective cadre of the service;

(g) "Service" means the Uttaranchal Service of Engineers, Minor Irrigation Department;

(h) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post, in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules; and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed, for the time being, by executive- instructions, issued by the Government;

(i) "Year of recruitment" means a period of 12 months commencing from the 1st day of July of a calendar year.

Part II – CADRE

4- Cadre of the Service: -

(1) The Strength of the service and of each category of posts there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Strength of the service and each category of posts therein shall, unless orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below:-

Name of post	No. of post
1- Assistant Engineer	31
2- Executive Engineer	08
3- Superintending Engineer	03
4- Chief Engineer	01

Provided that:

(a) The Governor may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(b) The Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

PART III- RECRUITMENT

5- Source of Recruitment-

Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources, namely :-

(1) Assistant Engineer :-

(a) 40.67% of posts through commission, in the Agriculture, Civil and Mechanical cadre, who possess an Bachelor's Degree or an equivalent Degree, from a recognised-institution, having a proportion of direct recruitment of 50%, 30% and 20% respectively.

(b)(i)50% posts shall be filled in by promotion amongest substantively appointed Junior Engineer, who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment.

(ii) 9.33% posts Shall be filled in by promotion from amongst such substantively appointed Junior Engineers, who possess Bachelor's Degree in Civil or Mechanical, or Agriculture or an equivalent Degree from a recognized institution or is an Associate Member of Institution of Engineers (India) (Civile or mechanical Engimeering Branch) and who have completed three years service, as such, on the first day of year of recruitment.

Provided that the appointment authority may regulate the recruitment by promotion in any year of recruitment in such manner that the prescribed percentage for promotion is maintained.

(2) Executive Enginee:-

By promotion from amongst the substantively appointed Assistant Engineers who have completed seven years service on the first day of the year of recruitment.

Provided that, if eligible candidates are not available for promotion, the field of eligibility may be extend to include such in any year of recruitment then the posts will be filled by from amongst substantively appointed Assistant Engineers (Minor irrigation) who have completed five years service as such, on the first day of the year of recruitment.

(3) Superintending Engineer:-

By promotion from amongst the substantively appointed Executive Engineers, who have completed fifteen years service (including at least six years service as Executive Engineer), on the first day of the year of recruitment.

(3) Chief Engineer (Level-2):-

By promotion from amongst the substantively appointed Superintending Engineers, Minor Irrigation who have completed 25 years service (including atleast 3 years service as Superintending Engineer), on the first day of the year of recruitment.

6- Reservation-

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other Categories Shall be made in accordance with the orders of Government in force at the time of the recruitment.

Part IV- Qualifications

7- Nationality:-

A candidate, for direct recruitment to a part in the service must be:-

(a) A citizen of India or

(b) A Tibetan refugee, who came over to India, before 1st January 1962, with the intention of permanently settling in India or

(c) A person of Indian origin, who has migrated form Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East- African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar), with the intention of permanently setting in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided also that if a candidate belongs to category 'b' or 'c', it will be expected that he obtains an eligibility certificate from Deputy Inspector General (Intelligence) of Police Department of Government.

Provided also that, if a candidate belongs to category 'c' above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year, and the retention of such a candidate, in service, after a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note: – A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview, he may also be provisionally appointed, subject to the necessary certificate, being obtained by him or issued in his favour.

8. Age

A candidate for direct-recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more then 35 years, on the first day of July of the calendar year, in which vacancies, for direct recruitment are advertised by the commission.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time shall be more by such number of years as may be specified.

9. Academic qualification:-

A candidate for direct recruitment to the posts in the service must posses the following qualification"-

Post	Qualification

Assistant Engineer, Minor Irrigation	A candidate for direct recruitment must possess a degree in Civil or Mechanical Engineering or Agricultural Engineering or an equivalent degree form an institution or an university recognised by the Governemtn or be a qualified Associate member in section "A" and "B", of the Institution-of-Engineers (India), Civil Engineering branch or Mechanical Engineering branch as the case may be.

10. Preferential qualification:-

A candidate who has served in the territorial army, for a minimum period of Two years of obtained a "B" certificate on National Cadet Corps things being equal will be given preference in direct recruitment.

11. Character:-

The character of a candidate for direct recruitment must be such as to render him suitable in all respect for employment in government service. Appointing Authority will ensure him self in this respect.

Note:- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment, to any post, in the service. Person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital status:-

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having wife shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the Government may if satisfied that there exist special ground so exempt any person from the operation for the rule.

13. Physical Fitness:-

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required:

(a) In the case of Gazetted post or service to pass an examination by Medical Board:

(b) In the case of other posts in the service to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10 contained in chapter III of the Financial Hand Book Volume II part III.

Provide that a medial certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V-PROCEDURE OF RECRUITMENT

14. Determination of vacancies

The Appointing Authority shall determine and number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for a candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Thrives, Backward Classes and other categories, under rule 6 and shall intimate to the commission.

15. Procedure for Direct Recruitment

(1) Appliction for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the commission in the prescribed proforma published in the advertisement issued by the commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the commission.

(3) After the results of the examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Others under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(5) The commission shall prepare a list of candidates in order of there proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the writtenl examination and interview and recommended such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtained equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written/practical examination shall be placed higher in the list. The number of names in the lists shall be more (but not more than 25%) than the number of vacancies. The Committee shall forward the list to the appointing authority.

Note:- The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may prescrive by the Commission from time to time.

16- Procedure for Recruitment by Promotion.

Recruitment by promotion to the post of Assistant Engineer (Civil) or. Assistant Engineer (Mechanical) shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with "The Uttaranchal Promotion by selection, in consultation with public service Commission (Procedure) Rules 2003", as amended from time to time.

Provided that if two or more cadres are in identical scales of pay the names of the candidates, in the eligibility list, shall be arranged, according to the date of order ot their substantive appointment.

17. Combined Select List for the post of Assistant Engineer

If any year of recruitment, appointments are made both by direct recruitment and by promotion a combined list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists under rule 5 in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

18. Procedure of Promotion through selection committee:-

(1)(A)Recruitment by promotion to the post of Executive Engineer and Superintending Engineer shall be made on the basis of seniority, subject to rejection of unfit through a selection committee, comprising:-

(i)	Principal secretary/secretary, Minor Irrigation Department Govt. of Uttaranchal	-	Chairman
(ii)	Principal secretary/Secretary, Personnel Department Govt. of Uttaranchal	-	Member
(iii)	Chief Engineer and Head of Department Minor Irrigation, Uttaranchal	-	Member
(iv)	Nominated by the Departmental Principal Sec./Sec. One representative of Scheduled Caste and Schedule Trebe	-	Member

(B) Recruitment to the post of Chief Engineer-Level-II, shall be made on the basis of merit cum seniority through a Selection Committee Comprising :

(i)	Chief Secretary to the Government of Uttaranchal	-	Chairman
(ii)	Principal Secretary/ Secretary to the Govt of Uttaranchal Minor Irrigation Department.	-	Member
(iii)	Principal Secretary/Secretary to the Govt. of Uttaranchal in Personnel Department	-	Member
(iv)	Nominated by the Departmental Principal Sec./Sec. One representative of Schedlue Caste & Schedule Tribe	-	Member

(2) Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates in accordance wit " the Uttaranchal Promotion by Selection (on posts, outside the preview of the public Service Commission) Eligibility, list Rules 2003" and place the same before the selection committee along with their character roles & such other record , pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The selection committee shall consider the cases of the candidates, on the basis of the records, as referred to in sub-rule (2) and take the interview of the candidates, if considered neccessary.

(4) The selection committee will prepare a list of selected candidates as per guidelines of government at the time of recruitment and the same will be forwarded to Appointing Authority.

PART-VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

19. Appointment:

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Appointing Authority shall make appointment, by taking the names of candidates, in the order in which they stand, in the lists, prepared under rule 15, 16, 17 and 18, as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made, both, by direct recruitment and by promotions regular appointments shall not be made, unless selection is made, from both the sources; and a combined list is prepared, in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in rule 17.

20. Probation:

(1) A person, substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation, in individual cases specifying the date upto which the extension is granted;

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and on no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority, at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation, that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if not holding a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted to substantive post or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow, continuous rendered service, either in an officiating or temporary capacity, in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

21. Confirmation-

(1) A probationer shall be confirmed, in his appointment, at the end of probation or the extended period of probation, Subject to sub-rule(2): if:-

(a) His work and conduct are reported to be satisfactory.

(b) His integrity is certified.

(c) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(d) In the case of Assistant Engineers the probationer is expected to pass the departmental examination, conducted by a committee, under the Chairmanship of Superintending Engineer, Minor Irrigation. Two Executive Engineers as nominated by Chief Engineer will be the members of this committee. The syllabus of the Departmental examination will be such as prescribed by uttaranchal Government from time to time.

(2) Where in any case confirmation is not necessary, as per provision of the Uttaranchal State Government Servants Confirmation Rules, 2002, the declaration, made under sub rule(3) of rule 5 to the effect the probation period bas been successfully completed, will be treated as the order of confirmation.

22. Seniority:

(1) The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the " The Uttaranchal Government Servants Rules, 2002. If two or more persons are appointed together by such order in which their names are arranged in the appointment order the seniority of persons in any category of post shall be determined from the date of the order.

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date, will be deemed to be the date if order of substantive appointment and, in other cases, it will mean the date of issue of the order:

(2) The seniority interse of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the commission or,as the case may be, by Selection Committee:

Provided that, a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the Appointing Authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The seniority interse of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from, which they were promoted.

(4) Where appointment are made both by promotion and direct recruitment or from more then one source and the respective quota of the sources is prescribed, the interse seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with Rule 17, in such manner that the prescribed percentage is maintained.

Provided that-

(1) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(2) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(3) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies quota.

PART-VII- Pay etc.

23. Scales of Pay

(1) The scales of pay admissible to a persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive of officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government, from time to time.

(2) The Scales of pay and posts, at the time of the commencement of these rules, are shown below:-

SI.No.	Name of Post	Pay Scale (Rs.)	No. of Post
Post of Group B			
1	Assistant Engineer	8000-275-13500	31
Posts of Group A			
2	Executive Engineer	10,000-325-15200	8
3	Superntending Engineer	12,000-375-16500	3
4	Chief Engingeer Level-2	16,400-450-20,000	1

24. Pay during probation:

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary a person on probation if he is not already in permanent gvernment service shall be allowed his first increment in the time-scale, when he has completed one year of satisfactory service including period of training and has passed the departmental examination; and second increment, after two years satisfactory service, where he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who has already holding a post, under the Government, shall be regulated, by the relevant Fundamental Rules, applicable to Government Servants generally governing in connection with the affairs to the state.

(3) The pay, during probation of a person who is already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules applicable to government service generally governing in connection with the affairs of the State.

PART VIII -OTHER PROVISIONS

25. Canvassing-

No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt, on the part of a candidate to enlist support, directly or indirectly, for his candidature will disqualify him for appointment.

26. Regulation of other matters:

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders; persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulation and orders applicable generally to Government Servants, serving in connection with the affairs of the State.

27. Relaxation in the conditions of service:

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of person, appointment to the service causes undue-hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order dispense with or relax the requirements of that rule, to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary; for dealing with the case; in a just and equitable manner.

Provided that where a rule has been framed, in consultation with the commission, that commission shall be consulted before the requirement of the rules is dispensed with or relaxed.

28. Savings:

Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions, required to be provided, for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the order of the Government issued from time to time, in this regard.

By Order,

(P.K. Mohanti)
Secretary

सभी सम्वर्ग की नियमावलियां विभाग की वैबसाइट **www.minorirrigation.uk.gov.in** पर **Acts and Rules** के अन्तर्गत उपलब्ध है।

संख्या–ए–2–1602/दस–95–24(14)/95

प्रेशक,

श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण/सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–अन्य समस्त विभागाध्यक्ष।

वित्त(लेखा) अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 01 जून, 1995**

विषय :– वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रति निधायन की समीक्षा हेतु गठित कोष्ठक की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकार उनके द्वारा अंकित अधिकारियों को प्रतिनिहित करते हैं।

2– – उक्त प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और जो विशेष मुद्दे अनुलग्नक में सम्मिलित हैं, उनके बारे मे कालम–5 में अंकित पूर्व प्राधिकार तद्नुसार संशोधित/निरस्त समझे जायेंगे।

3– – वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, द्वितीय संस्करण (31 दिसम्बर, 1985 तक संशोधित) के सम्बन्धित विवरण पत्र अनुलग्नक के अनुसार संशोधित समझे जायेंगें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार वर्मा,
संयुक्त सचिव

संख्या–ए–2–1602(1)/दस–95–24(14)/95, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहबाद।
3. निदेशक, कोशागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार वर्मा,
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या संख्या–ए–2–1602/दस–95–24(14)/95, दिनांक 01 जून, 1995 का अनुलग्नक

क्र0 सं0	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसामायें
2 (ख)	रू0 2.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के अल्पाकालीन सूचना सम्पादित कराने के लिए निविदा सूचना स्थानीय पत्रों में देने हेतु	प्रभागीय अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग।	**विवरण पत्र II–मुद्रण सम** किसी एक मामले में 500 रू0 की यह है कि इस प्रकार छपाया गया क **टिप्पणी–** सूचना निदेशक, उ0प्र0 समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया अधिकारी द्वारा बिलों का सत्यापन क
5	शजरा और खसत के लिए अनुमान स्वीकृत करना	1–अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग। 2–प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग।	**विवरण पत्र–VIII–प्रकीर्ण आ** 1–आय व्ययक मे निर्दिष्ट धनरा अधिकार। 2– रू0 20,000 की सीमा तक।
9	स्थायी अधीनस्थ और अस्थायी अथवा कार्य प्रसारित (वर्कचार्ज्ड) अधिश्ठान के सदस्यों को उचन्त (इम्प्रेस्ट) स्वीकृत करना	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा।	**विवरण पत्र–XI–अग्रिम ध** विभागीय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अन्य मामलों में उस सीमा तक जाय, किन्तु अधिकतम रू0 2,000 त संग्रह खण्ड–5 के पैरा 166 और 16 अधीन
8	जब स्वीकृत अनुदान मे विशिश्ट व्यवस्था मौजूद हो, कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग रखे जाने की स्वीकृति देना		**विवरण पत्र–XIII–अस्थायी** इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया ज

	भवनों के निर्माण के लिए चुने गये स्थानों पर स्थित हरे या सूखे वृक्षों की सार्वजनिक नीलामी द्वारा काटने की स्वीकृति प्रदान करना	1–अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग 2–अधिशासी अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	**<u>विवरण पत्र––XVI–भूमि तथा भवन</u>** 1–पूर्ण अधिकार 2–रू010,000 तक टिप्पणी–– वन संरक्षण अधिनियम तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के प्राविधानों को ध्यान मे रखा जाय।	का0 ज्ञाप संख्या 74 सी0पी0 / तेईस पी0डब्ल्यू0सी0 आई0सी0वी0 –1959 दिनांक 16.04. 1960 शा0सं0–ए–2 –1913 / दस –14 (16) / 72 दिनांक 12.09. 73

1 (क)	मूल निर्माण कार्यों के लिए परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना	1–विभागाध्यक्ष (अभियन्त्रण विभागों के अतिरिक्त)	**<u>विवरण पत्र––XVII–निर्माण कार्य</u>** 1–धार्मिक तथा पुरातत्व सम्बन्धी भवनों तथा विद्यमान आवासीय भवनों मे सुधार तथा विशेष मरम्मतों के अुनबन्धों को अपवादस्वरूप छोड़कर, किसी एक मामले में रू0 15.00 लाख तक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन–– (1) यह कि आवासिक भवन शासन द्वारा स्वीकृत मानक डिजाइन के अनुसार निर्मित किये जायेंगे और यह कि निर्माण की लागत उनसे सम्बन्धित अनुज्ञेय वित्तीय सीमाओं, या समय–समय पर शासन द्वारा नियत की गई नयी सीमाओं से अधिक नहीं होगी। यह भी है कि निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि शासन द्वारा उसके व्यय की स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। (2)आवासिक भवनों मे बिजली लगाने का व्यय फन्डामेन्टल रूल्स तत्सम्बन्धी विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये	शा0सं0–ए–3 407 / दस–85 , दिनांक 9 दिसम्बर 1985

	गूल निर्माण कार्य और विस्तार अथवा किसी उच्चतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल सहायक निर्माण कार्यों के लिए सामान्य परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य के निमित्त ब्योरेवार अनुमानो की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना	2––मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग /ग्रा0अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई 3–अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/सिंचाई विभाग /ग्रा0अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग 1–अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग	और उसमें फिटिंग्स की मात्रा रूल्स के अनुसार होनी चाहिये। (3) अनुमान में स्थायी आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चहिये जो योजना के अनुरक्षण के लिए जब वह पूरी हो जाय, अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न वर्गों के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिए अनुमन्य हो। (4)ऐसे आवासिक भवन (स्थाई या अस्थाई दोनो प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नही बनाये जायेगें जो लोक निर्माण विभागों की एक स्थलीय (पूल्ड) आवास योजना के अन्तर्गत आते हों। (5) डाक बंगले/रेस्ट हाऊस का निर्माण करते समय अन्य डाक बंगलों से निकटता का सिद्धान्त का दृढता से पालन किया जायेगा और उनके निर्माण के लिए शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। (6) गाड़ियों के लिए (हल्की तथा भारी दोनो प्रकार की) व्यवस्था शासन द्वारा अनुमोदित सुख्या (स्केल) के अनुसार की जायेगी और क्रय के लिए आदेश देने से पहले उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।	
		2– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	2––उपर्युक्त–1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू0 2.00 करोड़ तक।	
			3––उपर्युक्त–1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू0 1.00 करोड़ तक।	
			1––निम्नलिखित मामलों मे	

			मुख्य अभियन्ता के पूर्व अनुमोदन के अधीन रू0 1. 00 करोड़ की सीमा तक (1) ऐसे नये अथवा वर्तमान जल मार्गों से, जिनका जल निस्सारण शीर्श पर 1000 क्यूसेक से अधिक हो नदी नियन्त्रण के शीर्श कार्य सम्बन्धी निर्माण कार्य (2) एसे वर्तमान जल मार्गों के, जिनका जल निस्तारण शीर्श पर 500 क्यूसेक से अधिक हो, निर्माण अथवा कार्य में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य (3) एसे जल मार्गो के निकट, जिनका जल निस्सारण 1000 क्यूसेक अथवा उससे अधिक हो, नई चिनाई सम्बन्धी (मसीनरी) निर्माण कार्य अथवा वर्तमान कार्यों मे परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य (4) किसी ऐस जल मार्ग के, जिसका क्षेत्र एक से अधिक वृत्त मे व्याप्त हो, लम्बकाट मे परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य (5) ऐसी वर्तमान जल मार्ग प्रणालियों में परिवर्तन जिनमे वर्तमान जल मार्गों के प्राधिकृत जल निस्सारण में वृद्धि होती हो अथवा ऐसे अतिरिक्त जल मार्गों का निर्माण जिनमें नहर के प्राधिकृत जल निस्सारण मे वृद्धि करने की आवश्यकता हो। (6) किसी डाक बंगले, आवास अथवा कार्यालय से सम्बन्धित निर्माण कार्य जिसकी लागत 10000 रू0 से अधिक हो। टिप्पणी––अधीक्षण अभियन्ता किसी ऐसी परियोजना को स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं है, जो विस्तार के बिना अपूर्ण रहती हो, किन्तु जो विस्तार सहित होने पर उसकी स्वीकृति के अधिकार से बाहर हो जाती हो। उसी प्रकार वह	

			अनुमानों को खण्डो में स्वीकृत नहीं करेगा, जिसके एक साथ होने पर उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित है। 2–रू0 40.00 लाख की सीमा तक विभागीय मैनुअल मे उल्लिखित शर्तों के अधीन	
(5)	निर्माण कार्यों के ब्यौरे वार अनुमानों / अनुपूरक अनुमानों / पुनरीक्षित अनुमन्यों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना	1–मुख्य अभियन्ता लो0नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग 2–अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लो0नि0वि0, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा / लघु सिंचाई 3–अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक लो0नि0विभाग 4–अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग, अधि0 अभि0 ग्रा0 अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग 5–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग	1– पूर्ण अधिकार 2– रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक। 3– रू0 20.00 लाख की सीमा तक 4– रू0 40.00 लाख की सीमा तक 5– रू0 4.00 लाख की सीमा तक	–तदैव–
5 (क)	स्वीकृत मूल आगणन मे हुये व्ययाधिक्य की स्वीकृति प्रदान करना।	1–अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग 2–अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग 3–मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग 4–प्रशासकीय विभाग, लो0नि0विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग	5 प्रतिशत की सीमा तक 5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे– 1–व्ययाधिकार या अनुमानित वृद्धि केवल	

			निर्माण सामग्री एवं श्रम के मूल्य से पूर्णतया सम्बन्धित हैं। 2—व्ययाधिक्य के समायोजन के लिए बजट प्राविधान मे बचत उपलब्ध हो। 3—व्ययाधिक्य को केवल एक बार समायोजित करने का अधिकार होगा और यदि उसके बाद भी व्यया धिक्य होता है तो उसके लिए शासन से संशोधित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	
5 (ख)	स्वंय उसके द्वारा अथवा उच्चतर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत मूल अनुमान के ऊपर बढ़ती स्वीकृति करना।	1—अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग 2—अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग 3—मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग 4—प्रशासकीय विभाग, लो0नि0विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग	5 प्रतिशत की सीमा तक 5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक 15 प्रतिशत से अधिक उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :— (1) स्वंय या उच्च अधिकारी द्वारा मूल स्वीकृत प्राक्कलन के ऊपर बढती की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकेगी कि कुल अधिकता की धनराशि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के उनके अधिकार की सीमा तक है। (2) किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान की कोई बढती धनराशि स्वीकृति करने का अधिकर अधीनस्थ प्राधिकारी को न होगा। जब बढती निर्माण की ऐसी उन्नत अवस्था मे स्थित हो जिससे कि पुनरीक्षित अनुमान का प्रस्तुत करना	

	स्वीकृत अनुमानों मे प्रासंगिक व्यय के लिए की गयी व्यवस्था को किसी ऐसे अतिरिक्त/ नये कार्य या मरम्मत व्यय को पूरा करने के लिए परिवर्तित करना, जिसके लिए अनुमान में कोई व्यवस्था न की गयी हो।	1–अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रा0 अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग 2–अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक लोक निर्माण विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग 3–अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0 अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग 4–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग	प्रयोजन रहित हो जाता हो और बढती का स्पष्टीकरण कार्य समाप्ति सूचना में (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 6 के प्रस्तर 398 के अधीन) कर दिया हो, कार्य समाप्ति सूचना पारित करने के उसके अधिकार पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करने के उसके अधिकारों के समरूप ही होंगे। टिप्पणीः–(1) अधीक्षण अभियन्ता स्वीकृत मूल निर्माण कार्यों और मरम्मत पर रू0 500 की सीमा के अन्दर अधिक व्यय भी स्वीकृत अनुमान की कुल धनराशि पर विचार किये बिना पारित कर सकता है। (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–6 का प्रस्तर 398) (2) किसी अधीक्षण अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता को किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान से कोई भी अधिक धनराशि स्वीकृत करने का कोई अधिकार न होगा। 1–– पूर्ण अधिकार 2–– रू0 25000 की सीमा तक 3–– रू0 15000 की सीमा तक 4–– रू0 10000 की सीमा तक	
5 (ग)	विशेष मरम्मतः– विशेष मरम्मतों के अनुमानों के प्राविधिक स्वीकृति	1–अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग 2–अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग	1– पूर्ण अधिकार 2– पूर्ण अधिकार टिप्पणीः– यदि ऐसे मरम्मत से मुख्य नहर अथवा शाखा, जहां कुल जलपूर्ति	

		3–अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0 अभिंयंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग। 4–अधिशासी अभियन्ता (प्रभागीय अधिकारी) सिंचाई विभाग	1000 क्यूसेक से अधिक हो, को डिजाइन मे परिवर्तित होता हो अथवा यदि ऐसी मरम्मत से किसी जलमार्ग की पूर्ण जलपूर्ति निकासी में वृद्धि हो, तो मुख्य अभियन्ता को पूर्व स्वीकृति के अधीन। 3–प्रत्येक अनुमान के लिए रू0 2.50 लाख तक आवासिक भवनों के मामलों को छोडकर।	
21	आवासिक भवनों के लिए बिजली सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।	4–रू0 2.50 लाख की सीमा तक सिवाय निम्नलिखित मामलों के जिनमें अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति आवश्यह होगी :– 1––ऐसे निर्माण कार्यों अथवा मरम्मतों के लिए जिनमे 200 क्यूसेक से अधिक अथवा उससे कम जल ले जाने वाले जल मार्ग की डिजाइन में परिवर्तन होता हो, प्रभागीय अधिकारी अनुमान स्वीकृत करने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता को प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेंगें। 2––नहरों, उसकी उपशाखाओं मे दरार पड़ने के कारण नष्ट हुई फसल के लिए 1000 रू0 से अधिक का मुआवजा। 3––किसी डाक बंगले, रहने के मकान अथवा कार्यालय की विशेष मरम्मत जो 1000 रू0 से अधिक होती हो, अथवा उस भवन की डिजाइन मे या ऐसे भवन के उपयोग में कोई परिवर्तन होता है।	–तदैव–
22	गैर आवासिक भवनों में बिजली सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान	1–मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभिंयंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग 2–अधीक्षण अभियन्ता, सिविल व विद्युत/यांत्रिक, लो0नि0विभाग तथा	1– रू0 1.50 लाख की सीमा तक। 2– रू0 50000 की सीमा तक।	–तदैव–

	करना	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग 3–प्रशासकीय विभाग	3– पूर्ण अधिकार	
24	भवनों के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि के प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना	1–अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई 2–अधिशासी अभियन्ता, सिविल व कार्य अधीक्षक, लो0नि0विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभिंयत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग	1– पूर्ण अधिकार 2– रू0 2.00 लाख की सीमा तक	–तदैव–
28	सूखा सहायता कार्यों के लिए प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना	1–मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभिंयत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग 2–अधीक्षण अभियन्ता, सिविल व विद्युत / यांत्रिक, लो0नि0विभाग तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग 3– अधिशासी अभियन्ता, सिविल व कार्य अधीक्षक, लो0नि0 विभाग। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभिंयत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग 4–मण्डलों के आयुक्त	1– पूर्ण अधिकार 2– रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक 3– रू0 40.00 लाख की सीमा तक 4– रू0 1.00 लाख की सीमा तक सामान्य दरो पर लागत की सीमा	–तदैव–
30	निक्षेप कार्यों के निश्पादन की स्वीकृति प्रदान करना	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग	पूर्ण अधिकार, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 6 के पैरा 392 तथा 633 से 636 तक में दी हुई प्रक्रिया अपनाई जाय।	–तदैव–
विवरण पत्र –– XVIII––ठेके और टेण्डर				
2–	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य से अथवा उसके किसी एक भाग के निश्पादन के लिए टेण्डर स्वीकृत करना	1–मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 2–अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 3–अधिशासी अभियन्ता, सिविल व कार्य अधीक्षक,	1– पूर्ण अधिकार 2–पूर्ण अधिकार परन्तु रू0 1.00 करोड़ से अधिक के कार्य में मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	शा0सं0–बी0ए ण्डआर0 766–ई / 190–ई–19 36, दिनांक 07.10.1937 शा0सं0–ए–1 –3431 / दस –14(9)1961, दिनांक 12.09.

		लो0नि0वि0, अधिशासी अभियन्ता / प्रभागीय अधिकार, सिंचाई विभाग 4–अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 5–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत / यांत्रिक, लो0नि0वि0 6–सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 7–मुख्य विद्युत निरीक्षक	3– रू0 40.00 लाख की सीमा तक 4– रू0 20.00 लाख की सीमा तक। 5– रू0 2.00 लाख की सीमा तक। 6– रू0 2.00 लाख की सीमा तक। 7–रू0 50000 की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि क्रमांक 1 से 5 की दशा में अधिकार उस धनराशि तक सीमित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुमान की धनराशि और उसके साथ ऐसी बढ़ती जोड़कर होती हो, जिससे नियमों के अधीन स्वीकृत करने के लिए वे प्राधिकृत हो और क्रमांक 6 व 7 की दशा में टेण्डर की धनराशि स्वीकृत अनुमानों की धनराशि से अधिक न हो।	1961 शा0सं0–ए–2–3148 / दस–35 –ए0सी0 1972–सा0नि0 वि0(9), दिनांक 14.12.1972 शा0सं0–2–448 / दस–14(11) /71, दिनांक 30.01.1975 शा0सं0–10368 / 38–4 / 904 (40) / 74, दिनांक 27.09.83
5	बिना बयाने की धनराशि के मार्ग निर्माण हेतु रोड मेंटल से सम्बन्धित टेण्डर अपने विवेकानुसार स्वीकार करना	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।		शा0सं0–ए–2–3143 / दस–35 –ए0सी0–1972 सा0नि0वि0(9) दिनांक 14.12.1972 तथा सं0– 10368 / 38–4 / 904(40) / 74 दिनांक 27.09.83
7	मूल मरम्मतों और कार्य के समस्त मामलों मे कार्य पूरा हो जाने पर ठेकेदार को प्रतिभूति जमाओं की आपसी स्वीकृत करना	1–अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग। 2–उप प्रभागीय अधिकार अथवा अनुभागों के प्रभारी / सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0	1–पूर्ण अधिकार 2–एसे मामलों मे जहां कार्य की धनराशि ठेके स्वीकार करने से उनके अधिकारो से अधिक न हों, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 6 के पैरा 618 के उपबन्धों के अधीन	
विवरण––XX––भण्डार और सामग्री				

10	औजारों और संयंत्र का क्रय और उनके लिए आवश्यक अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करना	1—मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभि0सेवा 2—अधीक्षण अभियन्ता व कार्य अधीक्षक सिविल / विद्युत / यांत्रिक / लो0नि0 वि0 अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभि0 सेवा 3—अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभि0सेवा 4—शासन के विद्युत निरीक्षण	1— पूर्ण अधिकार 2— रू0 1.00 लाख की सीमा तक 3— रू0 20000 की सीमा तक 4— रू0 10000 की सीमा तक	शा0सं0—सा0नि0वि0(बाई0ली) मैमो सं0 1544 / 810—ई —1937 दिनांक 10.05.1939 बी.एण्डआर. मैमो सं0 905—ई —दिनांक 13.01.1939 शा0सं0—242 —ए0 / एस—एस— तेईस—61 / एम0एस0 1952 दिनांक 14.04.1952 तथा शा0सं0 10368 / 38—4—904 (40) / 74 दिनांक 27.09.1983 शा0सं0—ए—2 —466 / दस—85, दिनांक 19 मार्च 1985
15	निर्धारित माप (स्केल) के अनुसार वस्तुओं की खरीद और उसके लिए आवश्यक अनुमान (पुनरीक्षित अनुमान सहित) स्वीकृत करना	1—अधीक्षण अभियन्ता व कार्य अधीक्षक, सिविल / विद्युत / यांत्रिक लो0नि0वि0 / अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग / ग्रा0अभि0सेवा 2—अधिशासी अभियन्ता सिविल / विद्युत / यांत्रिक, लो0नि0वि0, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभि0 सेवा 3—शासन के विद्युत निरीक्षक	1— पूर्ण अधिकार 2— रू0 5000 की सीमा तक 3— रू0 950 की सीमा तक	शा0सं0—ए—2 —1913 / दस —14 (16) / 73, दि0 16.09.73 सा0नि0वि0—894—एच—8—एच—1941, दि0 16.06.1945 सं0—10368 / 38—4 / 904(40) / 74, दि0 27.09.1983 सं0—वी—एण्ड —आर—शा0सं0— 725—ई / 163 —30 दि0 31 अगस्त 1930 सं0—90 / 171 —एम0एस0 1930 दिनांक 11 फरवरी 1931
21	औजारों और	1—अधीक्षण अभियन्ता व	1— पूर्ण अधिकार	सा0नि0वि0—8

	संयंत्र की मरम्मत और ढुलाई के लिए अनुमान स्वीकृत करना	कार्य अधीक्षक, सिविल / विद्युत / यांत्रिक लो0नि0वि0 / अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग / ग्रा0अभि0सेवा 2–अधिशासी अभियन्ता सिविल / विद्युत / यांत्रिक, लो0नि0वि0, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभि0 सेवा 3–कृषि निदेशक	2– रू0 10000 की सीमा तक 3– रू0 2000 की सीमा तक	94–एच–8–एच –1941, दि0 16.06.1945 सं0–2726–एम0एस0 / 179 – एम0एस0, दि0 14.10.1939 शा0सं0–ए–2 –1913 / दस –14 (16) / 73, दि0 19.09.73 का0ज्ञाप सं0–2719 / दो–बी– 182–54, दि0 05.08.1955 सं0–10368 / 38–4 / 904(40) / 74, दि0 27.09.1983
25 (क)	किसी भण्डार की (सामग्री, औजार और संयंत्र स्थल पर वस्तुयें और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) फालतू घोषित करना तथा नीलाम द्वारा उसका विक्रय स्वीकृत करना	1–प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0 विभाग / सिंचाई विभाग 2–मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 3–अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 4–अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण विभाग	1– पूर्ण अधिकार 2– रू0 5.00 लाख के पुस्तक मूल्य तक 3– रू0 50000 के पुस्तक मूल्य तक 4– रू0 5000 के पुस्तक मूल्य तक	सं0–वीएण्डआर–725–ई / 163– 30 दि0 30.08.1930 सं0–240–ई–1934 दि0 17.04.1935 एवं सं0–599–ई–बी0 आर0 / तेईस –पी0डब्ल्यू0ड ो088 –ई0वी0–आर –52, दिनांक 25.03.1954 सं0–ए–1–3431 / दस–14(9) / 1961 दिनांक 12.09.1961 सिंचाई मेनुअल छठा संस्करण अध्याय 5 तथा शा0सं0–894 – एच–1941, दिनांक 16.06.45
25	(1) किसी भण्डार	1–प्रमुख अभियन्ता,	1– पूर्ण अधिकार	

(ख)	को (सामग्री, औजार और संयंत्र, स्थल पर वस्तुये और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) निश्प्रयोज्य घोषित करना (2) उपर्युक्त घोषित निश्प्रयोज्य भण्डार को सार्वजनिक नीलाम द्वारा विफल करना अथवा अन्य प्रकार से नष्ट किया जान स्वीकृत करना	लो0नि0 विभाग, सिंचाई विभाग 2–मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 3–अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 4–अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 1–प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0 विभाग, सिंचाई विभाग 2–मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 3–अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 4–अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रा0 अभियंत्रण सेवा	2– रू0 10.00 लाख के पुस्तक मूल्य तक 3– रू0 1.00 लाख के पुस्तक मूल्य तक 4– रू0 10000 के पुस्तक मूल्य तक 1– पूर्ण अधिकार 2– रू0 7.00 लाख के पुस्तक मूल्य तक 3– रू0 50000 के पुस्तक मूल्य तक 4– रू0 5000 के पुस्तक मूल्य तक टिप्पणीः–(1) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इन प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग उनकी अध्यक्षता मे गठित जिला स्तरीय समिति, जिसके सदस्य क्रमशः सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जिले में तैनात वरिष्ठ सहायक अभियन्ता तथा जिला कोषाधिकारी होंगे, के माध्यम से किया जायेगा। (2) कृत कार्यवाही की सूचना अधीक्षण अभियन्ता तथा महालेखाकार, उ0प्र0 को दी जायेगी। (3) कृत कार्यवाही की सूचना अधिशासी अभियन्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता तथा महोलेखाकार, उ0प्र0 को दी जायेगी। (4) इस सम्बन्ध में शासन के विद्युत निरीक्षक एवं परिवहन आयुक्त को पूर्व से प्रतिनिहित अधिकार जिनका	

			उल्लेख निम्नवत् है, यथावत बने रहेंगें :– 1– शासन – रू0 2000 के पुस्तक मूल्य तक के विद्युत निरीक्षक 2– परिवहन रू0 10000 के पुस्तक मूल्य तक आयुक्त	
27	ऐसी सामग्री का (औजार और संयंत्र नहीं) जो न फालतू हो और न निश्प्रयोज्य हो, पूर्ण मूल्य तथा लागत पर सामान्य पर्यवेक्षक शुल्क जोडकर अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण करना	1–अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0विभाग / सिंचाई विभाग 2–अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0विभाग / सिंचाई विभाग 3–उप प्रभागीय अधिकारी व सहायक अभियन्ता, लो0नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा	1– पूर्ण अधिकार 2–किसी एक मामले में रू0 10000 के पुस्तक मूल्य तक 3–किसी एक मामले में रू0 2000 के पुस्तक मूल्य तक	सं0–वी0 एण्ड आर0–725–ई / 163– 30 दिनांक 31.08.1930 सं0–105–आई–एम / 50 वी– 50, दिनांक 05 जनवरी 1931 शा0सं0–ए–1–3421 / दस–14 (9) / 1961 दिनांक 1.2.09.61
28	औजारों और संयंत्र का विक्रय स्वीकृत करना स्टाक की सामग्री का पूर्ण मूल्य पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षक शुल्क (सुपरविजन चार्जेज) शामिल करके विक्रय स्वीकृत करना	संवा	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है	शा0सं0–बी–1447 / दस–78 – 1923, दि0 17.11.1924 या सं0–10368 / 38–4 / 904(41) / 74, दि0 27.09.1983 शा0सं0–240–ई / 183–ई – 1934, दिनांक 17.04.1935 तथा सं0–10368 / 38–4 / 904(40) / 74, दिनांक 27.09.1983
35	स्वीकृत मात्रा से अधिक परिमाण मे रेखण सर्वेक्षण (ड्राईंग सर्वेइंग) तथा गणितीय उपकरण (मैथमैटिक इन्स्टूमेन्ट्स)	1–मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग, सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा 2–अधीक्षण अभियन्ता, सिविल / विद्युत / यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियंत्रण सेवा	1–पूर्ण अधिकार 2–पूर्ण अधिकार, इस प्रतिबन्ध के साथ कि इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मुख्य अभियन्ता को भेजी जाय	शा0सं0–644 / ई / 100–ई–1935, दि0 31.03.1937 और सं0–ए–1–3431 / दस–14(9) / 1961 दिनांक 12.09.1961 सं0–10368 / 38–4 / 904(4

				0) /74, दि0 27.09.1983 सं0–ए–2–1913/दस–14(16)/73, दि0 12.09.73

वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन वर्ष 2010 एवं 2018 विभाग की वैबसाइट **www.minorirrigation.uk.gov.in** पर **Acts and Rules** के अन्तर्गत उपलब्ध है।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (उत्तराखण्ड)
कार्मिक अनुभाग (सिंचाई विभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 17/मु0अ0/उ0ख0/आर–2/उत्तरांचल दिनांक 3 जनवरी, 2001

कार्यालय ज्ञाप

शासन के आदेश संख्या 29/ल0सिं0/2000 दिनांक 23–12–2000 द्वारा उत्तरांचल में लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एवं उनके कार्यालय को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए, लघु सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष के अधिकार मुख्य अभियन्ता स्तर–।, सिंचाई विभाग को प्रदत्त किये गये हैं। अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग के अधीन कार्यरत तीनों खण्डों को अग्रिम आदेशों तक सिंचाई विभाग के निम्न मण्डलों में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशासनिक नियन्त्रण में किया जाता है :–

क्रमांक	खण्ड का नाम	मण्डल जिसके प्रशासनिक नियन्त्रण में किया गया है।
1	लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून
2	लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी	सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर
3	लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल	सिंचाई कार्य मण्डल, नैनीताल

(आर0एस0 गुलाटी)
मुख्य अभियन्ता (उत्तराखण्ड)

संख्या 17/मु0अ0/उ0ख0/कार्मिक तदिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल, देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता, गंगाघटी/यमुना/उत्तर/परिकल्प संगठन, देहरादून, हल्द्वानी, रूड़की।
4– वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5– अधीक्षण अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
6– अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
7– अधीक्षण अभियन्ता, देहरादून/श्रीनगर/नैनीताल।
8– वैयक्तिक सहायक, मुख्य अभियनता (स्तर–1)।

(आर0के0जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक)
कृते मुख्य अभियन्ता (उत्तरांचल)

प्रेषक,

श्री राम निवास शर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्वतीय विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 1979।

विषय : पर्वतीय क्षेत्र में हाईड्रम स्प्रिंकलर यूनिट्स स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्धशासकीय पत्रांक 13889/स्था–3/78–79, दिनांक 17 नवम्बर, 1978 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में हाईड्रम स्प्रिंक्लर की उपयुक्तता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र के आठों जिलों में विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग द्वारा स्थापित की गई हाईड्रम स्प्रिंक्लर की ईकाइयों का अनुरक्षण तथा नई ईकाइयों को लगाने का कार्य लघु सिंचाई विभाग को सौंपा जाये। अतः राज्यपाल महोदय इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में नियुक्ति की तिथि से 28 फरवरी, 1979 तक के लिए, यदि इसके पूर्व बिना पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, परिशिष्ट–1 व 2 में मण्डलवार तथा जिलावार स्वीकृत किये जा रहे, अस्थायी पदों, उनकी संख्या तथा उनके सम्मुख दिये गये वेतनमानों में सृजन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत नैनीताल तथा देहरादून जिले के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं किये गये है।

2– पदयास्कों को उनके संगत वेतनमानों में वेतन के अतिरिक्त मंहगाई तथा अन्य भत्ते, जो उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुमन्य हों, देय होंगे। उक्त पद संबंधित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे।

3– इसके अतिरिक्त इस योजना के लिए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित मदों पर चालू वित्तीय वर्ष में व्यय करने हेतु रू0 1,75,000 (एक लाख पचहत्तर हजार रू0) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–	वेतन	रू0 48,000.00
2–	मंहगाई भत्ता	रू0 23,100.00
3–	अन्य भत्ते	रू0 6,500.00
4–	यात्रा भत्ता	रू0 19,800.00
5–	कार्यालय व्यय	रू0 62,600.00
6–	पेट्रोल की खरीद	रू0 5,000.00
7–	योजनाओं के सर्वेक्षण में व्यय	रू0 10,000.00
	योग	**रू0 1,75000.00**

4– उक्त व्यय स्टोर पर्चेज नियमों के अनुसार किया जाये तथा जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन व्यय करने के पूर्व प्राप्त कर लिया जाय।

5– विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग के अन्तर्गत इस योजना के लिए स्वीकृत पदों जिनका विवरण परिशिष्ट–3 में उल्लिखित है और जिनकी वर्ष 1978–79 में निरन्तरता स्वीकृति शासनादेश संख्या 1371/28–7–2(7)/78, दिनांक 30 जून, 1978 में दी गयी है, को दिनांक 1, जनवरी, 1979 में समाप्त किया जाता है। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपर्युक्त पदों के पदाधिकारियों को नये सृजित समान पदों पर उसी स्थिति से संविलीन

करने की तथा इन कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता/ वरीयता नियमानुसार निर्धारित करने की कार्यवाही की जाय।

6— उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष (1978—79) के आय—व्ययक लेखा शीर्षक 1299—विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र—आयोजनागत—पर्वतीय क्षेत्र— ट— सामुदायिक विकास— 2— लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाये।

7— यह आदेश वित्त विभाग की सहमति, जो उनके अशासकीय संख्या ई 2/1124/दस, दिनांक 16/3/79 में प्राप्त कर ली गयी है, से जारी किये जा रहे हैं।

पर्वतीय क्षेत्र में हाईड्रम स्प्रिंक्लर योजना के लिए गढ़वाल मण्डल के लिए पदों का विवरण।

मण्डलीय स्तर पर	**क्रमांक**	**पदनाम**	**वेतन मान**	**पदों की संख्या**
	1—	अधिशासी अभियन्ता	800—50—1050—द0रो0—50—1300—द0रो0—50—1450	1
	2—	मण्डलीय लेखाकार	425—750	1
	3—	मुख्य लिपिक	280—8—296—9—350—दा0रो0—10—400—द0रो0—12—460	1
	4—	ड्राफ्ट्समेन	280—8—296—9—350—दा0रो0—10—400—द0रो0—12—460	1
	5—	ट्रेसर	185—3—215—दा0रो0—4—235—द0रो0—6—265	1
	6—	वरिष्ठ लिपिक (लेखा लिपिक)	230—6—290—दा0रो0—8—335—द0रो0—10—385	2
	7—	कनिष्ठ लिपिक	200—5—250—दा0रो0—6—280—द0रो0—8—320	2
	8—	आशुलिपिक	250—7—285—दा0रो0—9—375—द0रो0—10—425	1
	9—	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दैनीक मजदूरी पर	2
योग				**12**
<u>जिला स्तर पर</u> चमोली, उत्तरकशी, पौड़ी, टिहरी के लिए	1—	सहायक अभियन्ता	500—30—700—द0रो0—40—900—द0रो0—50—1200	4
	2—	अवर अभियन्ता	300—8—324—9—360—द0रो0—10—440—द0रो0—12—500	8
	3—	कनिष्ठ लिपिक	200—5—250—द0रो0—6—280—द0रो0—8—320	4
	4—	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दैनीक मजदूरी	2
	5—	चौकीदार	165—2—185—द0रो0—3—215	2
योग				20
कुल पद (12+20)				32

नोट : जिला देहरादून के लिये जिला स्तर पर कोई पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(राम निवास शर्मा)
उप सचिव।

संख्या 3358(1)/28–7–2–(7)10/78, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।

4– आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

5– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।

6–जिलाधिकारी,अल्मोड़ा/नैनीताल/देहरादून/पौड़ी/टिहरी गढ़वाल/पिथौरागढ़/ उत्तरकाशी/चमोली।

7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–2/वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग।

8– नियोजन अनुभाग–4/ ग्राम्य विकास अनुभाग–3/ पर्वतीय विकास अनुभाग–4।

9– कोषाधिकारी, लखनऊ।

आज्ञा से

(राम निवास शर्मा)
उप सचिव।

प्रेषक,

श्री सुभाष चन्द्र बहुसण्डी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पर्वतीय विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 1979

विषय : लघु सिंचाई योजनान्तर्गत हाईड्रम स्प्रिंक्लर युनिट्स की स्थापना तथा स्वीकृत पदों की निरंतरता।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 3358/28–7–2(7)/10/78, दिनांक 23 मार्च, 1979 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, ने पर्वतीय क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिंक्लरों के निर्माण के लिए उक्त शासनादेश द्वारा सृजित संलग्न तालिका में उल्लिखित पदों के लिये वर्तमान तथा सेवा शर्तों पर 29 फरवरी, 1980 तक वशर्ते कि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के उसके पूर्व समाप्त न किये जायें, चालू रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

2– उपर्युक्त पदों के धारकों को सामान्य नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3– राज्यपाल महोदय, उक्त हाईड्रमों के निर्माणार्थ प्रयोग में आने वाली मशीनों, सज्जा उपकरण आदि के क्रय किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। सामग्री तथा वस्तुयें आवश्यकतानुसार यू0पी0 स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत अधिकारी के आदेश से की जायेगी।

4– उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय, निम्नांकित व्यय को वहन करने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	मद	रूपये
1–	वेतन	2,00,000.00
2–	मजदूरी	10,000.00
3–	मंहगाई भत्ता	95,000.00
4–	कार्यालय उपशुल्क एवं कर	65000.00
5–	मशीनें तथा सज्जा/उपकरण एवं संयन्त्र	1,00,000.00
6–	मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	30,000.00
7–	निर्माण कार्य	5,00,000.00
8–	अल्प व्यय (सवेक्षण)	45,000.00
	योग	**10,45,000.00**

(दस लाख पैतालिस हजार रूपये मात्र)

उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष (1979–80) में आय–व्ययक के लेखा शीर्षक 088 विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, आयोजनागत –ट– विकास (13) लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिंक्लरों का निर्माण अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामे जोडा जायेगा।

योजना उत्तर प्रदेश वित्त विभाग की सहमति, जो उनके अशासकीय स0 3–1/1979 दिनांक 9 अगस्त, 1979 में प्राप्त कर ली, गयी है, से जारी किये जाए।

भवदीय
ह0 सुभाष चन्द्र बहुसण्डी,

उप सचिव,

संख्या 288–5–3/79, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यालय हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।

4– आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

5– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।

6–जिलाधिकारी,अल्मोड़ा/नैनीताल/देहरादून/पौड़ी/टिहरी गढ़वाल/पिथौरागढ़ /उत्तरकाशी/चमोली।

आज्ञा से

ह0 सुभाष चन्द्र बहुसण्डी,

उप सचिव,

संख्या 288–5–3/79, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यालय हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।

4– आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

5– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।

6–जिलाधिकारी,अल्मोड़ा/नैनीताल/देहरादून/पौड़ी/टिहरी गढ़वाल/पिथौरागढ़ /उत्तरकाशी/चमोली।

आज्ञा से

ह0 सुभाष चन्द्र बहुसण्डी,

उप सचिव,

पर्वतीय क्षेत्र में लघुसिंचाई योजना अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिंक्लरों के निर्माण हेतु स्वीकृत स्टाफ का विवरण।

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0)	पदों की संख्या
1	अधिशासी अभियन्ता	800—1450	1
2	सहायक अभियन्ता	550—1200	8
3	मण्डलीय लेखाकार	425—750	1
4	मुख्य लिपिक	280—460	1
5	अवर अभियन्ता	300—500	11
6	ड्राफ्टमैन	280—460	2
7	ट्रेसर	185—265	2
8	वरिष्ठ लिपिक/लेखालिपिक	230—300	2
9	कनिष्ठ लिपिक टंकक	200—300	7
10	आशुलिपिक	250—425	1
11	चौकीदार	175—215	3
12	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दैनिक वेतन पर	5
	योग		**42**

ह0 सुभाष चन्द्र, बहुसण्डी,
उप सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 6917/ल0सिं0/स्था0—3179—80 दिनांक : लखनऊ : अक्टूबर 5, 1979।

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (जी0ए0—9)।
2— उप सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग,—4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3— अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई), गढ़वाल (देहरादून)।
4— सहायक अभियन्ता (ल0सिं0), सम्बन्धित जनपद।
5— जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
6— कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
7— सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय।

(सतीश कुमार मिश्र)
अधि0अभि0 एवं व्यक्तिक सहायक (अधिष्ठान),
मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई),
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 195 / ।।–2004–16 / 04

प्रेषक,

एस0 कृष्णन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग,उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक– 19 मई,2004

विषयः– <u>उत्तरांचल लघु सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढॉचे की स्वीकृति।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 1045 / 9–।–सि / 2001 दिनांक 26.11. 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय लघु सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढॉचे में कुल 451 पदों को सम्मिलित करते हुए संलग्नक–1 में अंकित पदों के अनुसार पुनर्गठित करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान करते हैं :–

1– लघु सिंचाई विभाग, मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (स्तर–।) सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन रहेगा। इस प्रकार विभागीय ढॉचे में राजपत्रित श्रेणी के 43 पद तृतीय श्रेणी के 342 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 66 पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 451 पद होंगे तथा उसकी संरचना निम्नवत् होगी, जिसकी पदस्थापना का प्रस्ताव संलग्न–1 के स्तम्भ–3 में दिया गया है :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान रू0 में	कुल प्रस्तावित पद
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	16,400–20,000	01
2	अधीक्षण अभियन्ता	12,000–16,500	03
3	अधिशासी अभियन्ता	10,000–15,200	8
4	सहायक अभियन्ता	8,000–13,500	31
5	कनिष्ठ (अवर) अभियन्ता	5,000–8,000	131
6	बोरिंग टेक्निशियन /	4,000–6,000	24
	सहायक बोरिंग टेक्निशियन	3050–4590	46
7	खण्डीय लेखाधिकारी	7,500–12,000	7
8	प्रारूपकार	4,000–6,000	7
9	अनुरेखक	3050–4590	05
10	कार्यालय अधीक्षक	5,000–8,000	04
11	आशुलिपिक	5,000–8,000	01
12	आशुलिपिक	4,000–6,000	11
13	वरिष्ठ सहायक	4,500–7,000	11
14	वरिष्ठ लिपिक	4,000–6,000	12
15	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	49
16	वाहन चालक	3050–4590	26
17	अमीन / सींचपाल	3050–4590	08
18	अनुसेवक	2550–3200	66
	कुल योग		**451**

2— मुख्य अभियन्ता स्तर–2 पर तैनाती मौलिक रूप से नियुक्त लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता में से ही श्रेष्ठता के आधार पर की जायेगी और उक्त पद पर नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमावली में इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी।

3— अनुरेखक के 05 पद कार्यरत पदधारकों के रहने तक ही सृजित रहेंगे। उच्च पदों पर पदोन्नति, सेवा निवृत्ति एवं अन्य पदों के छोड़े जाने तक इन पदों पर इन पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा इन्हें मृत संवर्ग घोषित हो जायेगा।

4— अमीन/सींचपाल के 08 पद कार्यरत पदधारकों के बने रहने तक ही सृजित रहेंगे तथा इन पदों पर तैनात कार्मिकों से कनिष्ठ लिपिक के पद का कार्य लिया जायेगा। पदधारकों की पदोन्नति अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त यह पद मृत संवर्ग घोषित हो जायेगा। उक्त पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5— गैर तकनीकी समूह ''ग'' व ''घ'' के समस्त रिक्त पदों की पूर्ति यथा सम्भव सिंचाई विभाग और सिंचाई विभाग के सरप्लस कर्मी उपलब्ध न रहने पर प्रदेश के अन्य सरप्लस कार्मिकों से ही की जायेगी और जिन श्रेणियों में उक्तानुसार नियुक्ति सम्भव न हो, तो उन्हीं श्रेणियों में न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार शासन की सहमति से ही नियक्ति की जायेगी।

6— उपरोक्त के सन्दर्भ में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2702–लघु सिंचाई, 02–भू–जल (आयोजनेत्तर), 005–अन्वेषण, 03–भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 68/वि0अनु0–3/2003 दिनांकः 18.05.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 कृष्णन्)
प्रमुख सचिव।

संख्या–195/।।–2004–16/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4— सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5— निजी सचिव, मा0 मंत्री, सिंचाई बाढ़ एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, शासन, देहरादून।
6— अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई मण्डल, पौड़ी।
7— वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8— समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
9— गार्ड फाईल।
10— एन0आई0सी0/पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

आज्ञा से,

(बी0आर0 टम्टा)
डपसचिव

195 / ।।–2004–16 / 2004 दिनांकः 19.05.2004 का संलग्नक।

राजपत्रित तकनीकी पदों का विवरण।

क्र0 सं0	पदनाम	पद स्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 रू0 16,400–20,000	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लघु सिंचाई, उत्तरांचल,दे0दून	01
2	अधीक्षण अभियन्ता रू0 12000–16500	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी ल0सिं0 (विभागाध्यक्ष कार्या0)	01
		अधी0अभि0ल0सिं0 वृत्त पौडी	01
		अधी0अभि0ल0सिं0 वृत्त हल्द्वानी	01
		कुल पद	03
3	अधिशासी अभियन्ता रू0 10000–15200	स्टाफ अधिकारी, मुख्य अभि0 स्तर–2 कार्यालय	01
		खण्डीय कार्यालय गढ़वाल मण्डल	
		देहरादून	01
		टिहरी	01
		पौड़ी	01
		रूद्रप्रयाग	01
		खण्डीय कार्यालय कुमाऊ मण्डल	
		नैनीताल	01
		अल्मोड़ा	01
		पिथौरागढ़	01
		कुल पद	8
4	सहायक अभियन्ता रू0 8000–13500	1.सहा0अभि0 सम्बद्ध मुख्यअभि0 स्तर–2, कार्या0	01
		2. सहा0अभि0 सम्बद्ध अधी0अभि0, मण्डल, पौड़ी	01
		3. सहा0 अभि0 सम्बद्ध अधी0 अभि0, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी	01
		सहा0 अभि0 उपखण्ड	
		1. उपखण्ड देहरादून (03 विकास खण्ड)	01
		2. डाकपत्थर(03 विकास खण्ड)	01
		3. हरिद्वार (03 विकास खण्ड)	01
		4. रूड़की (03 विकास खण्ड)	01
		5. नई टिहरी (04 विकास खण्ड)	01
		6. धनसाली (05 विकास खण्ड)	01
		7. उत्तरकाशी (03 विकास खण्ड)	01
		8. नौगांव(03 विकास खण्ड)	01
		9. पौड़ी(04 विकास खण्ड)	01
		10. स्यूंसी(03 विकास खण्ड)	01
		11. सतपुली(04 विकास खण्ड)	01
		12. कोटद्वार (04 विकास खण्ड)	01
		13. रूद्रप्रयाग (03 विकास खण्ड)	01

		14. कर्णप्रयाग (03 विकास खण्ड)	01
		15. चमोली(गोपेश्वर)(03 विकास खण्ड)	01
		16. थराली (03 विकास खण्ड)	01
		17. नैनीताल (04 विकास खण्ड)	01
		18. हल्द्वानी (04 विकास खण्ड)	01
		19.ऊधमसिंहनगर(रूद्रपुर)(04 वि0 खण्ड)	01
		20. काशीपुर (03 विकास खण्ड)	01
		21. अल्मोड़ा (04 विकास खण्ड)	01
		22. रानीखेत (04 विकास खण्ड)	01
		23. भिकियासैण (03 विकास खण्ड)	01
		24. बागेश्वर (03 विकास खण्ड)	01
		25. पिथौरागढ़ (03 विकास खण्ड)	01
		26. डीडीहाट (03 विकास खण्ड)	01
		27. बेरीनाग (03 विकास खण्ड)	01
		28. चम्पावत (03 विकास खण्ड)	01
		कुल पद	31

अराजपत्रित तकनीकी पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम / वेतनमान	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	कनिष्ठ (अवर) अभियन्ता रू0 5000–8000	गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल के प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक–एक पद	95
		खण्डीय कार्यालय में कनिष्ठ अभि0 स्टोर के पद हेतु	8
		विकास खण्डों के अतिरिक्त निम्न सहायक अभियन्ता उपखण्डों हेतु	
		1. उपखण्ड देहरादून	01
		2. डाकपत्थर	01
		3. हरिद्वार	01
		4. रूड़की	01
		5. नई टिहरी	01
		6. धनसाली	01
		7. उत्तरकाशी	01
		8. नौगांव	01
		9. पौड़ी	01
		10. स्यूसी	01
		11. सतपुली	01
		12. कोटद्वार	01
		13. रूद्रप्रयाग	01
		14. कर्णप्रयाग	01
		15. चमोली (गोपेश्वर)	01
		16. थराली	01
		17. नैनीताल	01
		18. हल्द्वानी	01

		19. ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)	01
		20. काशीपुर	01
		21. अल्मोड़ा	01
		22. रानीखेत	01
		23. भिकियासैण	01
		24. बागेश्वर	01
		25. पिथौरागढ़	01
		26. डीडीहाट	01
		27. बेरीनाग	01
		28. चम्पावत	01
		कुल पद	131
6	सहायक बोरिंग टेक्नीशियन एवं बोरिंग टेक्नीशियन रू0 3050–4590 रू0 4000–6000	सहायक अभियन्ता उपखण्ड कार्यालय	
		1. उपखण्ड देहरादून	2+1
		2. डाकपत्थर	2+1
		3. हरिद्वार	2+1
		4. रूड़की	3+0
		5. नई टिहरी	2+1
		6. धनसाली	1+1
		7. उत्तरकाशी	2+1
		8. नौगांव	1+1
		9. पौड़ी	2+1
		10. स्यूसी	1+1
		11. सतपुली	1+1
		12. कोटद्वार	2+1
		13. रूद्रप्रयाग	1+1
		14. कर्णप्रयाग	1+1
		15. चमोली (गोपेश्वर)	1+1
		16. थराली	0+1
		17. नैनीताल	3+1
		18. हल्द्वानी	1+1
		19. ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)	3+1
		20. काशीपुर	3+1
		21. अल्मोड़ा	1+1
		22. रानीखेत	1+1
		23. भिकियासैण	1+0
		24. बागेश्वर	2+1
		25. पिथौरागढ़	3+1
		26. डीडीहाट	1+1
		27. बेरीनाग	1+0
		28. चम्पावत	1+1
		कुल पद (46+24)	70

अनुसचिवीय, ड्राइंग एवं तृतीय श्रेणी के पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	कार्यालय अधीक्षक रू0 5000–8000	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	01
		2. मुख्य अभियन्ता स्तर– 2	01
		3. अधीक्षण अभियन्ता वृत्त, पौड़ी	01
		4. अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त हल्द्वानी	01
		कुल पद	04
2	खण्डीय लेखाधिकारी रू0 7500–12000	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक पद	07
3	आशुलिपिक रू0 5000–8000	मुख्य अभियन्ता–2	01
		कुल पद	01
4	आशुलिपिक खण्डीय कार्यालय रू0 4000–6000	1. प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक पद	7
		2. स्टाफ अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष स्तर–2	01
		3. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	01
		मण्डलीय अधीक्षण अभियन्ता	02
		कुल पद	11
5	वरिष्ठ सहायक रू0 4500–7000	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी हेतु	1
		2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 कार्यालय	1
		3. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, पौड़ी	1
		4. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, हल्द्वानी	1
		5. प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक पद	7
		कुल पद	11
6	वरिष्ठ लिपिक रू0 4000–6000	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी हेतु	1
		2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 कार्यालय	2
		3. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, पौड़ी	1
		4. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, हल्द्वानी	1
		5. प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय में एक–एक पद	7
		कुल पद	12
7	कनिष्ठ लिपिक रू0 3050–4590	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी हेतु	3
		2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 कार्यालय	2
		3. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, पौड़ी	2
		4. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, हल्द्वानी	14
		5. प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय में एक–एक पद	28
		कुल पद	49
8	प्रारूपकार रू0 4000–6000	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक पद	7
		कुल पद	7

9	अनुरेखक रू0 3050–4590	खण्डीय कार्यालय में	6
10	वाहन चाल रू0 3050–4590	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी हेतु	1
		2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 कार्यालय	2
		3. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, पौड़ी	1
		4. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, हल्द्वानी	1
		5. प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक पद	7
		6. प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय में एक–एक पद	14
		कुल पद	26
11	अमीन/सींच पर्यवेक्षक रू0 3050–4590	अमीन/ सींचपाल के कार्यों के दृष्टिगत अमीन/सींचपाल के संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता है। जो कर्मी इस समय कार्यरत है उनसे कनिष्ठ लिपिक का कार्य लिया जायेगा।	08

चतुर्थ श्रेणी के पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	अनुसेवक	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी कार्यालय	2
		2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 कार्यालय	4
		3. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, पौड़ी	2
		4. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, हल्द्वानी	2
		5. प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में दो–दो पद	14
		6. खण्डीय स्टोर हेतु दो–दो पद	14
		7. प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय में एक–एक पद	28
		कुल पद	66
		कुल पदों का महायोग	451

संख्या– 625 / ।।(2)–2006–01(34) / 04

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग,उत्तरांचल,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक– 13 सितम्बर, 2006

विषयः– <u>उत्तरांचल लघु सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढॉचे की स्वीकृति।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 195 / ।।–2004–01(16) / 04 दिनांक 19. 05.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय लघु सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढॉचे में 88 अतिरिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए संलग्नक–1 में अंकित कुल 539 पदों के अनुसार पुनर्गठित करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान करते हैं :–

1– विभागीय ढॉचे में राजपत्रित श्रेणी के 57 पद तृतीय श्रेणी के 397 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 85 पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 539 पद होंगे तथा उसकी संरचना निम्नवत् होगी, जिसकी पदस्थापना का प्रस्ताव संलग्न–1 के स्तम्भ–3 में दिया गया है :–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान रू0 में	कुल प्रस्तावित पद
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	16,400–450–20,000	01
2	अधीक्षण अभियन्ता	12,000–375–16,500	04
3	अधिशासी अभियन्ता	10,000–325–15,200	14
4	सहायक अभियन्ता	8,000–275–13,500	38
5	कनिष्ठ (अवर) अभियन्ता	5,000–150–8,000	145
6	बोरिंग टेक्निशियन	4,000–100–6,000	24
7	सहायक बोरिंग टेक्निशियन	3050–75–3950–80–4590	46
8	खण्डीय लेखाधिकारी	7,500–12,000	13
9	प्रारूपकार	4,000–100–6,000	13
10	अनुरेखक	2750–70–3800–75–4400	05
11	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–2)	5,000–150–8,000	04
12	आशुलिपिक–।	5,000–150–8,000	01
13	आशुलिपिक–।।	4,000–100–6,000	17
14	मुख्य सहायक	4,500–125–7,000	17
15	वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह प्रवर सहायक	4,000–100–6,000	17
16	कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह कनिष्ठ सहायक	3050–75–3950–80–4590	61
17	वाहन चालक	3050–75–3950–80–4590	26
18	अमीन / सींचपाल	3050–75–3950–80–4590	08
19	अनुसेवक	2550–55–2660–60–3200	85
	कुल योग		539

2— अनुरेखक के 05 पद कार्यरत पदधारकों के रहने तक ही सृजित रहेंगे। उच्च पदों पर पदोन्नति, सेवा निवृत्ति एवं अन्य पदों के छोड़े जाने तक इन पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा ये मृत संवर्ग घोषित हो जायेगा।

3— अमीन/सींचपाल के 08 पद कार्यरत पदधारकों के बने रहने तक ही सृजित रहेंगे तथा इन पदों पर तैनात कार्मिकों से कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर/कनिष्ठ सहायक के पद का कार्य लिया जायेगा। पदधारकों की पदोन्नति अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त यह पद मृत संवर्ग घोषित हो जायेगा। उक्त पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

4— गैर तकनीकी समूह ''ग'' व ''घ'' के समस्त रिक्त पदों की पूर्ति विभाग में उपलब्ध सुसंगत सेवा नियमावली के अनुसार शासन की अनुमति से किया जायेगा।

5— उपरोक्त के सन्दर्भ में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 की अनुदान संख्या—20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2702—लघु सिंचाई, 02—भू—जल (आयोजनेत्तर), 005—अन्वेषण, 03—भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 452/वि0अनु0—4/06 दिनांकः 01.09.2006 में प्राप्त इनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।

संख्या—625/।।(2)—2006—01(34)/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2— अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4— महालेखाकार, उत्तरांचल।
5— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल।
6— निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
7— वित्त अनुभाग—4, उत्तरांचल शासन।
8— समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
9— एन0आई0सी0/पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र, उत्तरांचल शासन।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

संलग्नक—1

शासनादेश सं0 625/।।(2)—2006—01(34)/04 दिनांकः 13 सितम्बर 06 का संलग्नक।

राजपत्रित तकनीकी पदों का विवरण।

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड, दे0दून	01
2	अधीक्षण अभियन्ता	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी ल0सिं0 (विभागाध्यक्ष कार्या0)	01
		2. अधी0अभि0ल0सिं0 वृत्त पौडी	01
		3. अधी0अभि0ल0सिं0 वृत्त हल्द्वानी	01
		4. अधी0अभि0ल0सिं0 वृत्त पिथौरागढ़	01
		कुल पद	04
3	अधिशासी अभियन्ता	1. स्टाफ अधिकारी, मुख्य अभि0 स्तर–2 कार्यालय	01
		खण्डीय कार्यालय गढ़वाल मण्डल	
		1. देहरादून	01
		2. हरिद्वार	01
		3. टिहरी	01
		4. उत्तरकाशी	01
		5. पौड़ी	01
		6. रूद्रप्रयाग	01
		7. चमोली	01
		खण्डीय कार्यालय कुमांऊ मण्डल	
		1. नैनीताल	01
		2. ऊधमसिंह नगर	01
		3. अल्मोड़ा	01
		4. बागेश्वर	01
		5. पिथौरागढ़	01
		6. चम्पावत	01
		कुल पद	**14**
4	सहायक अभियन्ता	1.सहा0अभि0 सम्बद्ध मुख्यअभि0 स्तर–2, कार्या0	01
		2.सहा0अभि0 सम्बद्ध अधी0 अभि0, पौड़ी, कार्या0	01
		3.सहा0अभि0 सम्बद्ध अधी0अभि0, हल्द्वानी, कार्या.	01
		4. सहा0 अभि0 सम्बद्ध वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष, कार्यालय	01
		सहा0 अभि0 उपखण्ड	
		5. देहरादून (03 विकास खण्ड)	01
		6. डाकपत्थर(03 विकास खण्ड)	01
		7. हरिद्वार (03 विकास खण्ड)	01
		8. रूड़की (03 विकास खण्ड)	01
		9. नई टिहरी (04 विकास खण्ड)	01
		10. धनसाली (03 विकास खण्ड)	01

		11. नरेन्द्र नगर (03 विकास खण्ड)	01
		12. उत्तरकाशी (03 विकास खण्ड)	01
		13. नौगांव (03 विकास खण्ड)	01
		14. पौड़ी (04 विकास खण्ड)	01
		15. स्यूंसी (03 विकास खण्ड)	01
		16. सतपुली (03 विकास खण्ड)	01
		17. कोटद्वार (03 विकास खण्ड)	01
		18. लक्ष्मण झूला (02 विकास खण्ड)	01
		19. रूद्रप्रयाग (01 विकास खण्ड)	01
		20. ऊखीमठ (02 विकास खण्ड)	01
		21. कर्णप्रयाग (03 विकास खण्ड)	01
		22. चमोली (गोपेश्वर) (03 विकास खण्ड)	01
		23. थराली (03 विकास खण्ड)	01
		24. नैनीताल (03 विकास खण्ड)	01
		25. हल्द्वानी (03 विकास खण्ड)	01
		26. धारी (02 विकास खण्ड)	01
		27.ऊधमसिंहनगर(रूद्रपुर)(04 वि0 खण्ड)	01
		28. काशीपुर (03 विकास खण्ड)	01
		29. अल्मोड़ा (05 विकास खण्ड)	01
		30. रानीखेत (03 विकास खण्ड)	01
		31. भिकियासैण (03 विकास खण्ड)	01
		32. बागेश्वर (02 विकास खण्ड)	01
		33. कपकोट (01 विकास खण्ड)	01
		34. पिथौरागढ़ (03 विकास खण्ड)	01
		35. डीडीहाट (03 विकास खण्ड)	01
		36. बेरीनाग (02 विकास खण्ड)	01
		37. चम्पावत (02 विकास खण्ड)	01
		38. बाराकोट (01 विकास खण्ड)	01
		कुल पद	**38**

अराजपत्रित तकनीकी पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1	कनिष्ठ (अवर) अभियन्ता	गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल के प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक–एक पद	95
		खण्डीय कार्यालय में कनिष्ठ अभि0 स्टोर के पद हेतु	13
		वृत्त कार्यालय, पौड़ी एवं हल्द्वानी हेतु कनिष्ठ अभि0 तकनीकी प्रत्येक में एक–एक पद	02
		वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ता तकनीकी	01
		योग	**111**

		विकास खण्डों के अतिरिक्त निम्न सहायक अभियन्ता उपखण्डों हेतु	
		1. देहरादून	01
		2. डाकपत्थर	01
		3. हरिद्वार	01
		4. रूड़की	01
		5. नई टिहरी	01
		6. धनसाली	01
		7. नरेन्द्र नगर	01
		8. उत्तरकाशी	01
		9. नौगांव	01
		10. पौड़ी	01
		11. स्यूसी	01
		12. सतपुली	01
		13. कोटद्वार	01
		14. लक्ष्मणझूला	01
		15. रूद्रप्रयाग	01
		16. ऊखीमठ	01
		17. कर्णप्रयाग	01
		18. चमोली (गोपेश्वर)	01
		19. थराली	01
		20. नैनीताल	01
		21. हल्द्वानी	01
		22. धारी	01
		23. ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)	01
		24. काशीपुर	01
		25. अल्मोड़ा	01
		26. रानीखेत	01
		27. भिकियासैण	01
		28. बागेश्वर	01
		29. कपकोट	01
		30. पिथौरागढ़	01
		31. डीडीहाट	01
		32. बेरीनाग	01
		33. चम्पावत	01
		34. बाराकोट	01
		कुल योग	**145**
2	सहायक बोरिंग टेक्नीशियन एवं बोरिंग टेक्नीशियन	सहायक अभियन्ता उपखण्ड कार्यालय	
		1. देहरादून	2+1
		2. डाकपत्थर	2+2
		3. हरिद्वार	1+1
		4. रूड़की	1+1
		5. नई टिहरी	2+1
		6. धनसाली	1+1

		7. नरेन्द्र नगर	1+1
		8. उत्तरकाशी	2+1
		9. नौगांव	2+1
		10. पौड़ी	1+1
		11. स्यूसी	1+1
		12. सतपुली	1+1
		13. कोटद्वार	1+1
		14. लक्ष्मणझूला	1+0
		15. रूद्रप्रयाग	1+1
		16. ऊखीमठ	1+0
		17. कर्णप्रयाग	2+1
		18. चमोली (गोपेश्वर)	1+1
		19. थराली	1+0
		20. नैनीताल	2+1
		21. हल्द्वानी	1+0
		22. धारी	1+1
		23. ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)	2+0
		24. काशीपुर	1+1
		25. अल्मोड़ा	2+0
		26. रानीखेत	1+1
		27. भिकियासैण	1+0
		28. बागेश्वर	1+1
		29. कपकोट	1+0
		30. पिथौरागढ़	2+0
		31. डीडीहाट	1+1
		32. बेरीनाग	1+1
		33. चम्पावत	2+0
		34. बाराकोट	2+0
		कुल पद (46+24)	**70**
3	प्रारूपकार	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक पद	13
		कुल पद	**13**
4	अनुरेखक (मृत संवर्ग)	खण्डीय कार्यालय हेतु	05
		कुल पद	**05**

अनुसचिवीय एवं अन्य तृतीय श्रेणी के पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	खण्डीय लेखाधिकारी	प्रत्येक खण्डीय कार्या0 में एक–एक पद	**13**
2	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–2)	मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष (स्तर–2)	01
		वरि0स्टा0अधि0 कार्या0 मु0अभि0 एवं विभागा0	01
		अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त पौड़ी, हल्द्वानी	02
		कुल पद	**04**
3	आशुलिपिक–।	मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष (स्तर–2)	01
		कुल पद	**01**
4	आशुलिपिक–।।	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक	13
		स्टा0 अधि0 कार्या0 मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष	01
		वरि0 स्टा0 अधि0 कार्या0 मु0 अभि0 एवं विभागाध्यक्ष	01
		वृत्त कार्यालय पौड़ी एवं हल्द्वानी	02
		कुल पद	**17**
5	मुख्य सहायक	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक	13
		स्टा0 अधि0 कार्या0 मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष	01
		वरि0 स्टा0 अधि0 कार्या0 मु0 अभि0 एवं विभागाध्यक्ष	01
		वृत्त कार्यालय पौड़ी एवं हल्द्वानी	02
		कुल पद	**17**
6	वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह प्रवर सहायक	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक	13
		वरि0स्टा0अधि0कार्या0 मुख्य अभि0 एवं विभागा0	01
		मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय	01
		वृत्त कार्यालय पौड़ी एवं हल्द्वानी	02
		कुल पद	**17**
8	कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह कनिष्ठ सहायक	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय दो–दो	26
		मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय	01
		प्रत्येक उपखण्डीय कार्यालय एक–एक	34
		कुल पद	**61**
9	वाहन चालक	प्रत्येक खण्डीय कार्यालय में एक–एक	13
		वरि0 स्टाफ अधि0 कार्या0 मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष	01
		मुख्य अभियन्ता स्तर–2 व स्टाफ अधिकारी	02
		वृत्त कार्या0 पौड़ी, हल्द्वानी में एक–एक	02
		उपखण्डीय कार्यालयों हेतु	08
		कुल पद	**26**
10	अमीन/सींचपाल	अमीन/सींचपाल के कार्यों के दृष्टिगत अमीन/सींचपाल के संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किया जा चुका है, जो कर्मी इस समय कार्यरत है उनसे कनिष्ठ सहायक का कार्य लिया जा रहा है।	08
		कुल पद	**08**

चतुर्थ श्रेणी के पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	पदस्थापना	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	अनुसेवक	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 व स्टाफ अधिकारी (दो–दो)	04
		वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी	02
		वृत्त कार्यालय प्रत्येक में दो–दो	06
		खण्डीय कार्यालय प्रत्येक में एक–एक	13
		खण्डीय स्टोर हेतु प्रत्येक में एक–एक	13
		खण्डीय स्टोर हेतु रात्रि चौकीदार प्रत्येक में एक–एक	13
		प्रत्येक उपखण्डीय कार्यालय में एक–एक	34
		कुल पद	**85**
		महायोग	**539**

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

संख्या 1101 / ।।(2)–2008–01(34) / 04

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांक : 24 जुलाई, 2008

विषय :– लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0 625 / ।।(2)–2006–01(34) / 04, दिनांक 13.09.2006 के द्वारा लघु सिंचाई विभाग का संरचनात्मक ढांचा स्वीकृत किया गया था, जिसमे कुल 539 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्मिक विभाग / वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुक्रम में उक्त शासनादेश द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में सृजित कुल 99 पदों की सीमा के अन्तर्गत पदोन्नति सोपान के अनुसार निम्न विवरणानुसार पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पूर्व में सृजित पद	पुनर्गठित पदों की संख्या
1	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–1)	5500–175–9000	–	04
2	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–2)	5000–150–8000	04	05
3	मुख्य सहायक	4500–125–7000	17	25
4	वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह प्रवर सहायक	4000–100–6000	17	30
5	कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह कनिष्ठ सहायक	3050–75–3950–80–4590	61	35
	कुल योग		**99**	**99**

मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के उक्तानुसार पुनर्गठित संरचनात्मक ढांचे के पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 1127 / वि0अनु0–4 / 08, दिनांक 21 जुलाई 2008 में प्राप्त इनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या 1112 / ।।(2)–2008–01(34) / 04

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांक : 25 जुलाई, 2008

विषय :– लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के पुनर्गठित संरचनात्मक ढांचे की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0 625 / ।।(2)–2006–01(34) / 04, दिनांक 13.09.2006 के द्वारा लघु सिंचाई विभाग का संरचनात्मक ढांचा की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें कुल 539 पदों में मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के 99 पदों को स्वीकृत किया गया था, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या संख्या 1101 / ।।(2)–2008–01(34) / 04 दिनांक 24.07. 2008 के द्वारा मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के पूर्व से सृजित कुल 99 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–1) के 04 पद, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–2) के 05 पद, मुख्य सहायक के 25 पद, वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह प्रवर सहायक के 30 पद एवं कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह कनिष्ठ सहायक के 35 पद स्वीकृत करते हुये पुनर्गठित किये गये हैं।

शासनादेश संख्या 1101 / ।।(2)–2008–01(34) / 04 दिनांक 24.07.2008 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के 99 पदों को संलग्नक में अंकित विवरणानुसार लघु सिंचाई विभाग के विभिन्न कार्यालयों में आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय
(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या / ।।(2)–2008–01(34) / 04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0 / पुस्तकालष्य एवं प्रलेखन केन्द्र, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव

<u>शासनादेश संख्या 1112/।।(2)–2008–01(34)/2004 दिनांक 25 जुलाई, 2008 का संलग्नक।</u>

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	01 इकाई कार्यालय मुख्य अभि0 एवं विभागाध्यक्ष (मुख्यालय)	01 इकाई कार्यालय वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (मुख्यालय)	01 इकाई कार्यालय स्टाफ अधिकारी (मुख्यालय)	03 इकाई कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त)	13 इकाई कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (खण्ड)	34 इकाई कार्यालय सहायक अभियन्ता (उपखण्ड)	कुल योग	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–।)	5500–175–9000	1	0	0	3	0	0	4	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु एक – एक पद, प्रत्येक वृत्त कार्यालय हेतु एक–एक पद।
2	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–।।)	5000–150–8000	2	0	0	3	0	0	5	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु दो पद एवं प्रत्येक वृत्त कार्यालय हेतु एक–एक पद।
3	मुख्य सहायक	4500–125–7000	0	0	0	0	25	0	25	खण्ड कार्यालय हरिद्वार हेतु एक पद एवं अन्य खण्डों हेतु एक–एक पद।
4	वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर सह प्रवर सहायक	4000–100–6000	2	1	1	0	26	0	30	मुख्य अभि0 कार्या0 हेतु दो पद, वरिष्ठ स्टा0अधि0 कार्यालय हेतु एक पद, स्टा0 अधि0 कार्या0 हेतु एक पद एवं प्रत्येक खण्ड हेतु दो–दो पद।
5	कनिष्ठ कम्पयूटर आपरेटर सह कनिष्ठ सहायक	3050–75–3950–80–4590	1	0	0	0	0	34	35	मुख्य अभि0 कार्या0 हेतु एक पद तथा प्रत्येक उपखण्ड कार्या. हेतु एक–एक पद।
	योग		6	1	1	6	51	34	99	

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1313/ल0सिं0/स्था0–(स0ढां0)–10(**II**)/2010–11 दिनांकः 08 अक्टूबर 2010

अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई वृत्त,
पौडी/हल्द्वानी/पिथौरागढ़।

विषय : लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों को पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 1313/ल0सिं0/स्था0–(स0ढां0)–10(2)/ 2010–11 दिनांक 30–04–2010 द्वारा मिनिस्टीरियल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या 1072/II–2010–01(34)/2004 दिनांकः 26–08–2010 के द्वारा लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मिनिस्टीरियल संवर्ग के सृजित कुल 99 पदों के पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत पदों का विवरण संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्न : उक्तानुसार।

(मुहम्मद उमर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष(प्र0)
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 1313/ल0सिं0/स्था0–(स0ढां0)–10(**II**)/2010–11 दिनांकः उक्तवत्।

प्रतिलिपि अनु सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन को शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मुहम्मद उमर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष(प्र0)
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

शा0सं0 1072/II-2010–01(34)/2004 दिनांकः 26–08–2010 द्वारा मिनिस्टीरियल संवर्ग के स्वीकृत 99 पदों का विवरण

क0 सं0	पदनाम	01 इकाई	03 इकाई	13 इकाई	34 इकाई	कुल योग	अन्य विवरण
		कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (मुख्यालय)	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त)	कार्यालय अधिषासी अभियन्ता (खण्ड)	कार्यालय सहायक अभियन्ता (उपखण्ड)	कुल योग	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	0	0	0	1	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु ए पद।
2	प्रशासनिक अधिकारी	2	3	13	0	18	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु पद, प्रत्येक वृत्त कार्यालय ह एक–एक एवं प्रत्येक ख कार्यालय हेतु एक–एक पद।
3	मुख्य सहायक	2	3	13	0	18	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु पद, प्रत्येक वृत्त कार्यालय ह एक–एक पद एवं प्रत्येक ख कार्यालय हेतु एक–एक पद।
4	वरिष्ट कम्प्यूटर ऑपरेटर/सह प्रवर सहायक	5	3	13	9	30	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु पद, प्रत्येक वृत्त हेतु एक–एक प एवं प्रत्येक खण्ड हेतु एक–ए पद। उपखण्ड देहरादून, टिह पौडी, चमोली, हरिद्वार, नैनीता ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा प पिथौरागढ़ हेतु एक–एक पद।
5	कनिष्ट कम्प्यूटर ऑपरेटर/सह कनिष्ट सहायक	3	2	2	25	32	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु पद, वृत्त कार्यालय हल्द्वानी प पौड़ी हेतु एक–एक पद, ख देहरादून, उत्तरकाषी, ह एक–एक पद तथा उपख डाकपत्थर, स्यूंसी, सलपु कोटद्वार, लक्ष्मणझूला, रूद्रप्रया ऊखीमठ, घनसाली, नरेन्द्रनग उत्तरकाषी, नौगांव, रूडव कर्णप्रयाग, थराली, काषीपु हल्द्वानी, धारी, रानीखे भिक्यासैण, बागेष्वर, कपको डीडीहाट, वेरीनाग, चम्पाव बाराकोट (25 उपखण्ड) ह एक–एक पद (उपखण्ड देहरा टिहरी, पौडी, चमोली, हरिद्व नैनीताल, ऊधमसिहनगर, अल्मो एवं पिथौरागढ़ को छोडक क्योकि स्आफिंग पैटर्न के का कनिश्ठ सहायक के पद घटने फलस्वरूप इन उपखण्ड कार्याल में एक–एक पद प्रवर सहायक रखा गया है।
	योग	13	11	41	34	99	

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1383/ल0सिं0/स्था0(स्टा0पै0)/2016–17 दिनांक : 16, दिसम्बर 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 90/XXX(2)/2016–30 (51)15 दिनांक 26–07–2016 के क्रम में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पूर्व से सृजित 99 पदों को संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्रतिशत के आधार पर निम्न प्रकार एतद्द्वारा पुनर्गठित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैंड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न		शा0सं0 90 दिनांक 26–07–2016 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न	
				प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600–39100	5400	02%	02	06%	06
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4800	10%	10	08%	08
3	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	10%	10	08%	08
4	प्रधान सहायक	9300–34800	4200	18%	18	18%	18
5	वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	28%	28	28%	28
6	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	32%	31	32%	31
	योग				99		**99**

उपरोक्त स्वीकृत पदों का कार्यालयवार विभाजन संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित ळें

(मुहम्मद उमर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या /ल0सिं0/स्था0(स्टा0पै0)/2016–17 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिचांई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. साईबर कोषाधिकारी (लेखाधिकारी), साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. आदेश कट पत्रावली।

(मुहम्मद उमर)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

परिशिष्ट–1

कार्यालय आदेश संख्या 1383/ल0सिं0/स्था0(स्टा0पै0)/2016–17 दिनांक 16, दिसम्बर 2016 द्वारा मिनिस्टीरियल संवर्ग के स्वीकृत 99 पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (मुख्यालय) (01 इकाई)	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त) (04 इकाई)	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (खण्ड) (13 इकाई)	कार्यालय सहायक अभियन्ता (उपखण्ड) (34 इकाई)	कुल योग	अन्य विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	2	4	0	0	**6**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु दो पद एवं प्रत्येक वृत्त कार्यालय हेतु एक–एक पद।
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	2	0	6	0	**8**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु दो पद पद। खण्डीय कार्यालय टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोडा, पिथौरागढ़ हेतु एक–एक पद।
3	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	7	0	**8**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु एक पद, खण्डीय कार्यालय, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, ऊधमसिंहनगर, चम्पावत, बागेश्वर हेतु एक–एक पद।
4	प्रधान सहायक	2	3	13	0	**18**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु दो पद, वृत्त कार्यालय टिहरी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ हेतु एक–एक पद एवं प्रत्येक खण्ड कार्यालय हेतु एक–एक पद।
5	वरिष्ठ सहायक	4	4	13	7	**28**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु 4 पद, प्रत्येक वृत्त हेतु एक–एक पद एवं प्रत्येक खण्ड हेतु एक–एक पद। उपखण्ड टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंहनगर हेतु एक–एक पद।
6	कनिष्ठ सहायक	3	1	0	27	**31**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु 3 पद, वृत्त कार्यालय पौड़ी हेतु एक पद, उपखण्ड घनसाली, नरेन्द्रनगर, डाकपत्थर, उत्तरकाशी, नौगांव, रूड़की, सतपुली, स्यूंसी, लक्ष्मणझूला, कोटद्वार, थराली, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग, ऊखीमठ, नैनीताल, हल्द्वानी, धारी, रानीखेत, भिक्यासैण, काशीपुर, पिथौरागढ़, डीडीहाट, बेरीनाग, चम्पावत, बाराकोट, बागेश्वर एवं कपकोट हेतु एक–एक पद।
	योग	**14**	**12**	**39**	**34**	**99**	–

(**मुहम्मद उमर**)
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 617 / ल0सिं0 / स्था0(स्टा0पै0) / 2018–19 दिनांक : 19, जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासन के आदेश संख्या 278 / ।।–2017–01(05) / 2011 दिनांक 25–05–2017 द्वारा विभागान्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्ग में विद्यमान त्रिस्तरीय ढांचे को चतुर्थ स्तरीय संवर्गीय ढांचे में पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप वैयक्तिक सहायक संवर्ग के पूर्व से सृजित 18 पदों को संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्रतिशत के आधार पर निम्न प्रकार एतद्द्वारा पुनर्गठित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैंड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न		शा0सं0 278 दिनांक 25–05–2017 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न	
				प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600–39100	5400	-	-	06	01
2	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800	4600	15	03	15	03
3	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800	4200	35	06	35	06
4	वैयक्तिक सहायक	5200–20200	2800	50	09	44	08
	योग				**18**		**18**

उपरोक्त स्वीकृत पदों का कार्यालयवार विभाजन संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित है।

मुहम्मद उमर
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या / ल0सिं0 / स्था0(स्टा0पै0) / 2018–19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिचांई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. साईबर कोषाधिकारी (लेखाधिकारी), साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. आदेश कट पत्रावली।

संलग्न : उक्तानुसार।

(जे0पी0भास्कर)
स्टाफ आफिसर
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

परिशिष्ट–1

कार्यालय आदेश संख्या 617/ल0सिं0/स्था0(स्टा0पै0)/2018–19 दिनांक 19, जून 2018 द्वारा वैयक्तिक सहायक संवर्ग के स्वीकृत 18 पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (मुख्यालय) (01 इकाई)	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त) (04 इकाई)	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (खण्ड) (13 इकाई)	कुल योग	अन्य विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	1	0	0	**1**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु एक पद।
2	वैयक्तिक अधिकारी	1	2	0	**3**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु एक पद। वृत्त कार्यालय पौड़ी एवं हल्द्वानी हेतु एक–एक पद।
3	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	1	0	5	**6**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु एक पद, खण्डीय कार्यालय, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल एवं बागेश्वर हेतु एक–एक पद।
4	वैयक्तिक सहायक	1	0	7	**8**	मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु एक पद, खण्डीय कार्यालय पौड़ी, हरिद्वार, चमोली, ऊधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ हेतु एक–एक पद।
	योग	**4**	**2**	**12**	**18**	–

स्टाफ आफिसर
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

उत्तरांचल शासन
सचिवालय प्रशासन विभाग
संख्या : 2100/XXX(1)–2001(1)/2004
देहरादून : दिनांक 30 जुलाई, 2004

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त से व्यवहृत किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लघु सिंचाई विभाग के वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा में स्थानान्तरित होने के उपरान्त वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित विभाग हो जायेंगे।

1– वन एवं पर्यावरण विभाग।
2– पंचायतीराज विभाग।
3– ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4– लघु सिंचाई विभाग।
5– जलागम प्रबन्ध विभाग।
6– कृषि, कृषि विपणन एवं कृषि शिक्षा विभाग।
7– सहकारिता विभाग।
8– गन्ना विकास विभाग।
9– चीनी उद्योग विभाग।
10– पशुपालन विभाग।
11– दुग्ध विकास विभाग।
12– मत्स्य पालन विभाग।
13– उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
14– रेशम विभाग।

सचिव, ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियन्त्रण अब सचिव, लघु सिंचाई के रूप में लघु सिंचाई का भी काम करेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(आर0एस0टोलिया)
मुख्य सचिव

संख्या 2100(1) XXX(1)–2001(1)/2004 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– अपर सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुत, उत्तरांचल शासन देहरादून।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन देहरादून।
4– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन देहरादून।
5– सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
6– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
7– समस्त अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अनु सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8– समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
9– मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
10– अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा स
(किशन नाथ)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
सचिवालय प्रशासन विभाग
संख्या : 4984 / XXX 1(1) / 2004
देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2004

कार्यालय आदेश

सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2100 / **XXX**(1) – 2001(1) / 2004 देहरादून : दिनांक 30 जुलाई, 2004 को तात्कालिक प्रभाव से लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य ग्राम विकास आयुक्त शाखा में मिलाकर आवंटित किया जाता है।

कृत्रिम रूप से भूमिगत जल संवर्धन एवं वर्षा जल संग्रहण (**Artifielal Recharge to ground and rain water harvesting**) का कार्य लघु सिंचाई विभाग को आवंटित किया जाता है।

लघु सिंचाई विभाग के वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा में स्थानान्तरित होने के उपरान्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा के नियंत्राधीन निम्नलिखित विभाग हो जायेंगे :–

1–वन एवं पर्यावरण विभाग।
2–ग्राम्य विकास विभाग।
3–पंचायती राज विभाग।
4–ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5–लघु सिंचाई विभाग एवं कृत्रिम रूप से भूमिगत जल संवर्धन एवं वर्षा जल संगहण।
6–जलागम प्रबन्ध विभाग।
7–कृषि, कृषि विपणन एवं कृषि शिक्षा विभाग।
8–सहकारिता विभाग।
9–गन्ना विकास विभाग।
10–चीनी उद्योग विभाग।
11–पशुपालन विभाग।
12–दुग्ध विकास विभाग।
13–मत्स्य पालन विभाग।
14–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
15–रेशम विभाग।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(आर0एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव

संख्या : 4984 / XXX 1(1) / 2004 तद्दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4– सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
5– मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ।
6– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
7– समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अनु सचिव, उत्तरांचल शासन।
8– समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरांचल शासन।
9– मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
10– मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

प्रेशक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तरांचल–देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2005

विषय :– पंचायती–राज–व्यवस्था के अन्तर्गत, लघु सिंचाई विभाग में, जल–उपभोक्ता–समूह के माध्यम से सिंचाई–सहभागिता– प्रबन्धन– व्यवस्था।

महोदय,

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत, सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से, शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के कियान्वयन एवं रख–रखाव निम्नानुसार जल उपभोक्ता समूहों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है।

(1) जिला सेक्टर एवं राज्य सैक्टर

जिला योजना एवं राज्य योजना की धनराशि शासन द्वारा जिला पंचायतों को स्थानान्तरित की जायेगी।

(अ) ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले कार्य

(I) सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं का चिन्हीकरण।

(II) सिंचाई परियोजना स्थल चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में, लघु सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार (मानक विभाग उपलब्ध करायेगा)।

(III) सिंचाई परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराना।

(क) जल श्रोत से माहवार उपलब्ध होने वाली जल की मात्रा का आंकलन।
(ख) जल श्रोत संरक्षण / अभिवर्धन हेतु किये जाने वाले कार्यो का विवरण।
(ग) प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।
(घ) गूल / पाईप लाईन की लम्बाई, कि0मी0 में।
(ड) हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई ग चौड़ाई, मीटर में)।
(च) हाईड्रम की संख्या।
(छ) वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।
(ज) आर्टीजन / पम्पसेट का विवरण।
(झ) मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

सर्वेक्षण हेतु प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

(IV) बिन्दु–III के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में)। प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

(V) एकल ग्राम योजना का प्रस्ताव प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित जिला पंचायत को प्रेशित किया जायेगा। जिला पंचायत इन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी तथा धनराशि का स्थानान्तरण एकमुश्त ग्राम निधि में करेगी। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत यह धनराशि

तीन बराबर किश्तों में धनराशि जल उपभोक्ता समूह के खातें (जिसका विवरण आगे है) में करेगी। प्रथम किश्त अग्रिम के रूप में दी जायेगी। इसके समायोजन के पश्चात द्वितीय किस्त अग्रिम में रूप में दी जायेगी।

(VI) परियोजना विशेष के नाम से जल उपभोक्ता समूह का गठन किया जायेगा। यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक परियोजनायें हों तो तद्नुसार एक से अधिक उपभोक्ता समूहों का गठन किया जायेगा। इसका पदेन अध्यक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान होगा। परियोजना से लाभान्वित होने वाले समस्त कृशक इसके सामान्य सदस्य एवं ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं जल प्रबन्धन समिति के सदस्य इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके उपाध्यक्ष का चयन सामान्य सदस्यों में से सामान्य सदस्यों द्वारा जल उपभोक्ता समूह की खुली बैठक में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण मं बहुमत से किया जायेगा। विकास खण्ड में पदस्थापित लघु सिंचाई विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता इस समूह का पदेन सचिव होगा।

(VII) परियोजना का समस्त निर्माण, मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य जल उपभोक्ता समह द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री एवं सेवाओं का क्रय/उपार्जन सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राक्कलन की धनराशि की सीमा तक इस समूह द्वारा ही किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि एक बार में परियोजना की लागत के 25 प्रतिशत से अधिक अग्रिम भुगतान नहीं किया जा सकता। परियोजना निर्माण पूर्ण होने के पूर्व परियोजना की श्रम लागत की 3ः धनराशि अंशदान के रूप में परियोजना के रख–रखाव हेतु समूह के खाते में जमा होगी जो ग्राम पंचायत के खाते से भिन्न होगा। यह खाता निकटवर्ती राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोला जायेगा। इस खाते का संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

(VIII) परियोजना के तकनीकी एवं वित्तीय अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे। परियोजना के प्रशासनिक अभिलेख तथा तकनीकी अभिलेखों की सचिव द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियां उपाध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेंगी। इन अभिलेखों का अवलोकन जल उपभोक्ता समह का कोई भी सदस्य अथवा कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा वरिष्ठ अधिकारीगण अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत जांच एजेन्सियों के कार्मिक किसी भी समय कर सकते हैं एवं इनकी सत्यापित प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।

(IX) सम्बन्धित ग्राम पंचायत जल उपभोक्ता समूह की संस्तुति पर आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा। परियोजना समाप्ति के तीन वर्शो के अन्तराल पर विशेष मरम्मत तथा भूस्खलन, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की मरम्मत हेतु धनराशि संसाधनों की सीमा में यथासम्भव राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।

(X) जल उपभोक्ता समूह द्वारा योजना का क्रियान्वयन/रख रखाव का कार्य लघु सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा मानक के अनुसार किया जायेगा। कार्य के लिये आवश्यक उपकरण, मशीनें इत्यादि उपलब्ध कराना लघु सिंचाई विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

(XI) उपभोक्ता समूह 25ः अग्रिम सामग्री की व्यवस्था के अतिरिक्त उतने ही कार्यो/कार्य के भाग का भुगतान करेगी, जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं।

(XII) कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई तथा प्रतिहस्ताक्षर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा तथा निरीक्षण/पर्यवेक्षण विभाग के विभिन्न स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

(XIII) समय–समय पर प्राप्त धनराशि को निरर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित जल उपभोक्ता समूह का होगा।

(XIV) जल उपभोक्ता समूह की प्रत्येक मास में एक बैठक अवश्य बुलाई जायेगी। बैठक आहूत करने का दायित्व इसके सचिव का होगा।

(XV) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त अधिकतम् छः माह में लेखा परीक्षा कराया जाना सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(XVI) वित्तीय हस्त पुस्तिका में वर्णित भण्डार क्रय सम्बन्धी समस्त प्राविधान इन कार्यो के सन्दर्भ में भी अक्षरशः लागू होंगे। इसे पालन कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जल उपभोक्ता समूह के सचिव का होगा। जनपद के लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता निर्माणाधीन परियोजनाओं के सन्दर्भ में प्रत्येक दो माह में इस हेतु अवश्य निरीक्षण करते रहेंगे।

(ब) क्षेत्र पंचायत के समन्वय के अधीन किये जाने वाले कार्य

(I) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं का चिन्हीकरण।

(II) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का स्थलीय चयन क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में लघु सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार (मानक विभाग उपलब्ध करायेगा)।

(III) सिंचाई परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण विकास खण्ड में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा। प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना प्रस्तर (अ) III के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(IV) बिन्दु III के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

(V) क्षेत्र के अन्तर्गत दो या दो अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) जिला पंचायत को प्रेशित किया जायेगा।

(VI) जिला पंचायत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त सिंचाई परियोजना के सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पड़ने वाले भाग का क्रियान्वयन/रख रखाव उस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तर 1(अ) (VI) के प्राविधानानुसार गठित जल उपभोक्ता समूह द्वारा किया जायेगा। ऐसे सभी जल उपभोक्ता समूह के बीच समन्वय का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र समिति के प्रमुख के नियन्त्रण में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(VII) उपरोक्त प्रस्तर 1 (अ) (VII) से लेकर (XVI) तक के प्राविधान इन कार्यो पर भी लागू होंगे।

(2) केन्द्र पुरोनिधारित एवं वाह्य सहायतित योजनायें

(I) इनसे सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रथम चयन सूची विभाग द्वारा भारत सरकार के मानदण्डों/ मार्ग निर्देशों के अनुरूप निर्मित कर सम्बन्धित जिला पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी। सूची प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा इनका प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जायेगा। जिला पंचायत अनुपयुक्त परियोजनाओं को इस सूची से विलोपित कर सकती है। जिला पंचायत द्वारा प्राथमिकता क्रम निर्धारण सहित संस्तुत सूची को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जनपदवार परियोजनाओं का चयन किया जायेगा।

(II) परियोजना विशेष के नाम से जल उपभोक्ता समूह का गठन किया जायेगा। यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक परियोजनायें हों तो तद्नुसार एक से अधिक उपभोक्ता

समूह का गठन किया जायेगा। इसका पदेन अध्यक्ष, सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान होगा। परियोजना से लाभान्वित होने वाले समस्त कृशक इसके सामान्य सदस्य एवं ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं जल प्रबन्धन समिति के सदस्य इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके उपाध्यक्ष का चयन सामान्य सदस्यों में से सामान्य सदस्यों द्वारा जल उपभोक्ता समूह की खुली बैठक में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में बहुमत से किया जायेगा। विकास खण्ड में पदस्थापित लघु सिंचाई विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता इस समूह का पदेन सचिव होगा।

(III) परियोजना का समस्त निर्माण, मरम्मत एवं रख रखाव कार्य जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री का क्रय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से वित्तीय हस्त पुस्तिका के भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। श्रमिकों को कार्य पर उपभोक्ता समूह द्वारा लगाया जायेगा एवं समूह के सचिव द्वारा मस्टरोल तैयार किया जायेगा तथा समूह के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। परियोजना निर्माण पूर्ण होने से पूर्व परियोजना में श्रमांश की लागत की

3 प्रतिशत धनराशि परियोजना के रख रखाव हेतु सामान्य सदस्यों से आनुपातिक अंशदान के रूप में एकत्रित कर समूह के खाते में जमा होगी, जो ग्राम पंचायत के खाते से भिन्न होगा। यह खाता निकटवर्ती राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोला जायेगा। इस खाते का संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। परियोजना निर्माण के उपरान्त उपभोक्ता समूह को हस्तानान्तरित की जायेगी।

(IV) परियोजना के प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय अभिलेख सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई की अभिरक्षा में रहेंगे। परियोजना के प्रशासनिक तथा तकनीकी अभिलेखों की अधिशासी अभियन्ता द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियां उपाध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेंगी। इन अभिलेखों का अवलोकन जल उपभोक्ता समूह का कोई भी सदस्य अथवा कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा वरिष्ठ अधिकारीगण अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत जांच ऐजेन्सियों के कार्मिक किसी भी समय कर सकते हैं एवं इनकी सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

(V) सम्बन्धित ग्राम पंचायत जल उपभोक्ता समूह की संस्तुति पर आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा। परियोजना समाप्ति के तीन वर्शो के अन्तराल पर विशेष मरम्मत तथा भूस्खलन, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की मरम्मत हेतु धनराशि संसाधनों की सीमा में यथासम्भव राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।

(VI) कार्य का मूल्यांकन लघु सिंचाई विभाग में प्रवृत्त वित्तीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। वर्ष में सम्पादित 5 प्रतिशत कार्यो की जांच शासन द्वारा नामित एजेन्सी द्वारा रैण्डम आधार पर/शिकायत प्राप्त होने पर कराई जायेगी।

(VII) समय–समय पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।

(VIII) जल उपभोक्ता समूह की प्रत्येक मास में एक बैठक अवश्य बुलाई जायेगी। बैठक आहूत करने का दायित्व इसके सचिव का होगा।

भवदीया,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 338 / ।।—2004 / 2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः—

1. संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार।
2. उपसलाहकार, लघु सिंचाई, योजना आयोग, भारत सरकार।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल शासन।
6. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
7. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तरांचल शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
12. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
13. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिचांई विभाग।
15. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिचाई विभाग।
16. समस्त सहायक एवं कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग।
17. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तरांचल।
18. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम विकास परियोजना, उत्तरांचल।
19. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तरांचल।
20. गार्ड फाईल।

(डा0पी0एस0गुसांई)
अपर सचिव

संख्या 144 / ए0पी0एस0 / ल0सिं0 / 2005
देहरादून, दिनांक 27 जुलाई, 2005

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष,
जिला पंचायत,
उत्तरांचल।

ग्राम्य विकास, पंचायती राज एवं लघु सिंचाई विभाग देहरादून दिनांक जुलाई, 05

विषय : पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या 338 / ।।–2004 / 2005 दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रख–रखाव हेतु पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला एवं राज्य सैक्टर की लघु सिंचाई योजना हेतु जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था लागू की गयी है। जिसकी छाया प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। साथ ही लघु सिंचाई विभा में सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को निर्देशित करने का कष्ट करें कि ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त कर, प्रारम्भिक प्राक्कलन संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप तैयार कर जिला पंचायत को प्रेषित करें तथा उन्हीं के अनुरूप जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जिला पंचायत से अनुमोदन के उपरान्त योजनायें प्रस्तावित कर शासन को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न : उक्तानुसार।

भवदीय

(पी0के0 महान्ति)
सचिव,
ग्राम्य विकास, पंचायतीराज
एवं लघु सिंचाई विभाग,
उत्तरांचल शासन, देहरादून

संख्या / ए0पी0एस0 / ल0सिं0 / 2005

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल।
2– अपर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
3– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
5– अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी / हल्द्वानी।
6– समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।

(पी0के0 महान्ति)
सचिव,

पंचायती राज व्यवस्था के अनतर्गत लघु सिंचाई विभाग में जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था

जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर :

ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले कार्य –

A– सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं को चिन्हींकरण : ग्राम में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध जल श्रोत के अनुसार योजना चिन्हींकरण का कार्य किया जायेगा।

B– सिंचाई परियोजना का स्थल चयन : ग्राम में चिन्हित योजना का ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चयन किया जायेगा, जिसमें उपलब्ध जल श्रोत तथा कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना का चयन किया जायेगा। योजना का हेड सुरक्षित स्थान पर हो तथा हर समय पानी उपलब्ध हो।

C– सिंचाई परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराना :–

1–जल श्रोत से माह मई, जून व नवम्बर में उपलब्ध होने वाली जल की मात्रा का आंकलन :– इसमें ग्राम के पास उपलब्ध श्रोत का जलश्राव कितना है?, का मापन कर श्रोत का जलश्राव उपलब्ध कराना होगा, जो लीटर/मिनट या क्यूसेक में नापा जायेगा। जल श्राव का मापन वर्ष के ग्रीष्मकाल में मई एवं जून तथा शरद काल में नवम्बर माह के किया जायेगा।

2–जल श्रोत संरक्षण/अभिवर्धन हेत किये जाने वाले कार्य का विवरण :– जिस श्रोत से सिंचाई हेतु जल लिया जाना है, उसके संरक्षण एवं अभिवर्धन हेतु क्या उपचार किया जा सकता है, का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा।

3–प्रतिवेदित क्षेत्रफल :– प्रस्तावित योजना में कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी? का विवरण राजस्व लेखे (खसरा नक्शा) से दिया जायेगा।

4–गूल/पाइप लाइन :– विभागीय मानकों के अनुसार प्रति किमी0 6 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन का न्यूनतम मानक है। उपलब्ध जल श्रोत एवं कृषि योग्य भूमि के आधार पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा डिजाईन किया जायेगा। 0.20 X .20 मी0 सैक्शन की औसत दर 4.00 लाख/किमी0 व 0.30 X 0.25 मी0 सैक्शन की औसत दर 6.00 लाख/किमी0 होगी, इससे अधिक सेक्शन हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा परामर्श कर प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

5–हौज :– भूमि की उपलब्धता एवं सिंचाई जल श्रोत पर उपलब्ध जलश्राव के आधार पर हौज की संख्या एवं आकार निर्धारित किया जायेगा। उदाहरणार्थ 1 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 4.00 X 2.50 X 1.50 मी0 आकार का 1 टैंक, 2 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 4.00 X 2.50 X 1.50 मी0 के दो टैंक या 5.00 X 3.00 X 1.50 मी0 साईज का एक टैंक प्रस्तावित किया जाना होगा। 4.00 X 2.50 X 1.50 मी0 साईज के टैंक की औसत लागत 50000.00 रु0 प्रति टैंक तथा 5.00 X 3.00 X 1.50 मी0 साईज के टैंक की औसत लागत 80000.00 रु0 प्रति टैंक निर्धारित है।

6–हाईड्रम :– उपलब्ध जलश्राव एवं कृषि योग्य भूमि के आधार पर हाईड्रम की संख्या निर्धारित की जायेगी। एक यूनिट की सिंचन क्षमता का मानक 6 हैक्टेयर है तथा 4" X 2" साइज की एक यूनिट हेतु औसत लागत रु0 3.50 लाख, 6" X 3" की एक यूनिट हेतु 4.50 लाख तथा 8" X 4" की एक यूनिट हेतु 5.50 लाख की धनराशि से अधिक व्यय नही हो सकेगा। हाईड्रम स्थापना हेतु स्थल पर उपलब्ध ड्रॉप तथा ऊँचाई के अनुपात का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। यह प्रयास किया जाय कि सिंचाई हेतु प्रस्तावित भूमि उपलब्ध ड्रॉप के 10 गुने से अधिक ऊँचाई पर न हो तथा 3.00 मी0 से कम एवं 6.0 मी0 से अधिक का ड्रॉप न हो। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा हाईड्रम हेतु प्रस्तावित भूमि की सिंचाई हेतु आवश्यक हाईड्रम की संख्या एवं आकार की गणना कर डिजाइन तैयार किया जायेगा,जिसके अनुरूप प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

7–वीयर :– ऐसे स्थान जहां पर स्थायी श्रोत (Perennial Source) उपलब्ध हैं, जिसका स्तर ऊँचा करने से अधिक मात्र में खेतों की सिंचाई सम्भव हो परन्तु स्थायी रूप से उनका स्तर ऊँचा करने से ऊपर (Up Stream) के खेतों के लिए वर्षा ऋतु में वाटर लागिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके समाधान के लिए गेटेड स्ट्रकचर की आवश्यकता होगी। इसकी लागत रु0 6.50 लाख प्रति मी0 स्पान, को मानक मानकर तथा इससे बनने वाली फीडिंग चैनल का निर्माण 6.50 लाख रू0 प्रति कि0मी0 मानक मानकर प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाय।

8–आर्टीजन :– यह झरने का ही रूप है, परन्तु यह प्रायः समतल व कम ढ़ाल वाले स्थानों पर पाये जाते हैं। इनको फ्लोविंग कूप अथवा कनफाइन्ड जल प्रस्तर कूप कहते हैं। किसी भी ढ़ालू कनफाइन्ड जल प्रस्तर में भूतल से पन्क्चर करने पर जल दबाव के कारण बहने वाले झरने को आर्टीजन कहते हैं। आर्टीजन निर्माण पर 1.75 लाख रू0 प्रति आर्टीजन तथा इस पर 0.50 किमी0 गूल निर्माण की लागत रु0 3.25 लाख, कुल 5.00 लाख प्रति यूनिट औसत व्यय मानकर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

9–मरम्मत की आवश्यकता का विवरण :– योजना के स्थलीय आवश्यकता के आधार पर प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा इस हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से परामर्श आवश्यक होगा।

सर्वेक्षण हेतु प्रारूप

1— योजना का नाम :

2— मद का नाम :

3— योजना स्थल का नाम :

4— ग्राम पंचायत :

5— विकासखण्ड :

6— जनपद :

7— सर्वेक्षण का दिनांक :

8— श्रोत का नाम :

9— उपलब्ध जलश्राव (ली0/मि0 या क्यू0/सेक0 में) :

10— जलश्राव मापन का दिनांक :

11— उपलब्ध कृषि योग्य भूमि (हैक्ट0में) :

12— प्रस्तावित कार्य का विवरण :

I— गूल की लम्बाई एवं क्रास सैक्शन (मी0में) :

II— पाइप लाइन ब्यास एवं लम्बाई (मी0में) :

III— हौज/हाईड्रम संख्या एवं साइज :

13— लाभान्वित कृषकों की संख्या :

I— अनुसूचित जाति /अनु0जनजाति :

II— सामान्य :

III— योग :

उक्त सूचनाओं एवं मानकों के अनुसार प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित प्रस्ताव जिला पंचायत को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा। अनुमोदित योजनाओं का विस्तृत प्राक्कलन विकासखण्डों में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा विभागीय मानकों एवं शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार तैयार किया जायेगा।

प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार करने हेतु प्रारूप

क्रं0 सं0	किये जाने वाले कार्य का विवरण	मात्रा	यूनिट	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सा0सिं0गूल हेतु सेक्शन.....		कि0मी0	मानकदर 3 /iv के अनुसार	किमी0	
2	सा0सिं0टैंक निर्माण हेतु साइज़.....		संख्या	3 /v के अनुसार	संख्या	
3	सा0सिं0 हाईड्रम निर्माण यूनिट..... साइज.....		संख्या	3 /vi के अनुसार	संख्या	
4	वीयर निर्माण वीयर स्पान.....मी0 गूल निर्माण...किमी.		संख्या किमी0	3 /vii के अनुसार	संख्या किमी0	
5	आर्टीजन निर्माण 0.50 किमी0 गूल के साप		संख्या	5.00	संख्या	
6	मरम्मत कार्य				योजना की आवश्यकतानुसार	

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग उत्तरॉचल,
देहरादून।

संख्या 1373 / ।।–2004–14(05)/2005

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शाासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 05, सितम्बर 2008

विशय : पंचायती–राज–व्यवस्था के अन्तर्गत, लघु सिंचाई विभाग में, जल–उपभोक्ता–समूह के माध्यम से सिंचाई–सहभागिता–प्रबन्धन–व्यवस्था ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 338/।।–2004/2005 दिनांक 31–03–2005 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत, सिंचाई–सहभागिता–प्रबन्धन– व्यवस्था के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिष्चित करने के उद्देश्य से, उक्त शासनादेश में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शासनादेश दिनांक 31–03–2005 के प्रस्तर–2 के अन्त में, निम्नलिखित अंश जोड़ा जाता है:–

1. कार्य का मापन होने से पूर्व

यदि निर्माण–कार्यो की मापें, कनिश्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा माप–पुस्तिका में, अंकन करने से पूर्व ही, जल उपभोक्ता समूह को निर्गत तथा प्राप्त सामग्री एवं उपभोग की गई सामग्री का दुरूपयोग परिलक्षित होता है अथवा उपभोक्ता समूह द्वारा सामग्री को बेचे जाने एवं गायब कर दिये जाने आदि का प्रकरण प्रकाश में आता है, तो ऐसी स्थिति में, निर्गत–सामग्री की, शत–प्रतिशत (100%) जिम्मेदारी, जल–उपभोक्ता–समूह की होगी तथा तद्नुसार ही शासन को हुई क्षति की धनराशि की वसूली, जल–उपभोक्ता–समूह के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से निम्नानुसार की जायेगी:–

(अ)	जल उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष से	–	50 प्रतिशत
(ब)	जल उपभोक्ता समूह के उपाध्यक्ष से	–	50 प्रतिशत
	योग	–	100 प्रतिशत

2. कार्य का मापन होने के पश्चात:–

यदि निर्माण–कार्यो की मापें, कनिश्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा माप पुस्तिका में अंकन कर दिये जाने के पश्चात कोई अनियमिततायें प्रकाश में आती है, तो जल–उपभोक्ता–समूह के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों आदि का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित कर, सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, षासन को हुई धनराशि की हानि की वसूली, निम्नानुसार की जायेगी:–

(।) योजना के नियोजन (**Planning**) में कमी/दोष पाये जाने पर :–

इस सम्बन्ध में षासन को हुई हानि का उत्तरदायित्व निम्न प्रकार निर्धारित होगा:–

1	कनिष्ठ अभियन्ता से कुल हानि का	50 प्रतिशत
2	सहायक अभियन्ता से कुल हानि का	35 प्रतिशत
3	अधिशासी अभियन्ता से कुल हानि का	15 प्रतिशत
	योग	100 प्रतिशत

(।।) योजना के क्रियान्वयन में कमी पाये जाने परः–

इस सम्बन्ध में शासन को हुई हानि का उत्तरदायित्व निम्न प्रकार निर्धारित होगाः–

1	अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	25 प्रतिशत
2	उपाध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	25 प्रतिशत
3	कनिष्ठ अभियन्ता 50 प्रतिशत का 50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
4	सहायक अभियन्ता 50 प्रतिशत का 35 प्रतिशत	17.5 प्रतिशत
5	अधिशासी अभियन्ता 50 प्रतिशत का 15 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
	योग	100 प्रतिशत

3– <u>निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में, खराबी/दोष पाये जाने पर</u> :–

योजनाओं के निर्माण में उपयोग हेतु आवश्यक निर्माण सामग्री (सीमेंट, सरिया, पाईप, बजरी आदि) मानक के अनुसार न होने पर उससे षासन को हुई क्षति की धनराषि की वसूली निम्नानुसार की जायेगीः–

(।) विभाग द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रीः–

इस सम्बन्ध में षासन को हुई हानि का उत्तरदायित्व निम्न प्रकार निर्धारित होगाः–

1	कनिष्ठ अभियन्ता (भण्डार आपूर्ति)	50 प्रतिशत
2	सहायक अभियन्ता (भण्डार आपूर्ति)	35 प्रतिशत
3	अधिशासी अभियन्ता (भण्डार आपूर्ति)	15 प्रतिशत
	योग	100 प्रतिशत

(।।) उपभोक्ता समूह द्वारा एकत्रित/आपूर्ति की गयी सामग्री के सम्बन्ध मेंः–

इस सम्बन्ध में षासन को हुई हानि का उत्तरदायित्व निम्न प्रकार निर्धारित होगाः–

(अ) कार्य का मापन होने के पूर्वः–

1	अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	50 प्रतिशत
2	उपाध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	50 प्रतिशत
	योग	100 प्रतिशत

(ब) कार्य का मापन होने के पष्चातः–

1	अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	25 प्रतिशत
2	उपाध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	25 प्रतिशत
3	कनिश्ठ अभियन्ता 50 प्रतिशत का 50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
4	सहायक अभियन्ता 50 प्रतिशत का 35 प्रतिशत	17.5 प्रतिशत
5.	अधिशासी अभियन्ता 50 प्रतिशत का 15 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
	योग	100 प्रतिशत

4. <u>जिला योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सीधे उपलब्ध करायी गयी धनराषि के सम्बन्ध मेंः–</u>

जिला योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत जिला पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सीधे उपलब्ध करायी गयी धनराषि के सम्बन्ध में यदि कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो जल–उपभोक्ता–समूह के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों आदि का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित कर, सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, षासन को हुई धनराषि की हानि की वसूली, निम्नानुसार की जायेगीः–

(।) कार्य के मापन से पूर्वः–

(अ)	जल उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष से	–	50 प्रतिशत
(ब)	जल उपभोक्ता समूह के उपाध्यक्ष से	–	50 प्रतिशत
	योग	–	100 प्रतिशत

(।।)	कार्य के मापन के पष्चातः–	
1	अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	33 प्रतिशत
2	उपाध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह	33 प्रतिशत
3	कनिश्ठ अभियन्ता/सचिव जल उपभोक्ता समूह	20 प्रतिशत
4	सहायक अभियन्ता	14 प्रतिशत
	योग	100 प्रतिशत

5. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व जल उपभोक्ता समूह एवं विभाग के सक्षम प्राधिकारी के मध्य 10 रूपये के स्टाप पेपर पर अनुबन्ध किया जायेगा।

6. अनुबन्ध पत्र से सम्बन्धित अभिलेख अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में रहेगें, जिसकी प्रति सहायक अभियन्ता के कार्यालय में रखी जायेगी तथा कनिश्ठ अभियन्ता एवं जल उपभोक्ता समूह को उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त षासनादेश संख्या 338 दिनांक 31.03.2005 की अन्य शर्ते/व्यवस्था यथावत रहेंगी।

संलग्नः– अनुबन्ध पत्र का प्रारूप

भवदीय

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या /।।–2004–14(05)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार।
2. उपसलाहकार, लघु सिंचाई, योजना आयोग, भारत सरकार।
3. आयुक्त, गढ़वाल /कुमायूँ मण्डल/समस्त जिलाधिकारी/उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिचांई विभाग।
10. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विनोद फोनिया)
सचिव

अनुबन्ध–पत्र

अनुबन्ध पत्र संख्या..... **दिनांक.....**

लघु–सिंचाई–विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाओं के तहत जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से निर्मित किये जा रहे कार्यों के क्रियान्वयन, संचालन एवं रख–रखाव हेतु यह अनुबन्ध–पत्र शासनादेष संख्या 338 / ।।–2004 / 2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेष 1373 / ।।–2004–14(05) / 2005 दिनांक 05–09–2008 में निहित प्राविधानों एवं दिशा–निर्देषों के अनुरूप किया गया है।

योजना का नामः .....
स्वीकृति वर्ष .....
कलस्टर संख्या .....
उपयोजना का क्रमांक .....
ग्राम सभा का नामः .....
विकास खण्डः .....
जनपदः .....
कार्य स्थल की स्थिति .....
(तोक, खड्ड, कहां से कहां तक आदि) .....
.....
.....
कार्य प्रारम्भ करने की तिथि .....
कार्य पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि .....
कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि .....
योजना का भौतिक लक्ष्य

(1) गूल
- **(अ) लम्बाई (मीटर में)** .....
- **(ब) क्रास सैक्षन** .....

(2) हौज
- **(अ) संख्या** .....
- **(ब) साईज** .....

(3) हाईड्रम
- **(अ) संख्या** .....
- **(ब) साईज** .....

(4) वियर
- **(अ) संख्या** .....
- **(ब) लम्बाई** .....

(5) पाईप लाईन
- **(अ) व्यास** .....
- **(ब) लम्बाई** .....

योजना का सिंचन क्षमता (हेक्टेयर में) .....
परियोजना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री (विभाग द्वारा निर्गत)
- **(अ) सीमेंट** .....
- **(ब) सरिया** .....
- **(स) पाईप** .....

उक्त अनुबन्ध में प्रथम पक्ष अधिषासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड..... अथवा उनके अधिकृत सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता ल0सिं0 उपखण्ड.....होंगे।

प्रथम पक्ष

उक्त अनुबन्ध में द्वितीय पक्ष जल उपभोक्ता समूह (क) के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगें।

नियम एवं शर्ते

1. शासनादेष संख्या 338/।।–2004/2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेष संख्या 1373/।।–2004–14(05)/2005 दिनांक 05.09.2008 के समस्त प्राविधान भली भांति पढ़ लिया गया है तथा दोनों पक्षों को मान्य है।
2. योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा जल उपभोक्ता समूह को निर्गत समस्त सामग्री की प्राप्ति, रख–रखाव एवं योजना के निर्माण में उपयोग उपभोक्ता समूह द्वारा किया जायेगा तथा दुरूपयोग होने पर उक्त शासनादेषों के अनुरूप की गई कार्यवाही दोनों पक्षों को मान्य है।
3. परियोजना विशेष के नाम से जल उपभोक्ता समूह का गठन किया जायेगा। यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक परियोजनायें हों तो तद्नुसार एक से अधिक उपभोक्ता समूहों का गठन किया जायेगा, जिसका उद्देष्य कल्याणकारी होगा व्यवसायिक नहीं, गठन की सूचना लिखित रूप में सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें नाम पता व दूरभाश नम्बर आदि भी उपलब्ध कराये जायेगें। जल उपभोक्ता समूह का गठन निम्नवत् होगा।
4. सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान **अध्यक्ष**
5. समूह का उपाध्यक्ष ग्राम सभा की खुली बैठक में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की उपस्थिति में सामान्य सदस्यों में से ही बहुमत से चुना जायेगा। **उपाध्यक्ष**
6. सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता समूह का पदेन सचिव होगा **पदेन सचिव**
7. परियोजना से लाभान्वित होने वाले समस्त कृशक इसके सामान्य सदस्य होंगे। **सामान्य सदस्य**
8. सम्बन्धित ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं जल प्रबन्धन समिति के सदस्य समूह के सदस्य होंगे। **पदेन सदस्य**
9. योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन एवं रख–रखाव शासनादेष संख्या 338/।।–2004/2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेष संख्या 1373/।।–2004–14(05)/ 2005 दिनांक 05.09.2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
10. योजना के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री समय से निर्गत किये जाने की जिम्मेदारी विभाग की होगी। विभाग द्वारा निर्गत सामग्री जल उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त की जायेगी।
11. योजना निर्माण की प्रगति प्रत्येक माह के 20 तारीख तक उपभोक्ता समूहों द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को दी जायेगी।
12. योजना निर्माण के पश्चात योजना जल उपभोक्ता समूह को हस्तानान्तरित की जायेगी तथा इसका उपयोग प्रस्तावित कृषि भूमि की सिंचाई हेतु किया जायेगा तथा उन्नत फसल चक्र अपनाया जायेगा।
13. योजना क्षतिग्रस्त होने पर इसकी मरम्मत एवं रख–रखाव जल उपभोक्ता समूह द्वारा किया जायेगा।
14. जल उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कार्य की मात्रा के आधार पर आवश्यक श्रमिक कार्य पर लगायेंगे ताकि कार्य समय से पूर्ण हो सके।
15. योजना पर कार्य कराने का दायित्व जल उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का होगा। योजना निर्माण हेतु विभाग द्वारा निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, सरिया, पाईप आदि) निर्गत होने के पश्चात कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने, कार्य की गुणवत्ता खराब होने अथवा सामग्री के दुरूपयोग होने पर आवश्यक नोटिस के उपरान्त शासनादेष सं0 338/।।–2004/2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेष सं01373/।।–2004–14(05)/2005 दिनांक 05.09.2008 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत भी कार्यवाही की जायेगी।
16. यदि गठित जल उपभोक्ता समूह द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा हो या कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रहा हो तथा आवश्यक नोटिस के उपरान्त विभाग को यह संतुश्टि

हो जाती है कि कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सकता तो, नये जल उपभोक्ता समूह का गठन कर कार्य समय से पूर्ण कराने का पूर्ण अधिकार विभाग के सम्बन्धित लघु सिंचाई खण्ड को होगा।

प्रथम पक्ष

(1) हस्ताक्षर
नाम.....
कनिष्ठ अभियन्ता
उपखण्ड.....
विकासखण्ड.....
जनपद.....

(2)हस्ताक्षर
नाम.....
सहायक अभियन्ता
उपखण्ड.....
विकासखण्ड.....
जनपद.....

द्वितीय पक्ष

(1) हस्ताक्षर
नाम.....
अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह
ग्राम व ग्राम पंचायत.....
विकासखण्ड.....
जनपद.....

(2)हस्ताक्षर
नाम.....
उपाध्यक्ष, जल उपभोक्ता समूह
ग्राम व ग्राम पंचायत.....
विकासखण्ड.....
जनपद.....

प्रतिहस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....
नाम.....
अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई खण्ड.....

संलग्नकः–

1. योजना का आगणन।
2. शासनादेश संख्या 338 दिनांक 31.03.2005 की प्रति।
3. शासनादेश संख्या दिनांक की प्रति।

GUIDELINES FOR ACCELERATED IRRIGATION BENEFITS PROGRAMME

(EFECTIVE FROM 1ST FEBRUARY 2002)

AIBP Guidelines April2005, Dec2006, Oct 2013, RRR_PMKSY-Guidelines June2017, SMI_PMKSY-Guidelines- June2017 विभाग की वैबसाइट WWW.minorirrigation. uk.gov.in पर Acts and Rules के अन्तर्गत उपलब्ध है।

Annexure-I

GUIDELINES FOR ACCELERATED IRRUGATION BENEFITS PROGRAMME (MODIFIED DURING 2001-2002)

A) GENERAL

i) Only major/ medium projects which are in advanced stage of construction and Surface Minor Irrigation schemes in special category States will be considered for inclusion under the programme. However, Major/ Medium Irrigation Projects benefiting KBK Districts of Orissa in initial stages of construction will be included.

ii) Eligible projects covered under the programme during previous years will get preference over new projects proposed for inclusion during current year.

iii) To avoid thin spreading of resources, these states have to concentrate only on few promising projects.

iv) Only those major/ medium projects will be considered which have the investment clearance of the Planning Commission.

v) The projects which are already receiving assistance from external/ domestic agencies such as NABARD will not be eligible for Central Loan Assistance (CLA) under the programme. However, the components of such projects which are not covered under such assistance may be considered for inclusion under the programme.

vi) On large projects, assistance will be given for their phased completion so that benefits could start flowing early with comparatively smaller investments.

vii) Projects benefiting tribal/ drought prone areas would be given due preference provided they are otherwise eligible.

viii) Priority will be given to inter-state projects. All party States will be eligible for assistance under the programme individually.

ix) Projects with larger irrigated area unit of additions investments will be preferred.

B) CLASSIFICATION OF PROJECTS

Following categories of projects will be eligible for assistance:

i) Approved projects or components thereof costing Rs. 500 crores or more on which substantial investment has been made. However, projects on which more than 50% of the estimated expenditure has already been incurred shall get higher priority. Other cases will be considered only if funds are available after meeting the demands of priority projects.

ii) Approved projects which are in advanced stage of completion and could be completed in the next four agricultural seasons i.e. in a period of about two years irrespective of total estimated cost.

iii) Minor Irrigation Projects in General Category States are not eligible for CLA under AIBP. However, Minor Surface Irrigation Schemes (both new as well as on-going) of States of North East Hilly (H.P., Sikkim, J&K and Uttaranchal) and drought prone KBK districts of Orissa which are approved by State TAC will be eligible under the programme. However, the State Government should submit only those proposals where the individual schemes are benefiting irrigation potential of at least 20 ha. and group of schemes (within a radius of 5 kms.) benefiting total ultimate irrigation potential of at least 50 ha. The proposal of schemes should have benefit cost ratio of

more than 1 and the development cost of these schemes per ha. should not exceed Rs. 1.00 lakh.

C) CRITERIA FOR CATEGORISING A STATE AS REFORMING

i) At the end of one year calculation & communication of data by the State Government of existing projects category-wise relating to actual O&M as Rs. per ha. and net revenue collection.

ii) At the end of three years – Increase water rates to enable allocation of Rs. 225/ ha. for MI schemes and Rs. 450/ ha. to Major/ Medium from revenue earned without subsidy as per XI Finance Commission.

iii) At the end of 5 years – Further increase water rates to meet full O&M costs for all categories of projects.

D) MODE OF DISBURSEMENT

i) CLA will be released on yearly basis in two instalments. The unutilized funds approved for the project will lapse on the expiry of financial year. CLA approved for States will be limited to the ceilings fixed by the Planning Commission for it under AIBP.

ii) The State Governments should confirm the provision of required budget outlay (i.e. the Central share & the State share) in the State's annual budget plan.

iii) Central Loan Assistance under the programme will be in the form of loan at the rate of interest prescribed by the Ministry of Finance from time to time.

iv) The loan under the programme will be repayable in twenty equal instalments together with in interest on the outstanding balance commencing from the following year. However, 50% of the loan will enjoy a five-year initial grace period after which repayment of these loans will be affected in fifteen equal instalments. The loans annually payable will be recovered in 10 equally monthly instalments commencing from 15th June every year.

v) The States would be required to submit updated Statements of Expenditure on the project within 9 months of the completion of the financial year.

vi) CLA for the projects will be provided to the 'Reforming States' under General Category in the Ratio of 4:1 (Centre: State) in case they rationalize their water rates in such a way as to recover full O&M cost of irrigation projects in 5 years. The "Reforming States" in special category (N.E. States, hilly states of Sikkim, J&K, Uttaranchal, Himachal Pradesh and KBK Districts of Orissa), i.e. special category States/ regions will be provided central assistance in full without any State's share if they rationalize their water rates in such a way so as to recover full O&M cost of irrigation projects in 5 years

vii) Concerned State Government will give an undertaking as per the format enclosed for rationalization of water rates. (Annexure-II)

viii) In case of defaulting states, additional central share as relaxed norms given under AIBP will be treated as withdrawn and recovered fully from the States with interest as prescribed by the Ministry of Finance. Further CLA to defaulting States will be provided as per existing norms.

ix) Funding pattern for States which do not rationalize their rates to cover O&M cost in a time bound manner i.e. within 5 years will remain unchanged i.e. CLA to general

category States will be continued to be provided in the ratio 2:1 (Centre: State) and to Special Category States in the ratio of 3:1 (Centre: State).

x) The 2nd instalment of CLA will be released when the expenditure reaches 70% of the first instalment of CLA together with the State share.

xi) Up to 15% of CLA will be provided for meeting establishment expenditure to be adjusted against the State's share.

xii) The States which incur full expenditure on releases made in a year by March, may draw the first instalment or a part of it in April subject to availability of adequate funds. This release is adjustable in subsequent release.

MONITORING OF PROJECTS

i) Monitoring system as given below is proposed for the projects availing under the programme:-

ii) A comprehensive physical and financial periodical monitoring of major/ medium projects by central Water Commission with emphasis on quality control.

iii) Monitoring of MI schemes has to be done by a State Government mechanism independent of construction agencies. These schemes would also be monitored periodically and assessed against predetermined targets by CWC/ Ministry of Water Resources. The State Govts. should provide sufficient O&M funds for these schemes and on completion preferably hand over to local Panchayats/ Water Users Associations (WUAs).

iv) Monitoring by the Ministry of Programme Implementation.

FAST TRACK PROGRAMME

i) Only the approved major & medium irrigation projects which can be completed in one year (two working seasons) will be included under this programme.

ii) The projects will be fully funded by the Centre by providing 100% loan. State Governments should, however, confirm full budget outlay in State Plan.

iii) Establishment expenditure of the projects getting CLA under Fast Track Programme has to be entirely borne by the States.

iv) The releases will be made in 2 instalments of 50% each.

v) The progress of works will be closely monitored by the Central Water Commission with special reference to quality control and the release of second instalment will be based on the recommendations of the CWC.

MODIFIED GUIDELINES FOR THE ACCELERATED IRRIGATION BENEFITS PROGRAMME EFFECTIVE FROM 1.4.2005 MAJOR & MEDIUM IRRIGATION PROJECTS

A) ELIGIBILITY CRITERIA FOR FUNDING

1. Only approved major and medium irrigation projects i.e. projects which have been accorded investment approval by the Planning Commission, which are in an advanced stage of construction and can be completed in the next four (4) financial years and which are not receiving any other form of assistance (NABARD, external paid, etc.) can be considered for inclusion in the programme. Components of projects not receiving other assistance can also be included under the programme. To avoid thin spreading of resources, State Governments will have to concentrate only on a few promising projects.

2. Only on completion of one project under the programme, inclusion of another project will be considered. However, Fast Track Projects and pre Fifth and Fifth Plan projects can be included this programme without this stipulation.

3. For the KBK districts of Orissa, projects even in the initial stage of construction can be included.

4. The following categories will get priority for inclusion in the programme:
   - (i) projects benefiting tribal/ drought prone areas
   - (ii) inter-State projects (All party States will be eligible individually for assistance).
   - (iii) projects with larger irrigated area per unit of additional investment.

5. For large projects, assistance will be given for their phased completion so that additional benefits can start flowing early. Projects on which more than 50% of the estimated cost has been incurred will be given priority.

6. Extension, Renovation, Modernization (ERM) projects can be included subject to following conditions:

(a) can be permitted in States which have no major or medium projects to pose under AIBP and have thus not been availing AIBP.

(b) can be permitted:
   - (i) in States which have agreed to reform in water sector i.e. step up water rates to enable meeting full O&M cost over 5 years. (So far only Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Orissa and Jharkhand have signed necessary MoU).
   - (ii) in States which have enacted Participatory Irrigation Management legislation.
   - (iii) for ERM projects where new potential is also envisaged with water saved and not merely restoration of lost potential.

To ensure that funds do not flow only to ERM projects, not more than 10% of aggregate annual allocation under AIBP will be for ERM and 90% will thus for completion of major and medium projects.

7. State Governments will be required to enter into a MoU with the MoWR **(Annexure-I)** for each individual project under the programme indicating balance cost, balance potential, year-wise phasing of expenditure and balance potential and agreement to complete the project in 4 financial years with target completion date.

B) TERMS OF FUNDING AND MODE OF DISBURSEMENT

1. The assistance under the programme will be extended in the ratio 2:1 (Centre: State) in the case of non-special category States and 3:1 (Centre: State) in the case of special category States on a projectised mode.

2. The assistance will be on the pattern of normal centyral assistance i.e. 70% loan & 30% grant in the case of non-special category States and 10% loan and 90% grant in the case of special category States and KDK districts of Orissa.

3 The loan component of the assistance is to be raised by the States themselves from market borrowings and only the grant component will be released by the Centre.

4. States which are considered fiscally weak and not being able to raise loan component by market borrowing, the Central Government would raise loan financing for the loan component of the Central assistance to such States.

5. The drought-prone areas, tribal areas and flood-prone areas in the country, to be identified in consultation with the Planning Commission. Shall be treated at par with Special Category States for funding i.e., 90% grant and 10% loan.

6. During a financial year, the grant component will be released in two equal instalments. The first instalment will be released on confirmation of project-specific budget provision and receipt of utilization certificate for the required expenditure.

7. The second instalment will be released on receipt of utilization certificate for having incurred 70% of expenditure comprising the released grant component, required loan component to be raised by States and the State share.

8. Upto 15% of the assistance (grant & loan) can be utilized for meeting establishment expenditure to be adjusted against the State loan share.

9. Central releases will normally start June after budget is passed. However, for States which utilize the assistance by March, release of assistance in April-May will be considered subject to availability of funds.

10. The grant component together with the required loan component must be released to the project authorities by the State Government within 15 days of its release by the Government of India.

11. If State Government fails to comply with the agreed target date for completion, the grant component released will be treated as loan and recovered as per usual terms of recovery of Central loans.

12. The Utilization Certificate shall be issued by the Chief Engineer of the project and countersigned by Secretary (WR/ Irrigation)/ Secretary (Finance) of the State Government.

13. The terms and conditions for the repayment of the loan component of the Central assistance if raised by the Centre would be as fixed by the lending agency.

14. The States would be required to submit Audited Statements of Expenditure on the project within 9 months of the completion of the financial year.

15. The State Governments should confirm the project specific budget provision for grant component, State share and loan component raised the market borrowing.

C) <u>SPECIAL PROVISIONS FOR REFORMING STATES</u>

1) Criteria for categorizing a State as reforming

(a) At the end of one year, calculation & communication of data by the Government of existing projects category-wise relating to actual O&M as Rs. per ha. And net revenue collection.

(b) At the end of three years – Increase water rates to enable allocation of Rs. 225/ha. for MI schemes and Rs. 450/ha. to Major/ Medium projects from revenue earned without subsidy as per XI Finance Commission.

(c) At the end of 5 years – Further increase water rates to meet full O&M costs for all category of projects.

2) For States which agree to above milestones and submit required Undertaking (Annexure-II) to the MoWR, relaxed terms of assistance will be extended as under:

For non-special category States 4:1 (Centre: State).

For special category States and for projects in KBK and identified flood prone, tribal and drought prone areas, 1:0 (Centre: State)

3) In case of defaulting States, additional grant share released as per relaxed norms will be recovered fully from the States at prescribed rate of interest.

(D) SPECLAL PROVISION FOR FAST TRACK PROJECTS.

(1) approved projects which can be completed in next two financial years can be posed by states under Fast Track component of AIBP

(2) The pattern of assistance will be 1:O (Centre : State). The Central share will be on Normal Central Assistance Pattern with grant component being released by Centre and loan component raised by States.

(3) Establishment expenditure of projects under fast track will be entirely borne by States themsclves.

(4) The releases will be made in two instalments of 50% each. The second instalment will be released after full utilization of the 1st instalment.

(5) State governments will sign a MOU with the MoWR for fast track projects (Annexure-111)

(E) **<u>MONITORING OF PROJECTS</u>**

1) A comprehensive physical and financial periodical monitoring of major/ medium projects will be carried out by Central Water Commission with emphasis on quality control. Fast track projects will be closely monitored. The releases of subsequent instalments will be based on the recommendations of Central Water Commission.

2) Monitoring of the programme will also be done by the Ministry of Programme Implementation.

MODIFIED GUIDELINES FOR THE
ACCELERATED IRRIGATION BENEFITS PROGRAMME
EFFECTIVE FROM 1.4.2005
SURFACE MINOR IRRIGATION SCHEMES

A) ELIGIBILITY CRITERIA

(1) Surface Minor Irrigation (MI) Schemes (both new as well as on-going) of States of North-East, Hilly States (Himachal Pradesh, Sikkim, Jammu and Kashmir and Uttaranchal) and drought prone KBK districts of Orissa which are approved by State TAC/ State Planning Department will be eligible under the programme. However, the State Government should submit only those proposals where the individual schemes are benefiting irrigation potential of at least 20 ha. and group of schemes (within a radius of 5 km) benefiting total ultimate irrigation potential of at least 50 hs. The proposed MI schemes per ha. should not exceed Rs. 1.00 lakh.

(2) For Non-Special category States, only those Minor Irrigation Schemes with potential more than 100 hectare with preference to Tribal Areas and drought prone areas which wholly benefit dalits and adivasis are to be included under AIBP. The State Government would give an undertaking (Annexure-IV) for their completion on schedule in two financial years, beneficiary contributing 10% in cost and formation of Water Users Association (WUA) for post-construction maintenance. The schemes to be taken up will be decided in consultation with Planning Commission.

(3) The other conditions to be satisfied are:

i) State Government will be required to enter into a Memorandum of Understanding (MoU) (Annexure-I) for each individual/ group of schemes under the programme with MoWR indicating balance cost, balance potential, year-wise phasing of expenditure and agreement to complete the scheme in two financial years with target of completion date.

ii) The projects which are already receiving assistance from external/ domestic agencies such as NABARD will not be eligible for Central Assistance (CLA) under the programme.

B) TERMS OF FUNDING AND MODE OF DISBURSEMENT

1. The assistance under the programme will be extended in the ratio of 2:1 (Centre: State) in the case of special category States on a projectised mode.

2. The assistance will be on the pattern of normal central assistance i.e. 70% loan & 30% grant in the case of non-special category States and 10% loan and 90% grant in the case of special category States and KBK districts of Orissa.

3 The loan component of the assistance is to be raised by the States themselves from market borrowings and only the grant component will be released by the Centre.

4. States which are considered fiscally weak and not being able to raise loan component by market borrowing, the Central Government would raise loan financing for the loan component of the Central assistance to such States.

5. The drought-prone areas, tribal areas and flood-prone areas in the country, to be identified in consultation with the Planning Commission. Shall be treated at par with Special Category States for funding i.e., 90% grant and 10% loan.

6. During a financial year, the grant component will be released in two equal instalments. The first instalment will be released on confirmation of project-specific budget provision and receipt of utilization certificate for the required expenditure.

7. The second instalment will be released on receipt of utilization certificate for having incurred 70% of expenditure comprising the released grant component, required loan component to be raised by States and the State share.

8. Upto 15% of the assistance (grant & loan) can be utilized for meeting establishment expenditure to be adjusted against the State loan share.

9. Central releases will normally start June after budget is passed. However, for States which utilize the assistance by March, release of assistance in April-May will be considered subject to availability of funds.

10. The grant component together with the required loan component must be released to the project authorities by the State Government within 15 days of its release by the Government of India.

11. If State Government fails to comply with the agreed target date for completion, the grant component released will be treated as loan and recovered as per usual terms of recovery of Central loans.

12. The Utilization Certificate shall be issued by the Chief Engineer of the project and countersigned by Secretary (WR/ Irrigation)/ Secretary (Finance) of the State Government.

13. The terms and conditions for the repayment of the loan component of the Central assistance if raised by the Centre would be as fixed by the lending agency.

14. The States would be required to submit Audited Statements of Expenditure on the project within 9 months of the completion of the financial year.

15. The State Governments should confirm the project specific budget provision for grant component, State share and loan component raised the market borrowing.

C) SPECIAL PROVISIONS FOR REFORMING STATES

1) Criteria for categorizing a State as reforming

(A) At the end of one year, calculation & communication of data by the Government of existing projects category-wise relating to actual O&M as Rs. per ha. And net revenue collection.

(B) At the end of three years – Increase water rates to enable allocation of Rs. 225/ha. for MI schemes and Rs. 450/ha. to Major/ Medium projects from revenue earned without subsidy as per XI Finance Commission.

(C) At the end of 5 years – Further increase water rates to meet full O&M costs for all category of projects.

2) For States which agree to above milestones and submit required Undertaking (Annexure-II) to the MoWR, relaxed terms of assistance will be extended as under:

(a) For non-special category States 4:1 (Centre: State).

(b) For special category States and for projects in KBK and identified flood prone, tribal and drought prone areas, 1:0 (Centre: State)

3) In case of defaulting States, additional grant share released as per relaxed norms will be recovered fully from the States at prescribed rate of interest.

D) MONITORING OF PROJECTS

Monitoring system as given below is proposed for the projects availing CLA under the programme.

(1) Monitoring of these schemes has to be done by a State Government mechanism independent of construction agencies. These schemes would also be monitored periodically and accessed against predetermined targets by Ministry of Water Resources/ Central Water Commission.

(2) Quarterly Physical/ Financial progress report should be made available to Ministry of Water Resources. The Finance / Planning Department of the State Government should furnish utilization certificate before the release of the next instalment.

(3) The State Governments should provide sufficient O&M funds for these schemes and on completion preferably hand these over to local Panchayats/ water users associations.

(4) Number of schemes submitted by the State Governments should be in keeping with the existing staff which can handle these optimally.

Annexure-I

Memorandum of Understanding between the Ministry of Water Resources, Government of India and Government of …….. on completion pf irrigation project.

(1) The memorandum of understanding is made between the Ministry of Water Resources. Government of India and the Government of …….. for the completion of the ongoing ……. irrigation project in the next four (4) financial years under the central assistance programme of the Government of India.

(2) The ……. Irrigation project was approved by the Planning Commission in …… for Rs. …… crores to irrigate …… ha. annually.

(3) According to the State Government, the latest estimated cost of the project is Rs. …… crores, the expenditure till …….. is Rs. ……. Crores and potential of ……. ha. has already been created.

(4) The balance cost for completion of the project is thus Rs. …….. crores with a balance potential of …… ha. The physical and financial details of the components to be covered under this programme are annexed.

(5) The Ministry of Water Resources, Government of India agrees to extend Central assistance to cover the full balance cost of Rs. …….. crores for the completion of the project in then next four (4) financial years subject to the following conditions:

i) The project will be completed by the Government of …… by ……. .. Its completion will be informed immediately thereafter to the CWC, Ministry of Water Resources and the Planning Commission for deleting the project from the list of on-going projects.

ii) The Central assistance will be given in two instalments 50% each on year to year basis.

iii) The second instalment will be released after 70% utilization of the Ist instalment of CLA alongwith State share.

iv) The terms and conditions for the repayment of the Central assistance will be as prescribed by the Ministry of Finance from time to time.

v) The project will be closely monitored by the Central Water Commission and the release of the second instalment will be based on the recommendation of the Central Water Commission.

vi) The State Government shall ensure required quality control in the extension of the works. This aspect will also be covered by the Central Water Commission in their monitoring report.

vii) Request for extension of time limit for completion will not be normally entertained. Under special circumstances, extension of time-limit by one more year can be considered by the Ministry of Water Resources if proper justification is given by the State Government.

viii) In the event of default by the State Government to complete the project in the stipulated time, the 100% Central assistance will be converted to normal AIBP funding assistance as per existing terms and conditions applicable to the State viz. special or non-special category and recoveries due on account of this made from the State Government with interest as prescribed by the Ministry of

Finance in one lump by adjusting the same against the instalments of normal Central assistance.

Signed on the day …….200 at
New Delhi

For and on behalf of the Govt.

Of ……..

Secretary,

Government of ……

For and on behalf of

Government of ……

Commission (PR)

Ministry of Water Resources

Annexure-II

UNDERTAKING BY THE STATE GOVERNMENT OF FOR ECONOMIC REFORMS IN IRRIGATION SECTOR

To,

The President of India,
Acting through _____
(name, designation),
Ministry of _____
Government of India,
New Delhi.

In consideration of the President of India, acting through _____ having agreed for providing Central assistance to States for Economic Reforms in the irrigation sector under Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP), the Governor of the State of _____ acting through (name, designation), Ministry/ Department of _____ Government of _____ (hereinafter referred to as "the SG") hereby undertakes to review and rationalize the water rates for irrigation projects so as to recover full operation & maintenance cost within a period of maximum 5 (five) years for availing financial assistance under AIBP at proposed relaxed norms in the form of loan.

In pursuance to the aforesaid condition mentioned in the said AIBP, the SG do hereby declare and undertake as follows:

(i) Calculation and communication gap between actual O&M cost per hectare of major/ medium irrigation project including multi-purpose projects and minor projects and realization of water rates as on the date of the undertaking within one year from the date of signing of the undertaking shall be intimated to the Government of India (hereinafter referred to as "the GOI")

(ii) Revision of water rate to reach the milestones for 3rd year within one year from the date of signing of the undertaking.

(iii) Actual net revenue collection equivalent to cost of O&M at Rs. 225/ ha. for Minor Irrigation Schemes and Rs. 450/ ha. for major and medium schemes within a period of 3 years from the date of signing of undertaking.

(iv) The SG agrees to further increase the water rates to meet full O&M costs of irrigation projects within 5 (five) years from the date of signing undertaking.

(v) Half yearly progress report in respect of the steps taken by the SG for rationalizing the water rates shall be submitted to the GOI by 7th January and 7th July positively.

(vi) The SG shall immediately inform non-adherence, if any of the above programme and thereafter henceforth shall not make any claim for central assistance at proposed relaxed criteria.

(vii) In case of such failure, the SG will make extra efforts to meet the milestones set in the programme within one year otherwise additional central share as per relaxed norms provided to the SG shall be treated as withdrawn and recovered in one lumpsum instalment with interest as prescribed by the Ministry of Finance. Further Central assistance to the SG will be released as per existing norms.

Dated:_____ Signature_____

Place:_____ Secretary (WR/ Irrigation)_____

Govt. of _____

For and on behalf of the Governor of the State of _____

In presence of

(witness)

ANNEXURE-III

Memorandum of Understanding between the Minstry of Water Resources, Government of India and Government of …….. on completion of irrigation projects under Fast Track Programme

(1) The memorandum of understanding is made between the Ministry of Water Resources. Government of India and the Government of …….. for the completion of the ongoing ……. irrigation project in the next four (4) financial years under the central assistance programme of the Government of India.

(2) The.....…. Irrigation project was approved by the Planning Commission in …… for Rs. …… crores to irrigate …… ha. annually.

(3) According to the State Government, the latest estimated cost of the project is Rs. …… crores, the expenditure till …….. is Rs. ……. Crores and potential of ……. ha. has already been created.

(4) The balance cost for completion of the project is thus Rs. …….. crores with a balance potential of …… ha. The physical and financial details of the components to be covered under this programme are annexed.

5) The Ministry of Water Resources, Government of India agrees to extend Central assistance to cover the full balance cost of Rs. …….. crores for the completion of the project in then next four (4) financial years subject to the following conditions:

i) The project will be completed by the Government of …… by ……. .. Its completion will be informed immediately thereafter to the CWC, Ministry of Water Resources and the Planning Commission for deleting the project from the list of on-going projects.

ii) The Central assistance will be given in two instalments 50% each on year to year basis.

iii) The second instalment will be released after 70% utilization of the Ist instalment of CLA alongwith State share.

iv) The terms and conditions for the repayment of the Central assistance will be as prescribed by the Ministry of Finance from time to time.

v) The project will be closely monitored by the Central Water Commission and the release of the second instalment will be based on the recommendation of the Central Water Commission.

vi) The State Government shall ensure required quality control in the extension of the works. This aspect will also be covered by the Central Water Commission in their monitoring report.

vii) Request for extension of time limit for completion will not be normally entertained. Under special circumstances, extension of time-limit by one more year can be considered by the Ministry of Water Resources if proper justification is given by the State Government.

viii) In the event of default by the State Government to complete the project in the stipulated time, the 100% Central Assistance will be converted to normal AIBP

funding assistance as per existing terms and conditions applicable to the State viz. special or non-special category and recoveries due on account of this made from the State government with interest as prescribed by the Minstry of Finance in one lump by adjusting the same against the instalments of normal Central assistance.

Signed on the day …….200 at New Delhi

For and on behalf of the Govt.	For and on behalf of
Of ……..	Government of ……
Secretary,	Commission (PR)
Government of ……	Ministry of Water Resources

ANNEXURE-IV

UNDERTAKING BY THE STATE GOVERNMENT OF _____FOR INCLUSION OF NEW SURFACE MINOR IRRIGATION SCHEMES IN NON-SPECIAL CATEGORY STATES

To,

The President of India,
Acting through _____
(name, designation),
Ministry of _____
Government of India,
New Delhi.

In consideration of the President of India, acting through _____ having agreed for providing Central assistance to States for Surface Minor Irrigation Schemes under the Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP), the Governor of the State of _____ acting through (name, designation), Ministry/ Department of _____ Government of _____ , hereinafter referred to as "the SG", hereby declare and undertake as follows:-

i) The SG agrees for the completion of surface minor irrigation schemes on schedule.

ii) The SG agrees for 10% beneficiary contributing in cost.

iii) The SG will form water users association for post construction maintenance and formation of such water users association shall be intimated to Government of India within one year from the date of signing of the undertaking.

iv) Quarterly progress report in respect of the Surface Minor Irrigation Schemes being implemented under AIBP shall be submitted to the Government of India by 7th January, April, July and October positively.

v) In case of failure, the Central share provided to the SG under the programme shall be treated as withdrawn and recovered in one lump-sum instalment with interest as prescribed by the Ministry of Finance.

Dated:_____

Place:_____

Signature_____

Secretary (WR/ Irrigation)_____

Govt. of _____

For and on behalf of the Governor of the State of _____

In presence of

(witness)

MODIFIED GUIDELINES FOR THE ACCLERATED IRRIGATION BENEFITS PROGRAMME (AIBP) EFFECTIVE FROM DECEMBER 2006

A) ELIGIBILITY CRITERIA FOR FUNDING

1. Major, medium and Extension, Renovation & Modernization (ERM) irrigation projects (a) having investment clearance of Planning Commission (b) are in advanced stage of construction and can be completed in the next four financial year (c) are not receiving any other form of financial assistance can be considered for inclusion in the programme. Components of the projects not receiving any other form of financial assistance can also be considered for inclusion in the programme. The eligibility criteria as per prevailing guidelines for selection of ERM project will continue. New project could be included in programme only on completion of an outgoing project under AIBP on one to one basis EXCEPT FOR projects benefiting **(a)** drought-prone areas; (b) tribal areas; (c) states with lower irrigation development as compared to national average; and (d) districts identified under the PM's package for agrarian distress districts. The list of the projects included in the PM's package is given in Annexure-I.

2. Surface Minor Irrigation (MI) schemes (both new as well as ongoing) of states of North-East, Hilly States (Himachal Pradesh, Sikkim, Jammu and Kashmir and Uttaranchal) and drought prone KBK districts of Orissa which are approved by State TAC/ State Planning Department will be eligible for assistance under the programme provided that (i) individual schemes are benefiting irrigation potential of at least 20 ha. and group of schemes (within a radius of 5 km) benefiting total ultimate irrigation potential of at least 50 ha. (ii) proposed MI schemes have benefit cost ratio of kore than 1 and (iii) the development cost of these schemes per ha. is less than Rs. 1.00 lakh.

   For Non-special category states, only those minor irrigation schemes with potential more than 50 hectare which serve tribal areas and drought prone areas could be included under AIBP. The schemes to be taken up will be decided in consultation with Planning Commission.

B) TERMS OF FUNDING AND MODE OF DISBURSEMENT

1. The Central assistance will be in the form of central grant which will be 90% of project cost in case of special category States*, projects benefiting drought prone area, tribal area and flood prone area and 25% of project cost in case of Non-special category States**. The balance cost of the project as the state's share is to be arranged by the state government from its own resources.

2. During a financial year, the sanctioned grant will be released in two instalments. The first instalment based on projected outlay and the second instalment after completion of expenditure. The grant component amounting to 90% of the total grant sanctioned will be released immediately and balance 10% will be released when 70% of the agreed expenditure is incurred. Funding for the years subsequent to the first year will be based on the confirmation of expenditure of the previous years.

3. The grant component along with the state share must be released to the project authorities by the state governments within 15 days of its release by the Government of India.

4. State governments will be required to enter into an MoU with MoWR (Annexure-II for major/ medium projects and Annexure-III for minor irrigation schemes) for each individual project under the programme indicating balance cost, balance potential, year-wise phasing of expenditure vis-à-vis balance potential and agreement to create targeted irrigation potential in four financial years for major/ medium projects and two financial years for minor irrigation schemes in Non-special, category states, the state government would give an undertaking (Annexure-IV) for their completion on schedule in two financial years and formation of Water Users Association for post construction maintenance.

5. The Utilization Certificate shall be issued by the Chief Engineer of the project and countersigned by Secretary (Water Resources/ Irrigation)/ Secretary (Finance) of the state government. The Utilization Certificate must contain physical achievement of Irrigation Potential as agreed to in the MoU on year basis. In case, the physical achievements in a particular year are less than that agreed to in the MoU, further grant will be released only on achieving physical target. The final target date of completion will however not be changed from that entered into MoU.

6. If the State Governments fails to comply with the agreed date of completion, the grant released will be treated as loan and recovered as per terms of recovery of the Central Loan.

7. The States would be required to submit audited statements of expenditure incurred on the AIBP component of the project within nine months of the completion of the financial year. The release of financial years will not be considered if audited statement of expenditure is not furnished within nine months of release of central assistance.

8. The State Governments should confirm the project specific budget provision for work to be done under AIBP on year to year basis.

C) MONITORING OF PROJECTS

1. A comprehensive physical and financial periodical monitoring of major/ medium projects will be carried out by Central Water Commission/ Ministry of Water Resources and Ministry of Programme Implementation with emphasis on quality control.

   The monitoring visit and submission of Status Reports will be carried out by the Central Water Commission at least twice a year for the period ending March and September of the year. The releases of subsequent instalments will be based on physical and financial verification and the recommendations of Central Water Commission to the satisfaction of Ministry of Water Resources. The latest techniques such as monitoring through Remote Sensing Technology may be used by the Govt. of India to monitor the progress of works specifically, the Irrigation Potential created and States are required to provide necessary input details of Project to the Central Govt. time to time even after completion of Project.

2. Monitoring of the minor irrigation schemes has to be done by the State Government themselves through agencies independent of construction agencies. These schemes would also be monitored periodically on sample basis by Central Water Commission and assessed against predetermined targets by the Ministry of Water Resources.

****

* The Special Category States covers the North Eastern States, Sikkim, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, and Uttaranchal. The projects in the undivided Koraput, Bolangir and Kalahandi (KBK) districts of Orissa will also be treated at par with Special Category States.

** All other states not covered in special category shall be Non-Special Category States.

ANNEXURE – I

The following projects have been identified for completion under the Prime Minster's package for distressed districts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala:

MAHARASHTRA	**1**	**Wan**
	2	**Upper**
	3	**Pothra Nala**
	4	**Utawali**
	5	**Purna**
	6	**Lal Nala**
	7	**Kar**
	8	**Arunavati**
	9	**Lower Wardha**
	10	**Bembla**
	11	**Sapan**
	12	**Pen Takli**
	13	**Khadakpurna**
	14	**Chandra Bhaga**
	15	**Dham**
	16	**Nawargaon**
	17	**Lower Pedhi**

KARNATAKA	**1**	**Mahaprabha**
	2	**Ghataprabha Stage-III**
	3	**Votehole**
	4	**Hippargi**
	5	**Markendeya**
	6	**Mod. Of Bhadra**
	7	**Huchanakopplu Lift**
	8	**Kanchanahalli Lift**

	9	**Kamasamudra**
	10	**Rameswara Lift**
	11	**Ballary Nala**
	12	**Restoration and augment-ation of Bhima samudra tank**
	13	**Harangi**
	14	**Hemavathi**
	15	**Yagachi**
	16	**Dudhaganga**
	17	**Chiklihole**

MAHARASHTRA	**1**	**Flood flow canal from Sriram Sagar Project**
	2	**Gundlakamma Reservoir**
	3	**Shriramsagar Stage-II**
	4	**Palemvagu**
	5	**Rallivagu**
	6	**Mathadivagu**
	7	**Gollavagu**
	8	**Peddavagu**
	9	**Rajiv LIS (Bhima Proj)**
	10	**Veligallu**
	11	**Alisagar LIS**
	12	**Guthpa LIS**
	13	**J Choka Rao (godavari LIS)**
	14	**Neelwai**
	15	**Kinner Sane**
	16	**Dummududam N S Tail Pond**
	17	**Sripada Sagar LIS**

	18	**Rajiv Sagar LIS (Dummugudam)**
	19	**Pranahita-Chevella**
	20	**Koil Sagar LIS**
	21	**Singur Canal**
	22	**Indira Nagar LIS (Dummugudam)**
	23	**Komaram Bhim**
	24	**Choutapally Hanumanth Reddy LIS**
	25	**Modikuntavagu**

KERALA	**1**	**Chitturpuzha Project**
	2	**Karapuzha Project**
	3	**Malampuzha**
	4	**Koriarkutty Karapa**
	5	**Bansursagar**
	6	**Kanjirapuzha**

Note: AIBP assistance to these projects is subject to projects setting investment clearance from Planning Commission.

ANNEXURE-II

Memorandum of Understanding between the Minstry of Water Resources, Government of India and Government of …….. on completion of irrigation projects under Fast Track Programme

1. The memorandum of understanding is made between the Ministry of Water Resources. Government of India and the Government of …….. for the completion of ongoing ……. irrigation project in the next four (4) financial years under the central assistance programme of the Government of India.

2. The ……. irrigation project was approved by the Planning Commission in …… for Rs. …… crores to irrigate …… ha. annually.

3. According to the State Government, the latest estimated cost of the project is Rs. …… crores, at …… price level and the latest estimated cost approved by Central Water Commission is Rs. ……. crore at ……. Price level. The expenditure up to…….. is Rs. ……. crores and a potential of ……. ha. has already been created.

4. The balance cost for completion of the project is thus Rs. …….. crores with a balance potential of …… ha. The physical and financial details of the components to be covered under this programme are annexed. The physical year-wise target* for creation potential will be as under:

   1st year – No target

   2nd year – Atleast 30% of total irrigation potential included in AIBP.

   3rd year – Atleast 60% of total irrigation potential included in AIBP.

   4th year – 100% irrigation potential included in AIBP.

5. The Ministry of Water Resources, Government of India agrees to extend Central assistance to cover the full balance cost of Rs. …….. crores for the completion of the project in then next four (4) financial years subject to the following conditions:

   i) The project will be completed by the Government of …… by ……. .. Its completion will be informed immediately thereafter to the CWC, Ministry of Water Resources and the Planning Commission for deleting the project from the list of on-going projects.

   ii) The Central assistance will be given in two instalments I[st], 90% and 2[nd], 10% of total grant to be released on year to year basis.

   iii) The balance second instalment of 10% will be released after 70% of the expenditure is incurred and physical target of potential creation for the year is also achieved and indicated in Utilization Certificate.

   iv) The project will be closely monitored by the Central Water Commission/ Ministry of Water Resources and the release of the subsequent instalment will be based on the recommendations of the Central Water Commission/ Ministry of Water Resources.

v) The State Government shall ensure required quality control in the extension of the works. This aspect will also be covered by the Central Water Commission in their monitoring report.

Signed on the day …….200 at
New Delhi

For and on behalf of the Govt. of ……..

……

Secretary, Government of ……

For and on behalf of Government of India

…….

Commission (PROJECTS), Ministry of Water Resources

* Deviation in the programme of potential creation would be with the concurrence of CWC/ MoWR.

ANNEXURE-III

Memorandum of Understanding between the Minstry of Water Resources, Government of India and Government of …….. on completion of irrigation projects under Minor Irrigation Schemes

1. The memorandum of understanding is made between the Ministry of Water Resources. Government of India and the Government of …….. for the completion of ……. ongoing irrigation project in the next four (4) financial years under the central assistance programme of the Government of India.
2. The ……. irrigation project was approved by the Planning Commission in …… for Rs. …… crores to irrigate …… ha. annually.
3. According to the State Government, the latest estimated cost of the project is Rs. …… crore, at …… price level. The expenditure up to ……. is Rs. ……. crore and a potential of ……. ha. has already been created.
4. The balance cost for completion of the project is thus Rs. …….. crores with a balance potential of …… ha. The physical and financial details of the components to be covered under this programme are annexed. The physical year-wise target* for creation potential will be as under:

   1st year – 10% irrigation potential included in AIBP.

   2nd year –100% irrigation potential included in AIBP.
5. The Ministry of Water Resources, Government of India agrees to extend Central assistance to cover the full balance cost of Rs. …….. crores for the completion of the project in then next two (2) financial years subject to the following conditions:
   i) The project will be completed by the Government of …… by ……. .. Its completion will be informed immediately to the Ministry of Water Resources and the Planning Commission for deleting the project from the list of on-going projects.
   ii) The Central assistance will be given in two instalments Ist, 90% and 2nd, 10% of total grant to be released on year to year basis.
   iii) The balance second instalment of 10% will be released after 70% of the expenditure is incurred and physical target of potential creation for the year is also achieved and indicated in Utilization Certificate.
   iv) The project will be closely monitored by the Ministry of Water Resources and the release of the subsequent instalment will be based on the recommendations of the Ministry of Water Resources. Quarterly progress report in respect of the Surface Minor Irrigation Schemes being implemented under AIBP shall be submitted to the Government of India by 7th January, April, July and October positively.
   v) The State Government shall ensure required quality control in the extension of the works.

Signed on the day …….200	at New Delhi	For and on behalf of Government of India
For and on behalf of the Govt. of …..…		…….
Secretary, Government of ……		Commission (PROJECTS), Ministry of Water Resources

* Deviation in the programme of potential creation would be with the concurrence of CWC/ MoWR.

ANNEXURE-IV

UNDERTAKING BY THE STATE GOVERNMENT OF FOR INCLUSION OF NEW SURFACE MINOR IRRIGATION SCHEMES IN NON-SPECIAL CATEGORY STATES

To,

The President of India,
Acting through _____
(name, designation),
Ministry of _____
Government of India,
New Delhi.

In consideration of the President of India, acting through _____ having agreed for providing Central assistance to States for Surface Minor Irrigation Schemes under the Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP), the Governor of the State of _____ acting through (name, designation), Ministry/ Department of _____ Government of _____ , hereinafter referred to as "the SG", hereby declare and undertake as follows:-

i) The SG agrees for the completion of surface minor irrigation schemes on schedule.

ii) Quarterly progress report in respect of the Surface Minor Irrigation Schemes being implemented under AIBP shall be submitted to the Government of India by 7th January, April, July and October positively.

iii) The SG will form water users association for post construction maintenance and formation of such water users association shall be intimated to Government of India within one year from the date of signing of the undertaking.

iv) In case of failure, the Central share provided to the SG under the programme shall be treated as withdrawn and recovered in one lump-sum instalment with interest as prescribed by the Ministry of Finance.

Dated:_____ Signature_____

Place:_____ Secretary (WR/ Irrigation)_____

Govt. of _____

For and on behalf of the Governor of the State of _____

In presence of

(witness)

AIBP Guidelines April2005, Dec2006, Oct 2013, RRR_PMKSY-Guidelines June2017, SMI_PMKSY-Guidelines- June2017 विभाग की वैबसाइट WWW.minorirrigation. uk.gov.in पर Acts and Rules के अन्तर्गत उपलब्ध है।

रजिस्ट्री सं0–डी–221 **REGISTERED NO.**
D-221

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2–अनुभाग 1क
PART II-SECTION 1A
प्राधिकार से प्रकाषित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं0 4 XXXIX	नई दिल्ली, गुरूवार 13 अक्टुबर 2005	खण्ड
No.4 XXXIX	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2005/ASVINA 21, 1927 (SAKA)	VOL.

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है, जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Sepatate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compellation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि विभाग)

नई दिल्ली, 13 अक्टुबर, 2004/21, आष्विन, 1927 (शक)

दि स्पेशन ट्रिब्यूनल्स (सप्लीमेन्टरी प्रोविजन्स) रिपील ऐक्ट, 2004 (2) दि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड दि गवर्नमेंट ऑफ नेषनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ देहली (अमेंडमेंट) ऐक्ट 2005 और (3) दि राइट टू इनफार्मेषन ऐक्ट 2005

के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किये जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जायेंगे।

MINISTRAY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Dehli, October 13, 2005/Asvina 21, 1927 (Saka)

The Translation in Hindi of the following namely-(1) The Special Tribunals (Supplementary Provisions) Repeal Act, 2004 (2) The Government of Union Territories and the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2005; and (3) The Right to Information Act, 2005 are hereby published under the authority for the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

(15 जून 2005)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संबर्द्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहूंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुशंगिक विषयों का उपयोग करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है,

और लोकतन्त्र षिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना का पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और संस्कारों, तब उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है

और उसके वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से सम्भवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दश प्रचालन, समिति राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाये रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है।

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाये रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है

अतः अब यह समीची है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए

भारत गणराज्य के छप्पनवे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हैः–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षित नाम, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरन्त प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के षेश उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत होंगे।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध मं जो–

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसे स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ख) ''केन्द्रीय सूचना आयोग'' से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है

(ग) ''केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है

(घ) ''मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''सूचना आयुक्त'' से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत हैय

(ड) ''सक्षम अधिकारी'' से अभिप्रेत है–

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, सिमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिशद की दशा में सभापति

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति,

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल,

(अ) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक

(च) ''सूचना'' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहितस, जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है,

(छ) ''विहित'' से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ज) ''लोक प्राधिकारी'' से–

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन :
(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :
(ग) राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ,
(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गये आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत,–
(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है :

(ii) कोई ऐसा गैर सरकार संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

(झ) ''अभिलेख'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–
(क) कोई दत्तावेज, पाण्डुलिपि और फाईल,
(ख) किसी दस्तावेज की कोई माईक्रोफिल्म, माईक्रोफिश और प्रतिकृति प्रति,
(ग) ऐसी माईग्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रलिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे विधित रूप में हो या न हो), और
(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री,
(ञ) ''सूचना का अधिकारी'' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है–

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण,
(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना,
(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना,
(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना,

(V) ''राज्य सूचना आयोग'' से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत हैं,

(ड) ''राज्य लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित

राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है,

(ढ) ''पर व्यक्ति'' से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी हैं।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

सूचना का अधिकारी

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताए

4.(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी–

(क) अपने सीाी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम केअधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देष में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर–

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य,

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य,

(iii) विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है,

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान,

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख,

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण,

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामष्र के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है,

(viii) ऐसे बोर्डो, परिषदो, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदो, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण,

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जां उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो,

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपार्टों की विशिष्टियां उपदर्षित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट,

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों निश्पादन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के बयौरे सम्मिलित हैं,

(xiii) अपने द्वारा अनुदत रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के अप्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां,

(xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों,

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां,

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा।

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोशणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा,

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध करायेगा।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरन्तर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वपेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी हैं, इतीन अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कूम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हों।

(4) सभी सामग्री को लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण–उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, ''प्रसारित'' से

सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोशणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है।

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम

5.(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाभिहित करेगा :

परन्तु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जायेगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चालने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध।

6.(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए–

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी,

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :

परन्तु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेख्बद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है,–

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बार में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा :

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुरक्षण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।

अनुरोध का निपटारा

7.(1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधरा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा,

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चिय करने में असफल रहता है तो यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजुर कर दिया है।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले को–

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के पयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा,

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रक्रिया और कोई, अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चिय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशकत है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए :

परंतु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधरा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रखा के नीचे है, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चिय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को–

(i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण,

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी, और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां,

संसूचित करेगा।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

सूचना के प्रकट किये जाने से छूट

8.(1) इस अधिनियम के अन्तर्ग किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी–

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो,

(ख) सूचना, जिसके प्रकाषन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा

अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है,

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विशेषाधिकारी का भंग कारित होगा,

(घ) सूचना जिसमें वाणिज्यक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है :

(ड) किसी व्यक्ति को उसकी वैष्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है,

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना,

(छ) सूचना, जिसकी प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेशण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचयार विमर्ष के अभिलेख सम्मिलित हैं

परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गये थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध करए जाएंगे :

परंतु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे,

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है

परंतु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति,, संसद या किसी विधान–मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) खंड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी :

परंतु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार या विनिश्चय अंतिम होगा।

कतिपय मामलों में पहुंच के लिए आधार

9. धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थितिस, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा।

पृथक्करणीयता

10.(1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा कि–

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात उपलब्ध कराया जा रहा है,

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है,

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम,

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के बैयौरे और फीस की वह रकम, जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है, और

(ड) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विर्निदिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है।

पर व्यक्ति सूचना

11.(1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधियनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी

पर व्यक्ति सूचना

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यो का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होग, जिसकी सहायक सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृति नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

पदावधि और सेवा षर्त।

13.(1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए मद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उसी तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा

परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते–

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं,

(ख) सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की हैं

परंतु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा क` संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे सराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर, सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

परंतु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त, आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परंतु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ताओं और सेवा की अन्य षर्तो में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्जतों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त हटाया जाना।

14.(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलम्बित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिशिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त,–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है, या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है, या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के आयोग्य है, या

(ड) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सुचना आयुकत के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपन के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्राद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्यिों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजन के एिल कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 4
राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग का गठन

15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा.....(राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,–

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता, और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देषित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य

स्पष्टीकरण–षंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा मं विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यो का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है, या की जा सकती है।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

राज्य सूचना आयोग का गठन

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुकत या राज्य सूचना आयुकत, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

पदावधि और सेव की शर्ते

16.(1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा

परंतु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुकत पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 15 की उपधारा (3) में विर्निदिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगाः

परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते–

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वहीं होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं ,

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं :

परंतु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसकी वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया

था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या रज्य सरकार स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुकत या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जायेगी :

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य षर्तो में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कम्रचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त एि गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना

17.(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राजय मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपालन द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राजयपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिशिद्ध भी कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है, या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिस राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है : या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है, या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है, या

(ड) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे राज्य, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ने की सम्भावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोदभूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियों और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य

18.(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे–

(क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम केअधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई है या यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार दिया गया है

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है,

(घ) जिसमें ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है,

(ड) जो यह विश्वास करता है कि उसेइस अधिनियम के अधीन अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है, और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधिता किसी अन्य विश्य के संबंध में।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधार हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात :–

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के

लिए उनको विवश करना,

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना,

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिया मंगाना

(ड) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) यथास्थिति, संसद या राज्य विधान–मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी अंसंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर कसेगा, जिसे वह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

अपील

19.(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिष्च से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चिय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाईल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरूद्ध की जाती है, वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी :

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्री लोक सूचना आयोग पर राज्य सूचना आयोग, नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को प्रस्तुत कर सकेगा, यदि उसका यह समाधार हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तथा यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई को युक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध के

अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राजय लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भतर, जो उसके फाइल लिए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(8) अपने विनिश्चिय में यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है–

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतग्रत निम्नलिखित भी हैं :–

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है,

(ii) यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना,

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गो को प्रकाशित करना,

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाष से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना,

(अ) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना,

(अप) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुरक्षण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना,

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना,

(ग) इस अधिनियम केअधीन उपबंधित शक्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना,

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।

शास्ति।

20. (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथासीमित, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति केन्द्रीय लोक,

सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने सेइंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध सेइंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दा सौ पचास रूपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापित, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपसे से अधिक नहीं होगी :

परंतु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त स्प से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए इनुरोध स इंकार किया है या जानबूझकर गलत अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह, यथासिंिति, ऐसे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुषासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

21. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए बए किसी नियम केअधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आषयित है, किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगें

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

23. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐस किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सकरार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नही होगी

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना

इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी

परंतु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों, से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन पश्चात ही दी जाएगीऔर धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, सेषोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाषन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नही ंकी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के हेाते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की पाप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

मानीटर करना और रिपोर्ट करन

25.(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध करायेगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना कोद ेने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में जिससे रिपोर्ट संबंधित है, निम्नलिखित के बारे में कथन होगा–

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या,

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था,

(ग) पुनर्विलाकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य

सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष,

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुषासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां,

(ड) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम,

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्षित करते हैं,

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संषोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी है।

(4) यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात, यथासाध्यषीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सद के समक्ष या जहां राज्य विधान मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान मंडल का एक सद है वहां उस सदन के सक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिंए, सिफारिश कर सकेगा।

समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना

26.(1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक–

(क) जनता की विशेष से, उपेक्षित समुदाय की इस बारे में समझ की, वृद्धि के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए, शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी,

(ख) लोक प्राधिकारियों को खण्ड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने अैर उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी,

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके कियाकलापों के बारमें से सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी,

(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथासिीति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रीयों का उत्पादन कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना एकी मार्गदर्षिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम

में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टियां और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रोनिक डाक पता,

(ग) वह रीति और प्ररूप, जिसमें, यथासिीति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा,

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य,

(ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायक,

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है,

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेख के प्रवर्गो के स्वेच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध,

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

नियम बनाने की समुचित सरकार शक्ति

27.(1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे अर्थात :–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य,

(ख) धारा 6 के की उपधारा (1) के अधीन,

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस,

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के

निबंधन और शर्त,

(ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति

28.(1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यपकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :–

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य,

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस,

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस, और

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षितहो या विहित किया जाए।

नियमों का रखा जाना

29.(1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, ज बवह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यउि उस सत्र के या पूर्वाक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम कें कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात यथास्थिति, केवल ऐसे उपोतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापित, उस निम के ऐसे उपांतरित या निश्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

30.(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

थ्नरसन

31. सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

पहली अनुसूची

{धारा 13(3) औरा धारा 16(3) देखिए}

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

''मैं, जो.....

मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं

के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निश्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखुंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवके से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वैश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।

पहली अनुसूची

{धारा 24 देखिए}

केन्द्रीय सराकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड।
3. राजस्व आसूचना निदेशायल।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।
5. प्रवर्तन निदेशायल।
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र।
8. विशेष सीमान्त बल।
9. सीमा सुरक्षा बल।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल।
11. भारत–तिब्बत सीमा बल।
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
14. असम राईफल्स।
15. विशेष सेवा ब्यूरो।
16. विशेष शाखा (सी0आई0डी), अंदमान और निकोबार।
17. अपराध शाखाा–सी0आई0डी0, दादरा और नागर हवेली।
18. विशेष शाखा, लक्षद्वीप पुलिस।

टी0के0 विश्वनाथन
सचिव, भारत सरकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नामित लोक सूचना अधिकारी :

लघु सिंचाई विभाग के राज्य स्तर, वृत्त स्तर, खण्ड स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर नामित अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा सम्पर्क नम्बर आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम/पूर्ण पता	लोक सूचना प्राधिकारी	कार्यालय फोन/फैक्स नम्बर
शासन स्तर :				
1	श्री राम सिंह राणा	अनुभाग अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन	लोक सूचना अधिकारी	
2	श्री विकरम सिंह राणा	उप सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अपीलीय अधिकारी	
निदेशालय स्तर :				
1	श्री जे0पी0भाष्कर	स्टाफ अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, लघु सिंचाई भवन, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, लेन न0–3, नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून,	लोक सूचना अधिकारी	(0135) 2662157 (0135) 2662159
2	श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता,(मु0) लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, लघु सिंचाई भवन, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, लेन न0–3, नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून,	सहायक लोक सूचना अधिकारी	
3	श्री मुहम्मद उमर	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, लघु सिंचाई भवन, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, लेन न0–3, नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून,	अपीलीय अधिकारी	(0135) 2672006 (0135) 2662159
मण्डल स्तर				
4	श्री बी0के0 तिवारी	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, टिहरी, सेक्टर 2 जी, 13–बी0, विधि विहार, टिहरी,	लोक सूचना अधिकारी/जनपद देहरादून/उत्तरकाशी/टिहरी/हरिद्वार	(01376)232256 (01376)232256
5	श्री पी0के0 सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौडी	लोक सूचना अधिकारी जनपद पौडी/चमोली/रूद्रप्रयाग	(01368)221372 (01368)221372
6	श्री रहमद अली खान	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, हल्द्वानी, कालाढूंगी, रोड़, पो0 हरिपुर नायक।	लोक सूचना अधिकारी/जनपद नैनीताल/ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा	(05946) 284559 (01368) 284559
7	श्री प्रशान्त कुमार	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पिथौरागढ़, स्टोर भवन सिलपाटा, पिथौरागढ़	लोक सूचना अधिकारी पिथौरागढ़/चम्पावत/बागेश्वर	(05964) 225676 (05964) 225676
8	श्री मुहम्मद उमर	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड	अपीलीय अधिकारी	(0135) 2672006 (0135) 2662159
जनपद स्तरीय				
9	श्री राजीव रंजन	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी।	लोक सूचना अधिकारी	(01368)222077
10	श्री दीपांकर भारती	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गोपेश्वर, चमोली।	लोक सूचना अधिकारी	01372-251432
11	श्री सुरेश चन्द्रा	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग।	लोक सूचना अधिकारी	01364-233062

12	श्री पी0के0 सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी।	अपीलीय अधिकारी / जनपद–पौडी / चमोली / रूद्रप्रयाग	(01368)221372 (01368)221372
13	श्री ए.के. पाठक	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी।	लोक सूचना अधिकारी	(01376)234134 (01376)234134
14	श्री बृजेश कुमार गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।	लोक सूचना अधिकारी	01374-226167
15	श्री रवीन्द्र प्रसाद	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी	0135-2768972 0135-2768972
16	श्री संजय कुमार भास्कर	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार, निकट उपभोगता फोरम, न्यायालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।	लोक सूचना अधिकारी	01334-250934
17	श्री बी0के0 तिवारी	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, टिहरी।	अपीलीय अधिकारी जनपद–देहरादून / उत्तरकाशी / टिहरी / हरिद्वार	(01376)232256 (01376)232256
18	श्री के0एस0कन्याल	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, भीमताल, नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी	05942-248429
19	श्री विनय कुमार	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	लोक सूचना अधिकारी	05942-247688 05942-247688
20	श्री अंगद सिंह(प्र0)	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा।	लोक सूचना अधिकारी	05962-232771
21	श्री रहमद अली खान	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, हल्द्वानी	अपीलीय अधिकारी जनपद– नैनीताल / ऊधमसिंहनगर / अल्मोड़ा	05946-284559 05946-284559
22	श्री अभिषेक खोलिया	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़।	लोक सूचना अधिकारी	05964-225676
23	श्री नरेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।	लोक सूचना अधिकारी	05963-220277 05963-220277
24	श्री विमल कुमार सूंठा	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चम्पावद।	लोक सूचना अधिकारी	05965-230949 05965-230949
25	श्री प्रशान्त कुमार(प्र0)	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पिथौरागढ़	अपीलीय अधिकारी जनपद–पिथौरागढ़ / चम्पावत / बागेश्वर	05964-225676 05964-225676
26	श्री विनय भट्ट	सहायक अभियन्ता(प्र0)	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, चमोली ।	–
27	श्री विनय भट्ट	सहायक अभियन्ता(प्र0)	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, कर्णप्रयाग।	–
28	श्री जय सिंह नेगी	सहायक अभियन्ता(प्र0)	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, थराली	–
30	श्री अनिल प्रसाद घिल्डियाल	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, रूद्रप्रयाग।	–
31	रिक्त	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, उखीमठ।	–
32	श्री पंकज जैन	सहायक अभियन्ता(प्र0)	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, पौड़ी।	–
33	श्री टी0एन0सिंह यादव	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, सतपुली।	–
34	श्री सुशील कुमार	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, स्यूँसी।	–
35	श्री धीरज कुमार	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, कोटद्वार।	–
36	श्री सुशील कुमार	सहायक अभियन्ता(प्र0)	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, लक्ष्मणझूला।	–

37	श्री पृथ्वी सिंह भण्डारी	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड, देहरादून	–
38	श्री विष्णु दत्त बैंजवाल	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, डाकपत्थर।	–
39	श्री मुकेश दत्त बिज्लवाण	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड, चकराता।	–
39	श्री हरिराज सिंह यादव	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, हरिद्वार।	–
40	श्री भरत राम	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, रूडकी।	–
41	श्री मोहन लाल आर्य, सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता(प्र0)	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, उत्तरकाशी।	–
42	श्री गुरूदेव सिंह, सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, नौगांव	–
43	श्री ए. के. शुक्ला	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, टिहरी	–
44	श्री मातबर सिंह फर्सवाण	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, नरेन्द्रनगर	–
45	श्री ए. जेड. बेग	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, घनसाली	–
46	श्री राजेश कुमार सिंह	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, नैनाताल	–
47	श्री आर0के0सिंह	सहायक अभियन्ता(प्र0)	सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड, हल्द्वानी	
48	श्री एस0बी0यादव	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, धारी	–
59	श्री एस0के0श्रीवास्तव0	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, ऊधमसिंहनगर	–
50	श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, काशीपुर	–
51	श्री अरूण कुमार तिवारी	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, अल्मोड़ा	
52	श्री राम औतार यादव	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, रानीखेत	–
53	श्री अंगद सिंह	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, भिकियासैंण	–
54	रिक्त	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, पिथौरागढ़।	–
55	श्री भरत प्रकाश सिह	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, डीडीहाट	–
56	श्री सनीत रावत	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, बेरीनाग	–
57	श्री अमित अडवाल	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, बागेश्वर।	–
58	श्री राकेश कुमार यादव	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, कपकोट बागेश्वर।	–
59	श्री विमल कुमार सूंठा	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, चम्पावत।	–
60	श्री मदन मोहन शर्मा	सहायक अभियन्ता	सहायक लोक सूचना अधिकार, उपखण्ड, बाराकोट।	05965-230949
61	श्री ओमकार नाथ तिवारी	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड रायपुर देहरादून	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(0135) 2764507 —

63	श्री आशीष ममगांई	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड डोईवाला देहरादून	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
64	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड सहसपुर देहरादून	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
65	श्री जमाल अब्दुल समी	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड विकासनगर देहरादून	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
66	श्री सुनील कुमार	कनिष्ठ अभि0 विकासखण्ड कालसी देहरादून	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
67	श्री सोनू कुमार/ श्री विजय चौहान	कनिष्ठ अभि0 विकासखण्ड चकराता देहरादून	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
68	श्री राजकुमार	कनिष्ठ अभियन्ता उपखण्ड देहरादून	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
69	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड चम्बा टिहरी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(01376) 255254
70	श्री जुगेन्द्र प्रताप सिंह	कनिष्ठ अभि0 विकासखण्ड छाम (थौलधार) टिहरी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
71	श्री जॉनी कुमार	कनिष्ठ अभि0 विकासखण्ड प्रतापनगर टिहरी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
72	श्री पुष्कर सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड भिलंगना टिहरी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
73	श्री सचिन गौड़	कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) विकासखण्ड कीर्तिनगर टिहरी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
74	श्री अंकित कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड जाखणीधार टिहरी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
75	श्री अनिल रतूड़ी	कनिष्ठ अभि0 (संविदा) विकासखण्ड देवप्रयाग टिहरी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
76	श्री राकेश कुमार सिंह	कनिष्ठ अभि0 विकासखण्ड नरेन्द्रनगर टिहरी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
77	श्री राजीव रंजन	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड जौनपुर टिहरी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
78	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड बहादराबाद हरिद्वार	सहायक लोक सूचना अधिकार,	— —
79	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड लक्सर हरिद्वार	सहायक लोक सूचना अधिकार,	—
80	श्री अनुज कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) विकासखण्ड खानपुर हरिद्वार	सहायक लोक सूचना अधिकार,	—
81	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड रूड़की	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(0133) 2267499
82	श्री राकेश कुमार	कनिष्ठ अभि0 (संविदा) विकासखण्ड भगवानपुर हरिद्वार	सहायक लोक सूचना अधिकार,	–
83	रिक्त	कनिष्ठ अभि0 (संविदा) विकासखण्ड नारसन हरिद्वार	सहायक लोक सूचना अधिकार,	–
84	श्री शैलेन्द्र चौहान	कनिष्ठ अभि0 (संविदा) विकासखण्ड भटवाड़ी उत्तरकाशी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
85	श्री मो0 आसिफ	कनिष्ठ अभि0(संविदा) विकासखण्ड नौगांव उत्तरकाशी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –

86	श्री मोहन लाल आर्य	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
87	श्री सौरभ बिष्ट	कनिष्ठ अभि0 विकासखण्ड पुरोला उत्तरकाशी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
88	रिक्त	कनिष्ठ अभि0 विकासखण्ड मोरी उत्तरकाशी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
89	श्री संदीप कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड डुण्डा उत्तरकाशी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
90	श्री राहुल रूहेला	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड थराली चमोली	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(01363) 271239
91	श्री दलीप सिंह	कनिष्ठ अभि0 (संविदा) विकासखण्ड देवाल चमोली	सहायक लोक सूचना अधिकार,	
92	रिक्त	कनिष्ठ अभि0 विकासखण्ड नारायणबगड़ चमोली	सहायक लोक सूचना अधिकार,	
93	श्री नरेन्द्र सिंह राणा	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड दशोली चमोली	सहायक लोक सूचना अधिकार,	
94	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड घाट चमोली	सहायक लोक सूचना अधिकार,	
95	श्री कमलेश चौहान	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड कर्णप्रयाग चमोली	सहायक लोक सूचना अधिकार,	
96	श्री अमित कुमार पाल	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड गैरसैण चमोली	सहायक लोक सूचना अधिकार,	
97	श्री दुर्गेश कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड जोशीमठ चमोली	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(01389) 222186
98	श्री नारायण प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड पोखरी चमोली	सहायक लोक सूचना अधिकार,	–
99	श्री बिरेन्द्र कुमार डंगवाल	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड अगस्तमुनी रुद्रप्रयाग	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
100	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) विकासखण्ड जखोली रुद्रप्रयाग	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(01364) 234256
101	श्री प्रवीन सिंह तोमर	कनिष्ठ अभि0 (संविदा), विकासखण्ड, उखीमठ, रूद्रप्रयाग	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
102	श्री अनिल कुमार	कनिष्ठ अभि0 विकासखण्ड कोट पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	–
103	रिक्त	कनिष्ठ अभि0 (संविदा) विकासखण्ड कल्जीखाल पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	–
104	श्री नत्थू सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड यमकेश्वर पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	–
105	कु0शिवानी जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड दुगड्डा पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	–
106	श्री प्रमोद कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड नैनीडांडा पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	–
107	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड, पोखड़ा।	सहायक लोक सूचना अधिकार,	–
108	श्री सन्तोष लखेडा	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड एकेश्वर पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	–

109	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड खिर्सू,पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
110	श्री विजय कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
111	श्री राजेश सेमवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) विकासखण्ड पाबौ पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	
112	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड थलीसैण पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
113	श्री प्रताप सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड बीरोंखाल पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
114	श्री एस0के0गुप्ता	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड जयहरीखाल पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
115	श्री एस0एस0रावत	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड रिखणीखाल पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
116	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड द्वारीखाल, पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
117	श्री सफीक अहमद	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड धारी, नैनीताल	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
118	श्री अरविन्द कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड बेतालघाट नैनीताल	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(05942) 247645 –
119	श्री हर्षबर्धन पाठक	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड कोटाबाग, नैनीताल	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
120	श्री संजय कुमार	कनिष्ठ अभि0 (संविदा) विकासखण्ड भीमताल, नैनीताल	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
121	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(05946) 262721 –
122	श्री अरूण कुमार लोशाली	कनिष्ठ अभि0 विकासखण्ड ओखलकाण्डा, नैनीताल	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
123	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड रामगढ़, नैनीताल	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
124	श्री गजेन्द्र पाल	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड रामनगर, नैनीताल	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(05942) 238348 –
125	श्री आनन्द सिंह बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड लमगड़ा, अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
126	श्री श्याम सिंह बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड भैसियाछाना, अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
127	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड स्यालदे, अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	
128	श्री महेश चन्द्र मठपाल	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड भिक्यासैण, अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
129	श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड हवालबाग, अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
130	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड द्वाराहाट, अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
131	श्री सुब्रत राय	कनिष्ठ अभि0 (संविदा) विकासखण्ड धौलादेवी, अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –

132	श्री संदीप कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड सल्ट, अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
133	श्री जीवन जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड ताकुला अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
134	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड ताड़ीखेत अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
135	श्री मनोज पाण्डे	कनिष्ठ अभि0 (संविदा), विकासखण्ड चौखुटिया अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
136	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड काशीपुर उधमसिंहनगर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
138	श्री मनोज मेहता	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड खटीमा उधमसिंहनगर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
139	श्री अनिल कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड गदरपुर उधमसिंहनगर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
140	कु0सीमा खान	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड रुद्रपुर उधमसिंहनगर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
141	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड बाजपुर उधमसिंहनगर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
142	श्री टिंकू सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड जसपुर उधमसिंहनगर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
143	श्री पी0सी0शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड सितारगंज उधमसिंहनगर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
144	श्री विक्रान्त काम्बौज	कनिष्ठ अभि0(संविदा) विकासखण्ड धारचूला, पिथौरागढ़	सहायक लोक सूचना अधिकार,	
145	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड बेरीनाग, पिथौरागढ़	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
146	श्री रविन्द्र प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड डीडीहाट, पिथौरागढ़	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
147	कु0 रूचि पडालिया	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड विण, पिथौरागढ़	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
148	श्री प्रेम सिंह तितियाल	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड मुन्स्यारी पिथौरागढ़	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
149	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड गंगोलीहाट पिथौरागढ़	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
150	श्री दिनेशचन्द्र पाण्डे	कनिष्ठ अभि0,विकासखण्ड कनालीछीना, पिथौरागढ़	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
151	श्री प्रदीप सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड मूनाकोट पिथौरागढ़	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
152	श्री ए0पी0घिल्डियाल	कनिष्ठ अभियन्ता, विकासखण्ड बागेश्वर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(05962) 202656 –
153	श्री कैलाश पाठक	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड गरूड़, बागेश्वर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(05962) 258246 –
154	श्री रणजीत प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता, उपखण्ड कपकोट, बागेश्वर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	
155	श्री भवान राम आर्य	कनिष्ठ अभि0 विकासखण्ड चम्पावत	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –

156	रिक्त	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड बाराकोट चम्पावत	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
157	श्री दिवाकर प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता(संविदा) विकासखण्ड लोहाघाट चम्पावत	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
158	श्री दिवस कुमार पाण्डे	कनिष्ठ अभियन्ता विकासखण्ड पाटी चम्पावत	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
159	श्री सुरेन्द्र दत्त विजल्वाण	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(0135) 2672006 (0135) 2662159
160	श्रीमती गंगा महेता	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, लघु सिंचाई वृत्त, पिथौरागढ़	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(05964) 225676 –
161	श्रीमती पुष्पका पन्त	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, लघु सिंचाई वृत्त, हल्द्वानी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(05946) 284559
162	श्री बंका सिंह पंवार	प्रधान सहायक, लघु सिंचाई वृत्त, टिहरी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	– –
163	श्री भीम सिंह रावत	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	(01368) 221372 –
164	श्री सतीश कुमार	प्रशासनिक अधिकारी, खण्ड, पौड़ी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	01368-222077
165	श्री दयाल सिंह	प्रशासनिक अधिकारी, खण्ड, चमोली	सहायक लोक सूचना अधिकार,	01372-251432
166	श्रीमती रूपा रावत	प्रशासनिक अधिकारी खण्ड, रूद्रप्रयाग	सहायक लोक सूचना अधिकार,	01364-233062
167	श्री राजेश कुमार	वरिठ सहायक खण्ड, टिहरी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	-
168	श्री आर0पी0 झल्डियाल	प्रधान सहायक खण्ड, देहरादून	सहायक लोक सूचना अधिकार,	0135-2768972
169	श्रीमती सुमन यादव	प्रधान सहायक खण्ड, हरिद्वार	सहायक लोक सूचना अधिकार,	01334-250934 –
170	श्री रानेश डोबरियाल	प्रशासनिक अधिकारी खण्ड, उत्तरकाशी	सहायक लोक सूचना अधिकार,	01374-226167 –
171	श्री अजय कुमार शर्मा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी खण्ड, नैनीताल	सहायक लोक सूचना अधिकार,	05942-248429 –
172	श्री असदुल्लाह खान	प्रधान सहायक खण्ड, अल्मोड़ा	सहायक लोक सूचना अधिकार,	05962-232771 –
173	श्रीमती मधु गोयल	प्रशासनिक अधिकारी खण्ड, ऊधमसिंहनगर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	05942-247688 –
174	श्री ललित मनराल	वरिष्ठ सहायक खण्ड, पिथौरागढ़	सहायक लोक सूचना अधिकार,	05964-225676 –
175	श्रीमती ममता जोशी	वरिष्ठ सहायक अधिकारी खण्ड, चम्पावत	सहायक लोक सूचना अधिकार,	05965-230949 –
176	श्री जगदीश भाकुनी	प्रशासनिक अधिकारी खण्ड, बागेश्वर	सहायक लोक सूचना अधिकार,	05963-220277 –

लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनसामान्य तक सूचना की पहुँच हेतु की गयी व्यवस्था का विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (परिशिष्ट–I)

1. प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्वति स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से अस्तित्व में है।

2. लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड की समस्त प्रशासनिक इकाईयों में अधिनियम की धारा 5(1), धारा 5(2) एवं धारा 19(1) के अन्तर्गत क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का नामांकन किया गया है।

लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

सूचना हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों का पंजीकरण एवं निस्तारण

3. लघु सिंचाई विभाग के लोक सूचना अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पार्श्वांकित शासनादेशों में दिये गये किसी एक प्रारूप में किया जायेगा। सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सूचना के अनुरोध को प्राप्त करने की स्थिति में उसे लोक सूचना अधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र परन्तु विलम्बतः 5 दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप में अग्रेषित करेगा।

3.1 अनुरोधकर्ता को सूचना का अनुरोध का प्राप्ति पत्र आवेदन शुल्क की रसीद सहित दिया जायेगा, यदि अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

शासनादेश सं0 146/सु0/ XXX I(3)G-/3.2 2006 दिनांक 22 मार्च 2006 (परिशिष्ट–III)

3.2 अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथासम्भव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध प्राप्ति के तीन दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा, यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिये अनुरोध पर विनिश्चिय करने में असफल रहता है तो, यह समझा जायेगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का

एवं संशोधित अधिसूचना सं0 165/मू/XXXI(13)G 2(2)/2006 दिनांक 31 मार्च 2006 (परिशिष्ट–IV एवं V)

4. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ देय फीस एवं अभिलेखों की छायाप्रतियां अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पार्श्वांकित अधिसूचना के अनुसार शुल्क देय होगा।

यदि लोक सूचना अधिकारी के पास ऐसी सूचना दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होता है जो तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित है और तीसरे पक्षकर द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, तो ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसरे पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित रूप में या मौखिक रूप में निवेदन करने के लिए तीसरे पक्षकार को आमंत्रित करेगा एवं सूचना के प्रकटन की बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरे पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा।

पर व्यक्ति सूचना

5.1 तीसरे पक्षकार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् 40 दिन के भीतर इस बारे में निर्णय लिया जायेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किये जाये या नहीं और अपने निर्णय की सूचना लिखित में तीसरे पक्षकार को भी देगा। लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्षकार को यह भी सूचित करेगा कि उसे निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है।

6. अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिये निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 30 दिन के अंदर अथवा लोक सूचना अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विश्वस हो जाता है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपीलकर्ता अपनी अपील की याचिका निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो तो वह उक्त समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है।

प्रथम अपील धारा 19(1)

6.1 लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत यदि तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना अनुरोधकर्ता को देने के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है तो इस आदेश से प्रभावित

तीसरा पक्ष, आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां अपील कर सकता है।

6.2 विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण, याचिका की तिथि से 30 दिन के अंदर किया जायेगा।

7. अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अधीन लघु सिंचाई विभाग के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनायें संकलित कर प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जायेंगे। उक्त सभी मैनुअल पर सी0डी0 तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं साफ्ट प्रति उपलब्ध रहेगी।

सूचनाओं का स्वच्छिक प्रकटन

(उत्तरांचल सूचना आयोग परिपत्र सं0 65 /उ0सू0आ0/मु0 सू0 आ0/2005 दिनांक 06 दिसम्बर 2005) (परिशिष्ट–VI)

.1 उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अन्त में अद्यावधिक किये जायेंगे तथा मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण के अवलोकनार्थ बराबर उपलब्ध रहेंगे।

. सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन उपबन्ध (क) से (ङ) के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं पर विभाग की प्रत्येक लोक प्राधिकारी इकाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। विभाग के निदेशालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन को संकलित करे उत्तरांचल सूचना आयोग को प्रत्येक माह दसवीं तारीख तक प्रेषित किया जाना होगा।

सूचनाओं का स्वच्छिक प्रकटन

8.1 सूचना आयोग इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में करेगा।

9. जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर अपने कार्यालय के प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पदनाम तथा दूरभाष नम्बर प्रदर्शित करते हुए सूचना पट्ट लगाये जायेंगे।

सूचना पट्टों को प्रदर्शित करना

.0. आयोग में धारा 18(1) के अधीन प्राप्त शिकायतों एवं धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को जारी नोटिस को प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर एक पृथक पंजिका में दर्ज किया जायेगा। इस पंजिका में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय–समय पर की गयी कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जायेगा।

लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग स्तर से प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर कार्यवाही

1. अधिनियम की धारा 19(3) में राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील दायर करने हेतु राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 का पालन किया जायेगा।

द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005

अधिसूचना सं0 305/XXII /2005–9 (33) 2005 दिनांक 13 दिसम्बर 2005 (परिशिष्ट– VII)

******

परिषिष्ट–III
Annexure-LIII
संख्या 146 / सु0 / xxx I(3)G/2006

प्रेशक,

एम0रामचन्द्र,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सामान्य प्रशासन अनुभाग **दिनांक : 22 मार्च, 2006**

विषय : **सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा निर्देश।**

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी हो गया है। शासन स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए व्यापक तैयारियॉ पहले ही की जा चुकी है। विभागों व अन्य लोक प्राधिकरणों में अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपील अधिकारियों के नामांकन हो चुका है। सभी स्तरों पर अधिकारियों का अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी देने के लिए कार्यषालाएं आयोजित की गयी है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों की सुविधा के लिए शासन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मार्गदर्षिका का भी प्रकाषन किया गया है जिसकी प्रतियॉ सभी विभागों को प्रेशित कर दी गयी है।

इन तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना अनुरोधों का निस्तारण सुगमता से किये जाने की अपेक्षा की गयी है, लेकिन प्रारम्भिक अनुभवों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने में कुछ कठिनाइयॉ आ रही है जिनका मुख्य कारण प्रक्रिया की अस्पष्टता व विभाग एंव लोक प्राधिकारी स्तर पर इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था का नहीं होना माना जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सूचना के अनुरोधों पर व्यवस्थित, तत्काल व सुगम कार्यवाही करने की कार्यविधि सम्बन्धी निर्देष जारी किये जॉए इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की अनिश्चितता न बनी रहें और सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रक्रिया से सम्बन्धी अस्पष्टता दूर हो सके। इस संन्दर्भ में कृपया अपने अधीन लोक प्राधिकारी इकाइयों एंव सूचना अधिकारियों व सहायक लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सूचना के अनुरोधों के लिए सुविधा कक्ष की स्थापना :

अधिकांश सूचना के इच्छुक व्यक्तियों से वार्ता कर दूर की जा रही है। सम्भव है कि बातचीत के बाद सूचना के ओपचारिक अनुरोध की आवश्यकता ही न पड़े। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में जहां भी लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित है, सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए सूचना का अधिकार नाम का एक मार्गदर्शक या सुविधा कक्ष (Facilitation Counter) की स्थापना की जानी आवश्यक है। जिन कार्यालयों में स्वागत कक्ष पहले से ही स्थापित है उनमें इन्हीं स्वागत कक्षों में सूचना का सम्बन्धी जानकारी देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए स्वागत कक्ष के एक हिस्से में चाहते है, तद्नुसार सूचना के अनुरोध का आवेदन तैयार करवा कर वांछित सूचना या अनभिज्ञता के कारण कोई भी व्यक्ति अनावश्यक सूचनाओं के लिए अनुरोध न करें। स्वागत कक्ष के अतिरिक्त, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रतीक्षा कक्ष या कार्यालय में उपलब्ध कामन स्पेश (Common space) को भी सुविधा कक्ष के रूप में विकसित किया जा सकता

है। इनमें विभागीय सूचनाओं से संबधित 17 मैनुवलस, विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यपूर्ति दिग्दर्षिका व आम जनता के उपयोग की अन्य सूचनायें भी रखी जा सकती है।

2. अनुरोध पत्रों के पंजीकरण का पारूप :

सूचना के अनुरोधों का विधिवत् पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके आधार पर ही सूचना के अधिकार सम्बन्धी कार्य कलापों की प्रगति रिर्पोट लोक प्राधिकारी, प्रशासकीय विभाग एंव स्तर पर तैयार की जा सकेगी। इसके लिए प्रदेष के सभी विभागों एंव लोक प्राधिकरणों में सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण की सामान व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। इस उद्देष्य से अनुरोधों के पंजीकरण के लिए तीन प्रारूप संलग्न किये जा रहें है (संलग्न–1,2,3) प्रथम प्रारूप सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर पंजीकरण के लिए दूसरा प्रारूप लोक सूचना पंजीकरण के लिए विहिप है। सभी विभागोध्यक्षों व लोक प्राधिकारियों को चाहिए कि सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण के लिए विभाग/लोक प्राधिकरण स्तर पर विहिप प्रारूपो के अनुसार सूचना का अनुरोध पंजीकरण पंजिका'' व सूचना के लिए अपील किया जाना चाहिए ताकि स्वतः प्रगति रिर्पोट तैयार हो सके एंव अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सूचना आयोग को प्रगति विवरण भेजा जा सकें।
प्रविश्टि के बाद प्रत्येक सप्ताह/सुविधानुसार उस धनराशि को विभागीय राजस्व लेखाशीर्षक के अधीन राजकोष में जमा करेंगे।

3.अनुरोधों के पंजीकरण की व्यवस्था :

प्रारम्भिक अनुभवों से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता है या उपस्थित व्यक्ति अनुरोध पत्र लेने से मना कर देता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचना का अधिकार सुविधा कक्ष में हर समय कोई न कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहें। अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सूचना का अनुरोध पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है। तथापि जहॉ पर कार्यालयाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी लोक सूचना अधिकारी नामित है, वहॉ वे अपनी सहायता के लिए किसी दूसरे अधिकारी/कर्मचारी या स्वागत अधिकारी को सूचना के अनुरोध पत्र को प्राप्त करने व उसके पंजीकरण की जिम्मेदारी दें सकते हैं। यह सुनिश्चित करना लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व होगा कि उनकी अनुपस्थित में भी सूचना के अनुरोध पत्रों को प्राप्त व पंजीकृत किया जाय। इस दिशा में समुचित व्यवस्था करने लोक सूचना अधिकारी अपने स्तर पर ही ऐसी शिकायतों को दूर कर दें ताकि किसी को भी सूचना के अनुरोध पत्रों के प्राप्त न किये जाने की शिकायत किसी अन्य स्तर पर करने की आवश्यकता ना पड़े तथा सुगमता से आवेदन पत्र आगन्तुकों द्वारा जमा कराये जा सकें।

4.सूचना शुल्क लेखाकंन की प्रक्रिया:

सूचना के अनुरोध पत्रों के साथ 10/–रू0 आवेदन शुल्क प्राप्त किया जाना है। गरीबी रेखा के नीचे के अनुरोधकर्ताओं से कोई शुल्क नहीं दिया जाना है। मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क नकद, बैंक ड्राप्ट या बैंर्कस चैक के माध्यम से ही दिया जा सकता है इस विषय पर विता विभाग द्वारा नकद कार्यालय ज्ञाप सं0 1/xxv III(7) 2005 दिनांक : 14 अक्टूबर 2005 द्वारा शुल्क प्राप्त करने और उसके लेखांकन की विस्तृत प्रकिया सुझाई गयी है । फिर भी इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना के अनुरोधकर्ता द्वारा नकद अथवा विभाग/ लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम का बैंक ड्राप्ट या बैकर्स चैक प्रस्तुत कर शुल्क दिया जा सकता है। शुल्क प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा ट्रेजरी फार्म 385 पर शुल्क प्राप्ति की रसीद निर्गत की जानी है । इसके लिए सभी लोक सूचना अधिकारियों को चाहिए कि अपने जनपद की ट्रेजरी से उक्त प्रपत्र की रसीद बुक प्राप्त कर ले । और विभागीय और विभागीय आहरण वितरण अधिकारी की ओर से शुल्क प्राप्ति रसीद निर्गत करें ।

यही प्रकिया अतिरिक्त शुल्क को प्राप्त करने के लिये अपनाई जायेगी । शुल्क से प्राप्त धनराशि लोक सूचना अधिकारी या सायिक लोक सूचना अधिकारी विभागीय आहरण वितरक अधिकारी को उपलब्ध करायेगे जो कि विभाग की रोकड बही (Cash book) में इस अधिनियम के अतंर्गत शुल्क जमा करने की प्रकिया को और सरलीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

5. सूचना के अनूरोधो पर कार्यवाहीः

सूचना का अनूरोध प्राप्त होने के बाद मार्गदर्शिका में दी गयी प्रकिया के अनुसार उस पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कर यथा स्थिति 30,35, या 45 दिनों के अन्दर अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जानी है। इस प्रकिया के विभिन्न चरणों में सम्भावित पत्राचार को समरूप बनाने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र निर्धारित कर संलग्न किये जा रहे है।

संलग्नकः4 सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध के अग्रेषण का प्रपत्र
संलग्नकः5 सूचना के अनुरोधो का पावति प्रपत्र का
संलग्नकः6 अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का पत्र
संलग्नकः7 तीसरे पक्षधर को सूचना का प्रपत्र
संलग्नकः8 सूचना के अनूरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र
संलग्नकः9 अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना का प्रपत्र
संलग्नकः10 अनुरोधकर्ता को सूचना प्रेषित करने सम्बन्धी प्रपत्र

यथा सम्भव पत्राचार लोक सूचना में इन प्रपत्रो का ही प्रयोग किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी यदि आवशयक समझे तो विभाग के वरिष्ट अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है । यह प्रयास किया जाय कि किसी भी स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो । सभी विभागध्यक्षों/ लोक प्राधिकारियो से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने व सूचना देने व उसके पंजीकरण आदि की उपरोक्त प्रकिया को यदि आवश्यक हुआ तो विभागीय विशिष्टताओं/ व्यवहारिकता के अनुरूप संशोधित कर उपयोग करेगे, जिसमें सूचना देने की प्रकिया में कोई भ्रम विभागीय अधिकारियों में न रहे साथ ही अनुरोधकर्ताओ को भी निश्चित प्रकिया व प्रारूप का ज्ञान होने से कम कठिनाई हो ।

भवदीय

एम0 रामचन्द्रन
मुख्य सचिव

संख्या 146(1)/सु0/xxx I(13)G-/2006- तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषितः

1. मण्डलयुक्त, गढवाल/कुमांयू, उत्तराखण्ड ।
2. समस्त अपर सचिव, उत्त्राखण्ड शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारी, उत्तराखण्ड शासन ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव ।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून ।
7. राज्य समन्वयक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ।
8. गार्ड फाइल ।

एम0 रामचन्द्रन
मुख्य सचिव

संलग्नक 1

सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना के अनुरोधो के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र0 स0	अनुरोध प्राप्ति तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पूर्ण पता	दूरभाष संख्या (यदि हो)	मंगी गई सूचना का विवरण	संबधित/विभाग /अनुभाग का नाम	आवेदन शुल्क का भुगतान (रू0)	लोक सूचना अधिकारी को आग्रेषण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संलग्नक 2

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोधो के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र0 स0	अनुरोध पत्र प्राप्ति तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पता	दूरभाष संख्या	मांगी गई सूचना का विवरण	आवेदन शुल्क रू0	अतिरिक्त शुल्क रू0
1	2	3	4	5	6	7	8

कुल शुल्क रू0	अनुरोध अस्वीकार करने पर उसका कारण	अतिरिक्त शुल्क की सूचना की तिथि	अतिरिक्त शुल्क प्राप्ति की तिथि	तीसरे पक्ष को सूचित करने की तिथि यदि आवश्यक समझाजाय	तीसरे पक्ष से उत्तर प्राप्ति की तिथि	अनुरोध पर अंतिम आदेश	आदेश निर्गत करने की तिथि
9	10	11	12	13	14	15	16

संलग्नक 3

विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोधो के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र0 स0	अपील के लिए अनुरोध पत्र प्राप्ति तिथि	विभाग/ अनुभाग का नाम	अपील से सम्बन्धित तथ्यो का संक्षिप्त विवरण	ले0स0ओ0 के आदेश का संक्षिप्त विवरण	अपील स्वीकृत/ अस्वीकृत	विभागीयअपील अधिकारी के आदेश की तिथि	अपील कर्ता को आदेश पत्रनिर्गत करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

संलग्नक 4

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध को अग्रेषित करने का प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्याः..... दिनांक.....

प्रषेकः

.....

.....

.....

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी

.....

.....

अनुरोधकर्ता का नाम.....

पत्राचार का पता.....

वर्गःबी0पी0एल0 / ए0पी0एल0.....

अनुरोध प्राप्ति की तिथि.....

अग्रेषण की तिथि.....

मांगी गई सूचना का विषय.....

.....

सम्बन्धित विभाग / अनुभाग का नाम.....

सूचना शुल्क की मात्रा रू0.....

अन्य विविरण (यदि कोई हो) .....

संलग्नकः अनुरोध पत्र की मूल प्रति

सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 5
अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....
श्री/श्रीमती.....
.....
.....
विषयः अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में

कृपया अपने दिनांक..... के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करें । आपके द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरो के आधार पर रू0.....अतिरिक्त शुल्क देय होता है ।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

क0सं0	समग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राप्ट या बैकर्स चैक जो विभाग के लेख/वित्त अधिकारी के नाम बना हो प्रषित करे/अथवा कार्यालय में नकद जमा करें/करवा दे ।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नही गिना जायेगा ।

नोटः– अतिरिक्त शुल्क जमा करने से पूर्व यदि आपको सूचना अत्यधिक लगे तो आप या आपका प्रतिनिधि सूचना अत्यधिक होने की दशा में कार्यालय समय में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत सूचना का नियमानुसार अवलोकन कर भी सूचना प्राप्त कर सकते है।

अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता :–

हस्ताक्षर

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 6
तीसरे पक्षधर की सूचना के लिए प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिंनाक.....

.....

.....

संलग्न श्री/श्रीमती.....से प्राप्त सूचना के अनुरोध पत्र की एक प्रति आपको इस आशय से भेजी जा रही है कि विषय में यदि आपको कुछ कहना हो तो आप अपना पक्ष इस पत्र की तिथि के 10 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को लिखकर या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर मौखिक रूप में प्रस्तुत करें ।

यदि आपकी ओर से इस पत्र के विषय में 10 दिन के अन्दर हमें कोई सूचना प्राप्त नही होती है तो यह, मान लिया जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है ।

संलग्नः अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 7
सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तन्तरण के लिए प्रपत्र

कार्यालय का नाम

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

लोक सूचना अधिकारी

.....

.....

.....

संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र आपको इस आशय से प्रषित है कि इसमें मांगी गई सूचना आपके विभाग/अपक्रम से सम्बन्धित है । कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट
करें ।

इस प्रत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नकः सूचना का अनुरोधपत्र भूल रूप मेंः

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री/श्रीमती.....

.....

.....

लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक 8

कार्यालय का नाम व पता

सूचना का अनुरोध प्राप्ति पत्र

पत्रावली संख्या..... दिंनाक.....

श्री / श्रीमती.....

निवासी.....

.....

से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारी 6 क अन्तर्गत सूचना का अनुरोध पत्र रू0.....
आवेदन शूल्क के साथ प्राप्त किया ।

अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का है अतः आवेदन शुल्क देय नही है ।

संलग्नकः शुल्क रसीद,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 9
अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिंनाक.....

.....

.....

.....

कृपया अपने दिनांक.....के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करें । आपके अनुरोध को निम्नलिखित कारणें से अस्वीकृत किया गया है ।

(1) ----------

--

(2) ----------

--

(3) ----------

इस आवेदन के विरूद्ध यदि आप चाहे तो विभाग के उच्च अधिकारी व अपील अधिकारी, जिनका पता नीचे दिया गया है, से इस पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर–अन्दर अपनी अपील कर सकते है ।

अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता

.....

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

संलग्नक 10
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिंनाक.....

श्री / श्रीमती.....
.....
.....
.....

कृपया अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित अपने सूचना के अनुरोध संख्या..... दिनांक..... का संदर्भ ग्रहण करें ।

2. आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विवरण संलग्न है ।

3. निम्न लिखित आंशिक सूचनार्ये संलग्न की जा रही है ।

(1)

(2)

(3)

5– इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है ।

अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता

.....
.....
.....

संलग्नकः उपर्युक्त के अनुसार सूचना का विवरण

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

Annoxuo-XVII

उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
संख्या :266/XXII/20005–9(31)
सचिवालय, देहरादून
दिनांकः 13 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियम संख्या 22/2005 की धारा 27 की उपधारा–(2) के खण्ड ख तथा ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात :

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः

इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

3. **परिभाषयेंः–** इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों

(d) अधिनियम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अभिप्रेत है ।

(k) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(x) उन शब्दों और पदो के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगे जो उस अधिनियम मे हैं

4. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतू आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखाअधिकारी के नाम देय रू0 दस की फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा ।

5. धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दिये जाने हेतू लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी क नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राप्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा ।

(d) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ छाया प्राति या तैयार सूचना हेतू रू0 दो प्रति पृष्ठ और इससे बडे आकार के पृष्ठ हेतू वास्वविक लागत :

([k) अभिलेखो के परीक्षण हेतू प्रथम घण्टा हेतू कोई फीस देय नहीं होगी, उसके उपरान्त प्रत्येक पन्द्रह मिनट अथवा उसके भाग हेतू रू0 पांच की फीस का भुगतान किया जाना होगा ।

(x) प्रदेशों एवं नमूनो की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाना होगा ।

6. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 5 के अधीन सूचना कदये जाने हेतू लोक प्राधिकारी के वित्त लेखाधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमांड ड्राप्ट या बैंकर्स चेक के माध्य गरो भुगतान किया जाना होगा ।

(d) डिस्केट अथवा फलोपी पर सूचना दिये जाने हेतू रू0 पचास प्रति फलोपी/डिस्केट और

(k) किसी मुद्रित प्रकाष क दशा में उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति पृष्ठ के लिये दो रूपये

डी.के.कोटिया
सचिव

उत्तरांचल शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या :165/XXXI/(13)G–2(2)/2006
देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च 2006

अधिसूचना

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा 2 के खण्ड ख तथा ग के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2005 को निम्नवत् संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है अर्थातः–

विघमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तर–3, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतू आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित/लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10.00 की रसीद के प्रति नगद या डिमाण्ड ड्राप्ट बैकर्स चैक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा ।	प्रस्तर–3 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतू आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के अधीन चिन्हित लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10.00 रू0 दस मात्र की फीस उचित रसीद के प्रति नगद डिमाण्ड ड्राप्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा ।

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकनसंख्या– संख्या :16500/XXXI/(13)G–2(2)/2006 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित ।

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
2. सचिव, विधानसभा, विधान भवन, देहरादून ।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन ।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड देहरादून उत्तरांचल ।
5. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
8. आयुक्त गढवाल/कुमाउ मण्डल, उत्तरांचल
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन ।
10. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक निगम/उपक्रम/स्वायतशासी संस्थायें/परिषद
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
14. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर ।
15. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिषिष्ट, भाग–4 खण्ड–ख में दिनांक 29 मार्च 2006 में प्रकाशित कर, 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
16. राज्य समन्वयक, सूचना प्रकोष्ठ, सचिवालय ।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय को इस अनूरोध के साथ कि कृपया इस सन्दर्भ में प्रेस विज्ञाप्ति जारी करने का कष्ट करें ।
18. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

सन्तोष बडोनी
अनु सचिव

परिशिष्ट VI
Annoxuo-XVII
महत्वपूर्ण / तत्काल

उत्तरांचल सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी–10 डिफैस कालोनी, देहरादून

संख्याः 65 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांकः 06 दिसम्बर 2005

प्रेषक,

मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तरांचल सूचना आयोग

सेवा में,

मानक सुची – 1 के अनुसार

<u>विषय</u> : उत्तरांचल सूचना आयोग द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से विधान सभा को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट– लोक प्राधिकारियों के द्वारा सूचना के स्वैच्छिक रूप से प्रकट करने के उपबंध की प्रगति तथा विभागीय जानकारी का स्वतः (Suo- Motto) <u>प्रकटीकरण।</u>

प्रिय महोदय / महोदया,

उत्तरांचल सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) जो इस अधिनियम की निगरानी तथा रिपोर्ट के आंकडो से संबंधित है, के उपर राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा, लोक प्राधिकारी के रूप में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिये माह की प्रगति रिपोर्ट, उक्त पत्र में निर्धारित बिन्दुओ के अनुसार को अगले माह की 10 तारीख तक आयोग को प्रेषित करने के लिये अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ करें आशा है कि लोक प्राधिकारी के रूप में प्रत्येंक विभाग द्वारा अपने द्वारा तैनात सभी लोक सूचना अधिकारियों से इस संबंध में आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही होगी आयोग द्वारा इनकी विभागवार तथा लोक सूचना अधिकारीवार विवरण को माहवार प्रगति के रूप में संकलित कर उसका अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है ।

2. आपका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) तथा धारा 4 की ओर आकर्षित करना है जिसमें सभी लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Discloure) करने का प्राविधान है अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येग लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखो को अधिनियम के बजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12 / 10 / 2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार जन–सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके ।

3. राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग तथा निदेशालय लोक प्राधिकारियों के रूप में कार्यरत है तथा प्रत्येक विभाग से अपेक्षित है कि वह विभाग के आकार तथा कार्यो की प्रगति के अनुसार लोक प्राधिकारी इकाईयों को स्वंय चिन्हित करेगा ।

4. उत्तरांचल सूचना आयोग के द्वारा यह सूचना एकत्रित की जा रही है कि प्रत्येक विभाग के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत निर्धारित अभिलेखो को तैयार कर लिया है अथवा नही और यदि तैयार कर लिया है तो वह किस रूप में सुरक्षित रखे गये है और यदि उनका कम्प्यूटरीकरण कर लिया गया है तब उन्हें राज्य की या विभागीय वैबसाईट में सम्मिलित किया गया है अथवा नही ? कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि आपके विभाग से संबंधित लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना के स्वैच्छिक रूप से प्रकट करने के उत्तरदायित्व के सापेक्ष निम्न अभिलेखो में से कितने अभिलेखों को विभागीय स्तर पर यह सूचना प्रेषण करने की तिथि तक पूर्ण कर लिया गया है तथा कितने अभिलेखो को पूर्ण किया जाना अवशेष है तथा इन अपूर्ण अभिलेखों को कब तक पूर्ण कर लिया जाऐगा ?

5. विभाग के द्वारा जिन अभिलेखो के संबंध में सूचना, जैसा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में दिया गया है, आयोग को प्रेषित की जानी है वे निम्नलिखित है :

(i) संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

(ii) अधिकारियों और कर्मचारियो की शक्तियां और कर्तव्य

(iii) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

(iv) नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विघमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

(v) दस्तावेजो, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण

(vi) बोर्डों, परिषदो, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो, परिषदो, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होगी या बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहूच होगी ।

(vii) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ।

(viii) निर्णय करने की प्रकिया (पर्यवेक्षण एव उत्तरदायित्व के स्तर सहित)

(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ।

(x) अपने प्रत्येंक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति ।

(xi) प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आंबटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन विवरण की सूचना सहित)

(xii) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमे आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है ।

(xiii) रयायतों, अनुज्ञा पत्रों तथ प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण ।

(xiv) कृत्यों के निर्वहन के लियें स्थापित मानक/नियम ।

(xv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे ।

(xvi) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिको को उपलब्ध सुविधाओ का विवरण, किसी पुस्तकायल या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण ।

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये ।

6. आपका ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना है कि अधिनियम के अनूसार धारा 4(1)(ख) के उपरोक्त अभिलेखो को 12/10/2005 तक पूर्ण कर लिया जाना था अतः जिन विभागो में यह अभिलेख अब तक पूर्ण न किये गये हो उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हूये इस पत्र के उत्तर में उनकी प्रगति भी आयोग को अवगत करा दी जायेगी ।

7. उत्तरांचल सूचना आयोग के द्वारा अभिलेखीकरण के कार्य को भी सर्वोच्च वरीयता के आधार पर लिया गया है तथा इसके अभिलेख केन्द्र (Library and Documentation Center) द्वारा प्रत्येंक विभाग के लोक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 4(1) की बाध्यता के अतंर्गत तैयार किये गये अभिलेखो को हार्ड एवं सॉफट प्रति के रूप में सुरक्षित रखा जाना है अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित सभी अभिलेखो की एक प्रति आयोग के अभिलेख केन्द्र के लिये उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

8. स्वैच्छिक रूप से प्रकट की जाने वाली सूचना (Pro-Active Disciosure) तथा स्वतः रूप से सूचना प्रकटीकरण ही इस अधिनियम की मुख्य भावना है अतः आयोग के द्वारा वार्षिक रूप में विभाग तथा विभाग द्वारा घोषित लोक प्राधिकारियों का मूल्यांकन करते समय मुख्य रूप से विभागीय Pro-Active Disclosure तथा Suo-Motto Disclosure प्रगति को ही प्रमुखता दी जायेगी, अतः अनुरोध है कि अधिनियम की 4(1) बाध्यता को समय से पूर्ण करने तथा विभागीय कार्य पद्धति के अतंर्गत ऐसी सूचना के स्वतः प्रकटीकरण की ओर आप स्वंय ध्यान दें तथा इसमें विशेष रूचि लेने का कष्ट करे ।

9. आयोग को यह जानने में प्रसन्नता होगी कि आपके द्वारा लोक प्राधिकारी के रूप में Pro-Active Disclosure तथा Suo-Motto Disclosure के संबंन्ध में अब तक क्या कार्य किये गये है तथा इस दशा में अन्य कौन से क्षेत्र, गतिविधियां एवं पद्धतियां लाई जानी प्रस्तावित है इन विवरणो का आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना प्रस्तावित है तथा इसके लिये वार्षिक रिपोर्ट में एक स्वतंत्र अध्याय भी चिन्हित किया गया है ।

10. सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधो तथा भावना के अनुरूप कार्यवाही को तब तक समुचित रूप दिया जाना संभव नही है जब तक प्रत्येक विभाग तथा लोक प्राधिकारी के स्तर पर अभिलेखो एवं पत्रााावलियों के निरीक्षण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नही कराई जाती इस संबंध में आपका विशेष ध्यान अधिनियम की धारा 2(अ)(i) की ओर किया जाता है जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कृति दस्तावेजो तथा अभिलेखो का निरीक्षण, दस्तावेजो या अभिलेखो के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि देना तथा सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने सम्मिलित किया गया है आयोग यह जानने को इच्छुक है कि आपके विभाग के अंतर्गत विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर पर अभिलेखो के निरीक्षण, प्रमाणित प्रतियों तथा नमूने देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है तथा यह सुनिश्चित किया गयाह अथवा नहीं कि किसी भी प्रार्थी को उपरोक्त सुविधायें अधिनियम के प्राविधानो के अंतर्गत सुगमता से प्राप्त हो रही है ।

11. आयोग उपरोक्त निरीक्षणों तथा प्रमाणित प्रतियां देने की जो वास्तविक व्यवस्था विभाग के स्तर पर उपलब्ध कराई गयी है उसकी जानकारी लेने का इच्छुक है जिससे इस संबध में जो व्यवस्था की गई है उसका समुचित प्रचार प्रसार किया जा सके तथा दूसरी ओर यदि उक्त व्यवस्था करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो उसके लिये राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव एवं निर्देश किये जा सकें

12. लोक प्राधिकारी के रूप में तथा विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के रूप में आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम के अध्यया 2 में धरा 3 से धरा 10 तक जो उपबंध तथा बाध्यतायें दी गई है उनका स्वंय अपने स्तर पर गहनता से परीक्षण रकें तथा फील्ड में भी इनके कियान्वयन के लिये समुचित व्यवस्था की गई है इसके लिये स्वंय तथा विभाग के वरिष्ट अधिकारी स्तर पर पुष्टिकरण भी करा ले ।

13. अनुरोध है िकइस पत्र में उठाये गये बिन्दुआं तथा दिये गये सुझावो का आप अपने स्तर पर परीक्षण करा कर आयोग को शीघ्रातिशीघ्र उत्तर प्रषित करने का कष्ट करें तथा संबंधित अधिकारियो से अपेक्षा करें िकवे अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में वर्णित सभी अभिलेखो की हार्ड एवं सॉफट प्रति का एक सैट आयोग के अभिलेख केन्द को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें ।

14. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

भवदीय

(आर. एस. टोलिया.)
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
संख्या :305 / XXII/20005–9(33)2005
सचिवालय, देहरादून
दिनांकः 13 दिसम्बर, 2005

अधिसूचना
नियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा 2 के खण्ड (ड) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैः–

राज्य सूचना आयोग अपील प्रकिया नियम, 2005

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य सूचना आयोग अपील प्रकिया नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें ।

2–परिभाषायें: इन नियमो में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) अधिनियम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत न होः–

(ख) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रत है ।

(ग) आयोग से राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है ।

(घ) उन शब्दो और पदो के जो इसमे प्रयुक्त है और परिभाषित नही है किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित है वहीं अर्थ होगे जो उस अधिनियम में है ।

3–अपील की विषयवस्तुः– आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली अपील में सूचना की निम्नलिखित विषयवस्तु होगी अर्थातः–

(i) अपीलार्थी का नाम व पताः

(ii) राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता, जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील की गयी है ।

(iii) आदेशों के विवरण संख्या सहित यदि कोई हो, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है ।

(iv) अपील के मुख्य संक्षिप्त तथ्य।

(v) यदि अपील इन्कार समझी गयी हो तो ऐसे आवेदन पत्रों का विवरण, संख्या सहित तारीख राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसको आवदेन पत्र प्रस्तुत किया गया था ।

(vi) ईप्सित अनुतोष या प्रार्थना ।

(vii) ईप्सित अनुतोष या प्रार्थना के आधार ।

(viii) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन, और

(ix) अन्य कोई सूचना जिसे आयोग अपील के निर्णय के लिए आवश्यक समझें ।

4– अपील के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजः– आयोग को की जाने वाली प्रत्येक अपील में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे अर्थात

(i) उन आदेश व दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रतियां जिनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है ।

(ii) अपीलार्थी द्वारा अपील में निर्दिष्ट और सम्बन्धित दस्तावेजो की प्रतिलिपि जिनका अपील में आधार लिया गया है ।

(iii) अपील में निर्दिष्ट दस्तावेजो की अनुक्रमणीका ।

5– अपील के निर्णय की प्रकिया :– आयोगः–

(i) सम्बन्धित या हितवद्ध व्यक्ति से शपथ या शपथपत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य सुनेगा ।

(ii) दस्तावेजों, लोक अभिलेखो या उनकी प्रतिलिपियों का परिशीलन या निरीक्षण कर सकेगा ।

(iii) अधिकृत अधिकारी द्वारा अग्रेत्तर विवरण या तथ्यों की जांच कर सकेगा ।

(iv) राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी या ऐसा वरिष्ठ अधिकारी जो प्रथम अपील निर्णित करता हो या ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी हो जैसी स्थिति हो, को सुन सकेगा ।

(v) तीसरे पक्ष को सुन सकेगा ।

(vi) किसी तीसरे पक्ष या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी या ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील सुनी हो या ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत हो से शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकेगा।

6– आयोग द्वारा नोटिस तामील किया जानाः– आयोग द्वारा जारी नोटिस निम्न में से किसी भी प्रकार से तामील किया जा सकेगाः–

(i) स्वयं पक्षकार के माध्यम से।

(ii) तामीलकर्ता के माध्यम से दस्ती।

(iii) पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या

(iv) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।

7– अपीलार्थी या परिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति :– (1) अपीलार्थी या परिवादी जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई के लिए पूर्ण सात दिवसों के पूर्व सूचित किया जायेगा।

(2) अपीलार्थी या परिवादी जैसी भी स्थिति हो, आयोग विवेकानुसार अपील या परिवाद की सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकेगा या उपस्थित न होने का विकल्प ले सकेगा।

(3) जहाँ आयोग का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनके कारण अपीलार्थी या परिवादी, जैसी भी स्थिति हो, को आयोग की सुनवाई में उपस्थित होने से रोका गया है, जब, आयोग अपीलार्थी या परिवादी, जैसी भी स्थिति हो, को अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सुनवाई का अवसर देगा, या जैसा उचित समझों सम्यक कार्यवाही कर सकेगा।

(4) अपीलार्थी या परिवादी, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने में किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा और सम्बन्धित व्यक्ति या अधिवक्ता होना आवश्यक नहीं होगा।

8– आयोग के आदेश :– आयोग के आदेश खुले में सुनाये जायेंगे और आयोग द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी या निबन्धक द्वारा लिखित में अभिप्रमाणित किये जायेंगे।

(डी0के0कोटिया)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या / XXII / 2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, महामहिम री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2– सचिव, विधानसभा, विधान भवन, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।

5— महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल, शासन।
7— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
8— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन।
9— आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल।
10— प्रदेश के समस्त सार्वजनिक निगम/उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थायें/परिषद।
11— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
12— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
,13— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
15— उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट, भाग—4, खण्ड—ख में दिनांक नवम्बर, 2005 में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16— महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, 12 ई0सी0 रोड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया इस संबंध में एक प्रेरा विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
18— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

लघु सिंचाई एवं भू–जल विभाग, उत्तराखण्ड

किसान लघु सिंचाई चार्टर

1– लघु सिंचाई विभाग का ध्येय

उत्तराखण्ड में उपलब्ध जल श्रोतों का समुचित/सुनियोजित ढंग से दोहन कर राज्य में लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि योग्य भूमि को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।

2– लघु सिंचाई विभाग के प्रमुख कर्तव्य

- समस्त लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु नियोजन, क्रियान्वयन विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना। इस हेतु संसाधन पारित करना, कार्य की बाधाओं को हटाना, कार्यो की प्रक्रिया तय करना तथा कार्य की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना।
- लघु सिंचाई विभाग द्वारा छोटे–छोटे प्राकृतिक श्रोतों, नदियों, गधेरों/नालों पर योजनाओं का निर्माण कर कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, जिससे कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
- प्रदेश के प्राकृतिक जल श्रोतों का संरक्षण, विकास एवं सुनियोजित प्रबन्धन।
- सीमित जल संसाधनों के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग से सिंचाई प्रणालियों का विकास करना।

3– योजनाओं की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रक्रिया

- जिस कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु प्रस्ताव दिया जा रहा है, उसका पूर्ण विवरण (खसरा, खतौनी, सजरा) प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- लघु सिंचाई योजनाओं, हौज, हाईड्रम, बोरिंग पम्पसेट, आर्टीजन वैल, वीयर निर्माण हेतु न्यूनतम कृषि योग्य क्षेत्रफल क्रमशः 0.80 हैक्टेयर, 6.00 हैक्टेयर, 5.00 हैक्टेयर तथा 20. 00 हैक्टेयर भूमि की उपलब्धता आवश्यक है।
- मैदानी क्षेत्रों में बोरिंग पम्पसेट हेतु सभी श्रेणी के कृषकों नलकूप निर्माण हेतु लगभग का 50 प्रतिशत अथवा रू0 एक लाख जो भी कम हो का अनुदान अनुमन्य किया जाता है।

4– विभागीय कार्यों में जन सहभागिता एवं पारदर्शिता

भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गये हैं कि सिंचाई से सम्बन्धि छोटी–छोटी योजनाएं जो सामुदायिक हित में बनायी जा रही हैं, का प्रबन्धन वाटर यूजर्स ग्रुप के माध्यम से लाभार्थी समूहों के पास रहे एवं योजना के रखरखाव एवं क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता भी हो, जिससे योजनाएं लम्बे समय तक अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें व कृषकों की रूचि भी सिंचाई योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में बनी रहे एवं कृषि उत्पादन में कृषि योग्य भूमि का पूर्ण उपयोग हो सके। विभागीय योजनाओं के चयन, क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव हेतु सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन (पी0आई0एम0) लागू किया जा चुका है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

1–जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर

(अ) ग्राम सभा स्तर

(I) सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं का चिन्हीकरण।

(II) सिंचाई परियोजना स्थल चयन, ग्राम सभा की खुली बैठक में, लघु सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार (मानक विकास उपलब्ध करायेगा)।

(III) सिंचाई परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराना।

(क) प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।
(ख) गूल/पाईप लाइन की लम्बाई कि0मी0 में।
(ग) हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)।
(घ) हाईड्रम की संख्या।
(ड़) वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।
(च) आर्टीजन/पम्पसेट का विवरण।
(छ) मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

(IV) बिन्दु III के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

(V) एकल योजना का प्रस्ताव प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।

(VI) जिला पंचायत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त लघु सिंचाई उपभोक्ता उपसमिति का गठन किया जायेगा, जिसका अध्यक्ष पदेन सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान होगा तथा जल प्रबन्धन समिति के सदस्य पदेन इस समिति के सदस्य होगे।

(VII) उपभोक्ता समूह परियोजना निर्माण पूर्ण होने से पूर्व 3% धनराशि उपसमिति के खाते में जमा करेगा, यह खाता ग्राम सभा के खाते से भिन्न होगा तथा योजना पूर्ण होने के दो वर्षों के बाद विभाग की अनुमति से सम्बन्धित योजना की मरम्मत पर व्यय करेगा। उपसमिति आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा।

(VIII) जिला पंचायत से जिला सैक्टर/राज्य सैक्टर की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम सभा लघु सिंचाई उपभोक्ता उपसमिति के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन/रख रखाव का कार्य लघु सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा मानक के अनुसार करायेगी।

(IX) जिला पंचायत 25% अग्रिम सामग्री की व्यवस्था के अतिरिक्त उतने ही कार्यो/कार्य के भाग का भुगतान करेगी जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं।

(X) कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई तथा प्रतिहस्ताक्षर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा तथा निरीक्षण/पर्यवेक्षण विभाग के विभिन्न स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

(XI) समय–समय पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम सभा का होगा।

(ब) क्षेत्र पंचायत स्तर पर

(I) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों का लाभान्वित करने वाली सिंचाई आवश्यकताओं का चिन्हीकरण।

(II) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों का लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का स्थलीय चयन क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में लघु सिंचाई विभाग के मानको के अनुसार (मानक विभाग उपलब्ध करायेगा)

(III) सिंचाई परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण विकास खण्ड में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा। प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार आवश्यक है।

(क) प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।
(ख) गूल/पाईप लाइन की लम्बाई किमी0 में।
(ग) हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)।
(घ) हाईड्रम की संख्या।
(ड़) वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।
(च) आर्टीजन/पम्पसेट का विवरण।
(छ) मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

(IV) बिन्दु III के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

(V) क्षेत्र के अन्तर्गत दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।

(VI) जिला पंचायत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त सिंचाई परियोजना के सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पड़ने वाले भाग का क्रियान्वयन/रख रखाव उस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत जल उपभोक्ता समिति द्वारा जिसका गठन क्षेत्र पंचायत की देख–रेख में किया जायेगा,

जिसके अध्यक्ष, सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान तथा सदस्य परियोजना के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त जल प्रबन्धन समिति के सदस्य पदेन सदस्य होगें।

(VII) उपभोक्ता समूह परियोजना निर्माण पूर्ण होने से पूर्व 3% धनराशि उपसमिति के खाते में जमा करेगा, यह खाता ग्राम सभा के खाते से भिन्न होगा तथा योजना पूर्ण होने के दो वर्षों के बाद विभाग की अनुमति से सम्बन्धित योजना की मरम्मत पर व्यय करेगा। उपसमिति आवश्यकतानुसार जल कर का निर्धारण करेगी, जिससे योजना की सामान्य मरम्मत का कार्य सम्पन्न होगा।

(VIII) जिला पंचायत से जिला सैक्टर/राज्य सैक्टर की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम सभा लघु सिंचाई उपभोक्ता उपसमिति के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन/ रख रखाव का कार्य लघु सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा मानक के अनुसार करायेगी।

(IX) जिला पंचायत 25% अग्रिम सामग्री की व्यवस्था के अतिरिक्त उन्हीं कार्यो/ कार्य के भाग का भुगतान करेगी जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं।

(X) कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई तथा प्रतिहस्ताक्षर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा तथा निरीक्षण/पर्यवेक्षण विभाग के
विभिन्न स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

(XI) समय–समय पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय पर व्यय करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम सभा का होगा।

(XII) क्षेत्र के अन्दर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा तथा स्वीकृत प्राक्कलन के मानक के अनुसार कार्य कराने का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत का होगा।

(स) जिला पंचायत स्तर

(I) जिले के अन्दर दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों का लाभान्वित करने वाली सिंचाई आवश्यकताओं का चिन्हीकरण।

(II) जिले के अन्दर दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सिंचाई योजनाओं का स्थलीय चयन लघु सिंचाई विभाग के जनपद के तकनीकी अधिकारियों की सहायकता से किया जायेगा।

(III) सिंचाई परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक प्राक्कलन हेतु सूचना निम्न प्रकार आवश्यक है।

(क) प्रतिवेदित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।
(ख) गूल/पाईप लाइन की लम्बाई किमी0 में।
(ग) हौज की संख्या एवं आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)।
(घ) हाईड्रम की संख्या।
(ड़) वीयर की संख्या तथा लम्बाई मीटर में।
(च) आर्टीजन/पम्पसेट का विवरण।
(छ) मरम्मत की आवश्यकता का विवरण।

प्रारूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

(IV) बिन्दु III के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जाना (सरल प्रारूप में) प्रारूप विभाग उपलब्ध करायेगा।

(V) ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों से प्राप्त (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) प्रस्ताव तथा जिला पंचायत द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव की सूची जिला पंचायत की खुली बैठक में रखी जायेगी, जिसमें योजनाओं का चयन किया जायेगा तथा चयनित योजनाओं की सूची (प्रारम्भिक प्राक्कलन सहित) लघु सिंचाई विभाग के जनपद स्तर के तकनीकी अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका विस्तृत प्राक्कलन विभाग द्वारा तैयार कर जिला पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा।

(VI) जिला पंचायत द्वारा उतनी ही योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जायेगी जितना परिव्यय जिला पंचायत को सूचित किया गया है।

(VII) जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर की योजनाओं के निर्माण हेतु धनांवटन शासन द्वारा जिला पंचायत को किया जायेगा, जिला पंचायत द्वारा एकल ग्राम पंचायत वाली परियोजनाओं का धनांवटन सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र के अन्दर एक से अधिक ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली

योजनाओं का धनावंटन क्षेत्र पंचायत को तथा जिले में एक क्षेत्र पंचायत से अधिक क्षेत्र पंचायत को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं का संचालन अपने स्तर से किया जायेगा।

(2) केन्द्रपुरोनिधानित एवं वाह्य सहायतित योजनायें।

योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन तथा रख रखाव भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशन तथा मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

5– विभाग द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम

01– सतही जल आधारित साधन।
02– भूगर्भ जल आधारित सिंचाई साधन।
सतही जल आधारित सिंचाई साधन :– इनको दो भागों में बांटा जा सकता है।

1– मैदानी क्षेत्र में।
2– पर्वतीय क्षेत्र में।

1– मैदानी क्षेत्र में :– छोटे–बड़े नाले तथा तालाब आदि पर विद्युत मोटर अथवा डीजल पम्पसेट लगाकर सिंचाई की जा सकती है। कहीं–कहीं पर पानी के स्रोत के किनारे छोटे स्टोरेज वेल बनाकर छोटी लिफ्ट बना ली जाती है तथा इसे नलकूप के रूप में विकसित कर सिंचाई की जाती है।

2– पर्वतीय क्षेत्र में :– पर्वतीय क्षेत्रों सिंचाई के मुख्य परम्परागत साधन गूल व हौज हैं व वैकल्पिक साधन हाईड्रम है। इन्हीं के द्वारा नदी नाले व झरने/ श्रोत का पानी खेतों तक पहुंचाकर सिंचाई की जाती है। यह व्यक्तिगत तौर पर बनाये जाते हैं तथा सामुदायिक भी।

पर्वतीय क्षेत्रों की प्राकृतिक बनावट के अनुरूप ही इस क्षेत्र में पानी के स्थायी श्रोत नदियों व नालों से पानी गूलों से खेतों तक लाया जाता है। कभी–कभी अधिक उतार–चढ़ाव अथवा चट्टान के कारण गूल का निर्माण सम्भव नहीं होता है, ऐसे स्थानों में गूल के स्थान पर पाइप लाइन का प्रयोग किया जाता है। जब पानी श्रोत अथवा नाले में बहुत कम होता है, ऐसी स्थिति में ऐसे स्थान पर जहाँ से अधिक खेतों की सिंचाई की जा सके, हौज का निर्माण किया जाता है, इसमें स्थाई श्रोत अथवा नाले से पानी एकत्रित कर आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है।

(2) हाईड्रम :– यह वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों में एक मुख्य साधन है हाईड्रोलिक रैम का सर्वप्रथम जान व्हाईट हर्स्ट, डर्बी, इंग्लैण्ड द्वारा अविष्कार किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः पानी छोटे–छोटे झरनों व नालों के रूप में बहता रहता है, जिसे झरनों/नालों से उठाकर (लिफ्ट कर) कृषि क्षेत्र तक ले जाकर सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। इंजन के लाने ले जाने, डीजल खर्च व विद्युत अभाव व इंजन की देखरेख/मरम्मत हेतु सदैव कुशल कारीगर के उपलब्ध न होने व बहुत खर्चीली व्यवस्था के कारण इसके निवारण हेतु वाटर हैमरिंग सिंद्धान्त पर ऐसी विधि का अविष्कार किया गया जो ज्यादा मात्रा में, कम ऊंचाई से, तेज गति से गिरने वाली पानी को कम मात्रा में, अधिक ऊंचाई तक पहुंचा देती है। इस विधि को हाईड्रम कहते हैं यह मशीन बिना ईंधन के लगातार पानी उठाने का कार्य स्वतः करती रहती है।

"हाईड्रम"–पर्वतीय क्षेत्र के लिए वरदान

प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ गार स्मिथ ने वर्षों पूर्व कहा था कि जल दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है। आज हर व्यक्ति इसकी उपयोगिता एवं महत्व को देख सुन और समझ चुका है और इसकी हर बूंद को व्यर्थ नहीं करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम प्रमुख इस बात से पूर्णतया आश्वस्त हैं कि जल्दी ही दुनिया के देशों के बीच पानी के संकट को लेकर युद्ध शुरू हो जायेंगे। यह कोरी कल्पना नहीं अपितु हकीकत है। सऊदी अरब अपनी आवश्यकता का आधा पानी विदेशों से मंगवाता है। इज्राईल 87 % जल का आयात करता है। जोर्डन मात्र 9 % जल ही जुटा पाता है। इसी तरह मध्य पूर्वी एशिया व अफ्रीका के 31 देश भारी जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं।

बदलते मौसम के कारण लंदन में बहने वाली टेम्स नदी के भूतल का स्तर पिछले 100 वर्षों में घटते–घटते आज न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, जबकि इंग्लैण्ड में पानी की खपत पिछले 30 वर्षों से दो गूनी हो गई है।

हमारे यहां लाखों क्यूसेक पानी नदी/नालों में व्यर्थ बहता रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र का एक बड़ा भाग नदी/नाले के ऊपर स्थित है। जिससे उक्त क्षेत्र ग्रेविटी सिस्टम (सतही जल प्रणाली) से वंचित नहीं किया जा सकता, इस क्षेत्र को लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा ही सिंचित किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उक्त क्षेत्रों में बिजली अथवा डीजल उपलब्ध न होने से कृषि क्षेत्र का एक बड़ा भाग असिंचित रह जाता है।

हाईड्रम ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का अत्यन्त उपयोगी साधन है। यह वैकल्पिक उर्जा के साधनों में एक मुख्य साधन है। इसका सर्वप्रथम अविष्कार जान व्हाइटहर्स्ट, डर्बी, इंग्लैण्ड द्वारा किया गया। यह मशीन बिना ईंधन के लगातार पानी उठाने का कार्य स्वतः करती रहती हैं इसके संचालन एवं रखरखाव का खर्च अत्यन्त न्यून है और कोई भी व्यक्ति बगैर तकनीकी जानकारी के इसे स्वयं संचालित कर सकता है। हाईड्रम बिना किसी बाह्य उर्जा यथा बिजली/डीजल व पेट्रोल के वाटर हैमर के सिद्धान्त पर कार्य कर, उपलब्ध स्टैटिक हैड (स्थैतिक शीर्ष) को काइनेटिक उर्जा (गतिज उर्जा) में परिवर्तित कर पानी की अधिक मात्र उपलब्ध कराता है। जल, उपलब्ध शीर्ष के अधिकतम 30 गुने ऊंचाई तक चढ़ाया जा सकता है, लेकिन सिंचाई के लिए अधिक जल उपलब्ध कराने एवं योजना की वियर टियर कम करने हेतु विभाग फिलहाल शीर्ष के 15 गूने ऊंचाई तक ही जल लिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है।

सप्लाई चैनल के नीचे स्थित भूमि की सिंचाई सीधे सप्लाई चैनल (गूल) से की जा सकती है एवं इसके अतिरिक्त सप्लाई चैनल की माप (सैक्शन) थोड़ा बढ़ाकर इससे पनचक्की चलाकर गेहूं व अन्य अनाज आदि की पिसाई का कार्य भी किया जा सकता है, जिससे एक ओर बिजली/डीजल पर निर्भरता कम होगी एवं रोजगार सृजन के अधिक अवसर मिलेंगे व अनाज की पौष्टिकता बरकरार रहेगी तथा अनावश्यक श्रम की बचत होगी। इसके निम्न लाभ हैं :–

- ❖ योजना कम समय में पूर्ण हो जाती है।
- ❖ योजना पर रखरखाव खर्च अत्यनत न्यून होता है।
- ❖ इससे पर्यावरण पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है।
- ❖ योजना से तुरन्त लाभ मिलना प्रारम्भ हो जाता है।
- ❖ योजना की असफल होने की सम्भावना नहीं होती है।
- ❖ कोई भी व्यक्ति बगैर तकनीकी जानकारी के इसे संचालित कर सकता है।
- ❖ सप्लाई नहर से नीचे स्थित भूमि की सिंचाई के साथ–साथ घराट लगाकर अनाज आदि की पिसाई का कार्य व विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जा सकता है।
- ❖ पर्यावरण मित्र है।

स्पष्ट है कि योजना आम के आम गुठलियों के दाम की तरह पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वरदान है।

वियर (छोटे बैराज)

ऐसे स्थान जहां पर स्थाई श्रोत (Paranial Source) है, जिसका स्तर ऊंचा करने से अधिक मात्रा में खेतों की सिंचाई सम्भव हो जाती है, परन्तु स्थाई रूप से उसका स्तर ऊंचा करने पर ऊपर के खेतों के लिए वर्षा ऋतु में वाटर लागिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे निपटने के लिए गेटेड स्ट्रक्चर की आवश्यकता महसूस करते हुए गेटेड वियर बनाने की नवीन सोच के आधार पर प्रथम बार ये योजना ली गई है। यह योजना काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है।

भूगर्भ जल आधारित सिंचाई साधन

मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई साधन :

विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भीय संरचना के बदलाव के कारण भूगर्भ जल श्रोत एवं साधन का दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र विशेष की संभावना के अनुरूप अलग–अलग तरह के निर्माण होते हैं। ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं।

1– कूप :– भारतवर्ष में यह बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जाता रहा है। इसके निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि कूप से पानी किस साधन द्वारा उठाया जायेगा। कूप का पानी चरस द्वारा लगभग 16 मीटर व रहट द्वारा 10 मीटर तक आसानी से उठाया जा सकता है।

2– कूप मय बोरिंग :– कूप की क्षमता को बढ़ाने हेतु मैदानी क्षेत्र में कुएं के अन्दर हैण्डसेट से स्ट्रेनर व कैविटी बोरिंग की जाती है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कहीं–कहीं जल की

उपलब्धता चट्टानों के बीच में जल संग्रहण के रूप में होती है, जिसे उस गहराई तक बोरिंग करके कूप क्षमता बढ़ाई जाती है।

3– नलकूप :

नलकूप पानी की निकासी का वह साधन है, जिसमें फिक्सड पाइप के जरिये जमीन से पानी निकाला जाता है। इसमें पानी उठाने की मशीन डीजल पम्पसेट अथवा विद्युत मोटर होती है। एक पक्की कोठरी तथा एक पक्का डिलीवरी टैंक और थोड़ी पक्की गूल नलकूप के आवश्यक अव्यव हैं। इनकों बोरिंग की गहराई के आधार पर दो भागों में बाटा जाता है। 100 मीटर तक की गहराई वाले नलकूप गहरे (DEEP) नलकूप कहे जा सकते हैं। सिंचाई के अन्य साधनों से इनकी तुलना करने पर निजी नलकूप/बोरिंग से सिंचाई की लागत कम आती है। नलकूप कम लागत एवं कम अवधि में पूर्ण हो जाता है एवं खराब होने की दशा में तुरन्त ठीक हो सकता है।

4– आर्टीजन वेल (पाताल तोड़ कुआँ):

यह झरने का ही रूप है, परन्तु यह प्रायः समतल व कम ढाल वाले स्थानों पर पाये जाते हैं। इनको फ्लोविंग कूप अथवा कनफाइण्ड जल प्रस्तर कूप कहते हैं। किसी भी ढालू कनफाइण्ड जल प्रस्तर में भूतल से पन्क्चर करने पर जल दबाव के कारण बहने वाले झरने को आर्टीजन कहते हैं।

6. कृषकों का दायित्व

लघु सिंचाई विभाग द्वारा एकल तथा सामुदायिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जिन्हें निर्माण के पश्चात सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/ जल उपभोक्ता समूहों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। अतः योजनाओं के रखरखाव एवं संचालन का दायित्व लाभान्वित कृषकों का है। उनका यह भी दायित्व बनता है कि सिंचाई सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करें।

7. सूचना की उपलब्धता

लघु सिंचाई विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रत्येक विकास खण्ड में तैनात है, जिसका सीधा सम्पर्क स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष जिला पंचायत तथा स्थानीय कृषकों से सदैव बना रहता है, जिस कारण योजनाओं से सम्बन्धित किसी शिकायत का निराकरण तत्काल सम्भव होता है तथा योजनाओं से सम्बन्धित कसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभाग की वैबसाइट www.minorirrigation.uk.gov.in पर विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।